तृतीय माला, खण्ड ९—अंक २

शुक्रवार, ९ नवम्बर, १९६२
१८ कार्तिक, १८८४ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(तीसरा सत्र)

3rd Lok Sabha

(खण्ड ९ में अंक १ से अंक १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न *संख्या ३५ से ४८ — १०८—३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४९ से ८३ — १३३—५१

अतारांकित प्रश्न संख्या ६५ से ७० और ७२ से १६४ — १५१—९७

श्री कृष्ण मेनन के त्याग पत्र के बारे में — १९७

मंत्रि-परिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव के बारे में — १९८—२००

सभा-पटल पर रखे गये पत्र — २००—०३

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६२-६३ — २०३

समिति के लिये निर्वाचन

प्राक्कलन समिति — २०३

कार्य मंत्रणा समिति

सातवां प्रतिवेदन — २०४

सभा का कार्य

प्रक्रिया का सरलीकरण — २०४—०६

श्री गु० बसु के चुनाव के बारे में — २०७—०८

आपात की उद्घोषणा तथा चीन द्वारा अतिक्रमण के बारे में संकल्प — २०८—३९

श्री हरि विष्णु कामत — २०८—१०

श्री महताब — २११

श्री अ० प्र० जैन — २११—१३

श्री विद्या चरण शुक्ल . . . . . — २१३—१४

श्री मनोहरन . . . . . — २१४

श्री मुजफ्फर हुसैन . . . . — २१४—१८

श्री हनुमन्तैया . . . . . — २१८—१९

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

[शेष मुख पृष्ठ तीन पर देखिये

लोक-सभा

शुक्रवार, ९ नवम्बर, १९६२
१८ कार्तिक, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** हाल की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं प्रश्न नहीं पूछना चाहता ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या विदेशी तारों की दर.....

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य, श्री सुरेन्द्र पाल सिंह ने प्रश्न नहीं पूछा है। क्या श्री प्र० चं० बरुआ प्रश्न पूछना चाहते हैं ?

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** सूची में मेरा नाम दूसरे स्थान पर है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या दरों में वृद्धि की गयी है.....

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** अन्य लोग चाहें तो प्रश्न पूछ सकते हैं। मैंने अपना मत व्यक्त कर दिया है।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं समझ नहीं सका। क्या कोई अन्य सदस्य श्री सुरेन्द्र पाल सिंह के साथ सहमत है ?

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्योंकि प्रश्न पूछने में उनका पहला नाम है और उन्होंने प्रश्न नहीं पूछा है, मैं समझता हूं कि मैं प्रश्न पूछूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न ।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** अच्छा ।

†मूल अंग्रेजी में

2071 (Ai) LSD—1

तिब्बत प्रशासन द्वारा तार की दर में वृद्धि

\+

†*३५. **श्री नरेन्द्रसिंह महीडा :**
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री सोलंकी :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तिब्बत प्रशासन ने हाल में विदेशी तारों की दर बीस गुना बढ़ा दी है और इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय महावाणिज्यि दौत्य के भारत के संचार को कम करना है ;

(ख) क्या भारत सरकार ने इस बारे में विरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में चीन की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) जी, हां १-९-१९६२ से लगभग १२ गुणा। सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें १-९-१९६२ से पूर्व और १-९-१९६२ से बाद की दरें दी गयी हैं। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६]** यह संभावना है कि तिब्बत से भारत को तेजे जाने वाले तारों की दर में वृद्धि करने में चीनी अधिकारियों का यह इरादा है कि ल्हासा स्थित भारतीय महावाणिज्यदूत द्वारा भारत के साथ संचार में और कमी की जाये।

(ख) और (ग). इस मामले में चीनी सरकार से कोई विरोध प्रकट नहीं किया गया है क्योंकि हमने भी ऐसे ही उपाय किये हैं। १ नवम्बर, १९६२ से तिब्बत को जाने वाले तार की दरों को बढ़ा कर चीन के लिये दरों के समवर्ती बना दिया गया है।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : तिब्बत अथवा चीन को जाने वाले तारों पर हम ने जो वृद्धि की है उसका क्या स्वरुप है और कितनी वृद्धि की है? उपमंत्री महोदय ने बताया कि हमने भी दर में वृद्धि की है।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने बताया कि उनको उनके समान बना दिया गया है। अगला प्रश्न।

इडुकी जल-विद्युत् परियोजना

\+

†*३६. **श्री वासुदेवन् नायर :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री प० कुन्हन :
श्री मे० क० कुमारन् :
श्री वारियर :
श्री मणियंगाडन :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में इडुकी जल-विद्युत् परियोजना का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या परियोजना की रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ग) परियोजना का कार्य वस्तुतः कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) योजना के सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और विद्युत-परियोजनाओं सम्बन्धी परामर्श दात्री समिति द्वारा स्पष्ट किये जाने और योजना आयोग द्वारा स्वीकृत किये जाने के बाद कार्य आरम्भ होगा।

†**श्री वासुदेवन् नायर** : इस परियोजना की क्रियान्विति के लिये कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है और क्या सरकार ने इस समस्या पर किसी अन्य विदेशी सरकार के साथ बातचीत की है ताकि हम इस परियोजना पर शीघ्र काम कर सकें ?

†**श्री अलगेशन** : तृतीय योज़ना में इस योजना के लिये ३ करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है। विदेशी मुद्रा के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं।

†**श्री वासुदेवन् नायर** : क्या इस नदी से पानी को मोड़ने के बारे में कोई विवाद है और यदि हां, तो इस प्रश्न पर अन्तिम निर्णय कब किया जायेगा ?

†**श्री अलगेशन** : मद्रास सरकार मद्रास के एक जिले में सिंचाई के लिये कुछ पानी देना चाहती थी। इस पर केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में विचार किया गया और यह पता लगा कि यह कोई लाभदायक प्रस्तावना नहीं है। उसके बाद, उन्होंने केरल के लिये उपलब्ध जल की मात्रा में कोई कमी किये बिना अन्य प्रस्ताव रखा। उस सब पर, केरल में इस परियोजना के लिये, विचार किया गया है।

†**श्री प्रिय गुप्त** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या केरल में इस परियोजना के क्षेत्राधिकार में पड़ने वाली रेलवे के लिये अपेक्षित कुल बिजली के बारे में सरकार को सिंचाई और विद्युत मंत्रालय से संभरण के लिये बता दिया गया है।

†**श्री अलगेशन** : मैं यह नहीं बता सकता कि क्या रेलवे इस क्षेत्र में अपनी किसी लाइन का विद्युतीकरण करना चाहती है। परन्तु तीसरी योजना के अन्त में हमारे पास केरल में पर्याप्त बिजली होगी और यदि कोई नई मांग की गयी तो उसको भी पूरा करना संभव हो सकेगा।

†**श्री प्रिय गुप्त** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उनका कहना है कि वे इसका उत्तर नहीं दे सकते।

†**श्री अ० क० गोपालन** : क्या जलागम क्षेत्रों के किसान विस्थापितों को पुनर्वासित करने के प्रश्न पर भी विचार किया गया है ?

†**श्री अलगेशन** : जी, हां। मैं नहीं समझता कि ऐसे लोग बहुत होंगे जिन्हें इस क्षेत्र से हटाया जायेगा क्योंकि यह अधिकांशतः पहाड़ी क्षेत्र में है। यह घनी आबादी वाला प्रदेश नहीं है। परन्तु जो लोग इस से प्रभावित होंगे, उन्हें निस्सन्देह पुनर्वासित किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वासुदेवन् नायर** : क्या यह सच नहीं है कि उन विशेषज्ञों ने, जिन्होंने यह परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया है, स्पष्ट रुप से कहा है कि इस नदी में अन्य काम के लिये पानी फालतू नहीं होगा ?

†**श्री अलगेशन** : इस विषय में मतभेद है। केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग बोर्ड समझता है कि इसमें इतना फालतू पानी नहीं होगा जितना कि मद्रास सरकार समझती है।

†**श्री प्रिय गुप्त** : क्या रेलवे प्रशासन ने, अपनी बिजली के आवश्यकता के आधार पर सिंचाई मंत्रालय को इंडेन्ट भेजा है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने बताया कि अभी तक उन्होंने कोई इन्डेंट नहीं भेजा। कोई अन्य प्रश्न ?

†**श्री प्रिय गुप्त** : क्या रेलवे को संभरण के बारे में विचार कर लिया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जब वे इन्डेंट भेजेंगे तो उस पर विचार किया जायेगा।

†**श्री प० कुन्हन** : क्या यह योजना स्वीकृति के लिये योजना आयोग को भेज दी गयी है ?

†**श्री अलगेशन** : मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में ही यह बताया है। इसकी अभी परामर्श-दात्री समिति और योजना आयोग द्वारा स्वीकृति होनी है।

दिल्ली में विद्युत् संकट

\+

†*३७. **श्री यशपाल सिंह** :
श्री राम रतन गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दाजी :
श्री सुबोध हंसदा :
डा० पू० ना० खां :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्रीमती सावित्री निगम
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री नम्बियार :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री बसुमतारी :
श्री बागड़ी :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में विद्युत् संकट की जांच करने के लिये भारत सरकार द्वारा पिछले वर्ष

---

†मूल अंग्रेजी में

दिसम्बर में श्री एस० एस० कुमार के सभापतित्व में नियुक्त की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण जिसमें समिति की मुख्य सिफारिशें दी गई हैं, सभा पटल पर रखा जाता है ? **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७]**

(ग) इस रिपोर्ट पर दिल्ली प्रशासन, नगर निगम के अधिकारियों और सम्बन्धित मंत्रालयों के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

श्री यशवीर सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि कितने आदमी कसूरवार पाए गये और उनको क्या सज़ा दी गई

†**श्री अलगेशन** : किसी के कसूरवार पाये जाने का कोई प्रश्न नहीं है । समिति ने दिल्ली विद्युत संभरण उपक्रम और पंजाब राज्य बिजली बोर्ड की ओर से विभिन्न कमियों के बारे में बताया है । इन सबकी जांच की जा रही है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या इस समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जायेगा ?

†**श्री अलगेशन** : हमने इस प्रतिवेदन की प्रतियां पुस्तकालय में रख दी हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय उत्तर देने के बाद कृपया बैठ जायें । वह ठहर जाते हैं और मैं उनकी ओर देखता हूं कि क्या वह कुछ और कहना चाहते हैं ।

†**श्री दाजी** : मंत्री महोदय ने बताया कि प्रतिवेदन पर दिल्ली प्रशासन के परामर्श से विचार किया जा रहा है । इस बात को देखने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं कि रिपोर्ट में जो बातें बतायी गई हैं, वह भय दुबारा न हो ताकि हमें दिल्ली में निरन्तर विद्युत् संभरण का आश्वासन मिल सके ?

†**श्री अलगेशन** : जहां तक वर्तमान स्थिति का सम्बंध है, हम पंजाब से लगभग ५०,००० किलोवाट बिजली ले सकते हैं । दिल्ली विद्युत् संभरण उपक्रम भी अपने जनरेटिंग संयंत्र से काफी बिजली बना रहा है । अतः अब कोई प्रश्न नहीं है । परन्तु इस समिपि ने जो भी उपायों और कदम उठाये जाने की सिफारिश की है, वह सब हम विभिन्न अधिकारियों के परामर्श से करेंगे ।

श्री यशपाल सिंह : मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब कि जितना काम अच्छा था उनको बाकायदा एनामात दिये गये तो जिनकी वजह से बिजली का फेल्योर हुआ उनको सजा क्यों नहीं दी गई ?

†**श्री अलगेशन** : अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता; परन्तु उस पर भी विचार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** क्या सरकार ने इस जांच समिति की सभी सिफारिशें मान ली हैं ?

†**श्री अलगेशन :** जी, हां । हम उन पर विचार कर रहे हैं और निष्कर्ष समिति की राय पर निकाले गये हैं और हम हरेक पर कार्यवाही करेंगे ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्यों कि यह मामला बड़ा महत्वपूर्ण है, क्या मैं जान सकता हूं कि इस समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशों पर कार्यवाही करने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

†**श्री अलगेशन :** कुछ सिफारिशों को त्रियान्वित किया जा चुका है और कुछ विचाराधीन हैं । उदाहरणतः एक सिफारिश तापोय संयंत्रों की तीन यूनिटों की स्थापना के लिये योजना की क्रियान्विति के लिये एक नियंत्रण बोर्ड स्थापित करने के बारे में है वह नियंत्रण बोर्ड स्थापित कर दिया गया है ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** दो और भी समितियां थी—दामले समिति और धर्मवीर समिति ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह प्रश्न बाद में आयेगा ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी :** विवरण में यह बताया गया है कि दिल्ली प्रशासन विद्युत् नियंत्रण उपायों को लागू करने के काम को अपने सीधे प्रभार में ले ले । क्या मैं जान सकता हूं कि इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री अलगेशन :** वह भी सिचाराधीन है ।

श्री कछवाय : मैं जानना चाहता हूं कि दिल्ली में बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिये अमरीका ने भी कोई मदद देने को घोषणा की है ? यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**श्री अलगेशन :** मैंने बताया है कि हम तीन यूनिट स्थापित कर रहे हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** इस समिति ने कुछ स्पष्ट सिफारिशें की हैं । एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह है कि समूची संगठन व्यवस्था खराब है और वह सामान देने की स्थिति में नहीं है । इस आपातकाल के बावजूद भी . . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति । क्या वह भाषण दे रहे हैं ?

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** जी, नहीं । मैं भषाण नहीं दे रहा हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह प्रश्न पूछें ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या इस आपातकाल में भी हम इसी प्रकार कार्य करते रहेंगे अथवा सरकार तत्काल कोई कदम उठायेगी ? क्या सरकार ने इस बारे में कोई निष्कर्ष निकाला है ?

†**श्री अलगेशन :** हम उस पर विचार कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे फाटकों पर कर्मचारियों की नियुक्ति

+

†*३८. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री वासुदेवन् नायर :
श्री प्र० के० देव :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारें अब बिना कर्मचारी वाले रेलवे फाटकों पर कर्मचारी नियुक्त करने का उत्तरदायित्व लेने पर सहमत हो गई है ;

(ख) क्या उन्हें केन्द्रीय सहायता दी जायेगी; और

(ग) कितने फाटकों पर कर्मचारी रखे जायेंगे ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) से (ग). रेलवे द्वारा किये गये पुनर्विलोकन के परिणामस्वरूप यह मूल्यांकन किया गया है कि भारतीय रेलवे में कुछ १९,००० लेवल क्रासिंगों, जिन पर कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं है, में से लगभग १२०० पर अधिकांश सड़क यातायात और अंशतः रेल यातायात में वृद्धि के कारण कर्मचारियों के नियुक्त किये जाने की आवश्यकता है। रेलवें मंत्री ने सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखे हैं जिनमें उन से लेबल क्रासिंगों पर कर्मचारी नियुक्त किये जाने का आधा व्यय वहन करने का अनुरोध किया गया है। अभी तक मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने इन प्रस्तावों से सहमति प्रकट की है और राज्य में १०२ लेवल क्रासिंगों पर कर्मचारी नियुक्त करने के व्यय और आवर्ती व्यय का आधा वहन करने की इच्छा प्रकट की है। अन्य राज्यों से उत्तर प्रतीक्षित हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी**: मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने १९,००० में से १२०० की संख्या का अनुमान कैसे लगाया ? इस मूल्यांकन का क्या आधार है ? यह सड़क यातायात है या कुछ और ?

†**श्री शाहनवाज खां** : उन लेवल क्रासिंगों से गुजरने वाला यातायात।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : राज्य सरकारों को पत्र कब भेजा गया था और क्या उनसे शीघ्र आवश्यकता पूरी करने को कहा गया है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : हमने उनको लिख दिया है। हम उन्हें इस पर सोचने के लिये कुछ समय देंगे और फिर यदि आवश्यक हुआ तो उन्हें स्मरण करायेंगे।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : आपने उन्हें कब लिखा ?

†**श्री शाहनवाज खां** : पत्र सितम्बर में भेजा गया था।

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या इनमें से किसी लेवल क्रासिंग पर कर्मचारी नियुक्त किये जा चुके हैं अथवा नहीं अथवा सारा मामला अभी विचाराधीन है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : इनमें से कुछ पर कर्मचारी नियुक्त किये जा चुके हैं।

---

†मूल अंग्रजी में

†**श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :** कितने ?

†**श्री शाहनवाज खां :** हमें ठीक संख्या का पता नहीं है ।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** अभी अभी मंत्री महोदय ने बताया है कि जहां पर यातायात बहुत अधिक है, उन क्रासिंगों को पहले लिया गया है । इसकी क्या कसौटी है और यह कैसे पता लगा है कि कुछ रेलवे क्रासिंगों पर अन्यों की अपेक्षा अधिक यातायात है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** हम सर्वेक्षण करने के लिये आदमी भेजते हैं और उनकी रिपोर्ट पर हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या सरकार को २१ सितम्बर को गोहाटी में एक बस-ट्रेन की टक्कर का पता है जिसमें कोई आठ या दस व्यक्ति मरे और १५ या १६ व्यक्ति घायल हुए, क्या उस लेवल क्रासिंग पर कोई कर्मचारी नियुक्त नहीं है और क्या उस पर कर्मचारी नियुक्त करने का प्रस्ताव है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** हमें उस दुर्घटना का पता है । हमने राज्य सरकार को लिखा है जिसमें उनसे पूछा है कि क्या वे उस पर कर्मचारी नियुक्त करना चाहते हैं और क्या वे व्यय का भाग वहन करेंगे ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** राज्य सरकारों को भेजे गये इस प्रस्ताव का क्या हुआ कि वे यातायात को विनियमित करने के लिये बिना कर्मचारी वाले लेवल क्रासिंगों के दोनों ओर पुलिसमेन रखें ?

†**श्री शाहनवाज खां :** हम उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

†**श्री मानसिंह पु० पटेल :** यदि सम्बन्धित राज्य सरकारें लागत का ५० प्रतिशत वहन करने के प्रस्ताव पर सहमत हो जायें, तो भिन्न राज्यों में सभी लेविल क्रासिंगों पर कर्मचारी नियुक्त करने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री शाहनवाज खां :** यदि राज्य सरकारें प्रस्ताव से सहमत हो जायें तो इन १२०० लेवल क्रासिंगों पर, जिनकी हमने सिफारिश की है, कर्मचारी नियुक्त करने में अधिक समय नहीं लगेगा ।

†**श्री अ० प्र० जैन :** मैंने समझा कि मंत्री महोदय ने यह कहा है कि बिना कर्मचारी नियुक्त रेलवे क्रासिंगों पर कांस्टेबल नियुक्त करने का जो प्रस्ताव था, वह राज्य सरकारों को भेजा गया है । रेलवे क्रासिंगों पर कर्मचारी न नियुक्त करने का मुख्य उद्देश्य खर्च बचाना है । अतः इस प्रस्ताव को राज्य सरकारों को भजने का क्या फायदा है ? क्या विश्व में कहीं और भी यह तरीका अपनाया जा रहा है ?

†**रेलवे मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :** मैं समझता हूं कि इस में कुछ गलतफहमी हुई है । कुछ बिना कर्मचारी नियुक्त रेलवे पर क्रासिंगों पर कांस्टेबल रखने के लिये राज्य सरकारों से प्रार्थना करने का प्रस्ताव था क्यों कि यह देखा गया कि यद्यपि सड़क यातायात के लिये दरवाजा बन्द है फिर भी कुछ ट्रक और बस चालक दरवाजे से टकरा कर दुर्घटना कर देते हैं । अतः यह विचार किया गया कि अतिरिक्त सावधानी के तौर पर अनुशासन लागू करने के लिये कांस्टेबल रखना आवश्यक है । मेरे माननीय मित्र का यह सुझाव ठीक है कि बिना कर्मचारी नियुक्त लेवल क्रासिंग पर कांस्टेबल नियुक्त करने से इस कठिनाई का समाधान नहीं हो जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या मंत्री महोदय को पता है कि जब पिछले सत्र में यह प्रश्न उठाया गया था तो अध्यक्ष महोदय ने एक सुझाव दिया था कि यातायात के लिये ऐसी व्यवस्था की जाये जिससे वह स्वयं रुके, देखे और चले और उपमंत्री महोदय ने तब आश्वासन दिया था कि वह सुझाव भी राज्य सरकारों को भेजा जायेगा? क्या ऐसा किया गया है? यह आपका बहुत अच्छा सुझाव है।

†**श्री स्वर्ण सिंह :** हम इस बारे में राज्य सरकारों को लिख चुके हैं और यह आशा है कि शीघ्र ही वे इन चिह्नों की व्यवस्था कर देंगे।

श्री यशपाल सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि यह कौन सा इन्साफ है कि रेलवे डिपार्टमेंट जो जनता से करोड़ों रुपया पैदा करता है, अनमैंड चौकियों पर जो थोड़ा सा रुपया खर्च होता उसके लिए राज्य सरकारों को लिखता है? क्या जनता के प्राण इतने सस्ते हैं कि जब तक राज्य सरकार नहीं लिखती तब तक.....

अध्यक्ष महोदय : आर्डर आर्डर। अगला प्रश्न।

दामोदर घाटी निगम

†*३९ **डा० पू० ना० खां :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम इस वर्ष अपने सिंचाई क्षेत्र को पचास प्रतिशत भी सिंचाई का पानी नहीं दे सका है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार इस दृष्टि से क्या कार्यवाही करेगी कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) जी, नहीं। दामोदर घाटी निगम ने ९.१९ लाख एकड़ की सिंचाई क्षमता बनायी है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

†**डा० पू० ना० खां :** पूर्व के वर्षों में पानी के संभरण की स्थिति क्या रही?

†**श्री अलगेशन :** वर्ष १९६१ में ६ लाख एकड़ में सिंचाई की गयी।

†**श्री सुबोध हंसदा :** प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा है कि 'नहीं' यदि यह सत्य है, तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को पता है कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार कृषकों से पानी का कर वसूल नहीं कर सकी है?

†**श्री अलगेशन :** व्यवस्था यह है कि दामोदर घाटी निगम भारी मात्रा में संभरण करेगा। पश्चिम बंगाल सरकार इसको लेगी और किसानों में वितरित करेगी। बिल का

---

†मूल अंग्रेजी में

भुगतान पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किया जायेगा। पश्चिम बंगाल सरकार किसानों से वसूली करेगी। दामोदर घाटी निगम ने पश्चिम बंगाल सरकार को बिल भेजे हैं। उन्होंने अभी भुगतान नहीं किया है। उसका यह मतलब नहीं है कि पानी नही दिया गया है। जैसा मैंने बताया, वर्ष १९६१ में ६ लाख एकड़ में सिंचाई की गयी।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब भी मंत्री महोदय उत्तर समाप्त करके स्थान ग्रहण करने में रुक जाते हैं।

†**श्री स० चं० सामन्त** : वर्ष १९६१-६२ में कछ रुकावट आयी। अर्थात् दो स्थानों पर दामोदर घाटी निगम की नहर टूट गयी। यह तै किया गया कि ब्लाकों को प्रत्येक १५० एकड़ के कर दिये जायें। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वह कार्य किया गया है और सिंचाई कार्य किया गया है?

†**श्री अलगेशन** : जैसा मैंने बताया, हमने हाल में ही इस बारे में एक मीटिंग की थी कि पानी का इस्तेमाल कैसे किया जाये। दामोदर घाटी निगम और पश्चिमी बंगाल सरकार से अपने अपने प्रयत्नों का समन्वय करने को कहा गया। अर्थात्, दामोदर घाटी निगम पचिश्म बंगाल सरकार को यह सूचना देगा कि वह किन क्षेत्रों में पानी दे सकेगा और पश्चिमी बंगाल सरकार क्षेत्रीय नहर बनायेगी। हमने ऐसी व्यवस्था की है। मैं समझता हूं कि वह संतोषजनक ढंग से चलेगी।

श्री कछवाय : मैं जानना चाहता हूं कि इस योजना के खर्च में कोई कटौती करने का इरादा है या नहीं?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या कम करने के लिये कोई प्रस्ताव?

†**श्री अलगेशन** : किस पर व्यय कम करने के लिये?

†**अध्यक्ष महोदय** : परियोजना पर।

†**श्री अलगेशन** : परियोजना पूरी हो गयी है। यह जल का संभरण कर रही है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती**: क्या यह सच है कि इस वर्ष जून के शुष्क महीने में दामोदर घाटी निगम पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मांगी गयी पानी की मात्रा का संभरण नहीं कर सका?

†**श्री अलगेशन** : मुझे ऐसी किसी बात का पता नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न।

अन्तर्राष्ट्रीय चावल आयोग

†*४०. **श्री प्र० चं० बरुआ** :
श्री रा० गि० दुबे :
श्री वारियर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय चावल आयोग के आठवें सत्र में भाग लिया था जो कि क्वालालम्पुर में सितम्बर के मध्य में हुआ था; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इसमें भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने क्या विशिष्ट प्रस्ताव रखे थे और उनका क्या परिणाम निकला ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८]**

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : : इस आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**डा०राम सुभग सिंह** : अन्तर्राष्ट्रीय चावल आयोग का सम्मेलन पिछले मास समाप्त हुआ। हम इस बात पर निरन्तर ध्यान दे रहे हैं कि इस आयोग की सिफारिशों को किस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से क्रियान्वित किया जाये। कल भी हमारी ऐसा करने के लिये एक बैठक हुई थी।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या चावल की खेती के लिये और प्रयोगशाला के लिये वैज्ञानिक उपकरण प्राप्त करने के लिये क्या मार्गोपाय ढूंढे गये हैं ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : जी हां,। मैंने भी यही बात कही है। कल भी हमने इस समस्या पर विचार किया था।

†**श्री रा० गि० दुबे** : चावल आयोग ने कई सिफारिशें की हैं। एक सिफारिश विभिन्न प्रकार की सहायता के बारे में है। क्या मैं जान सकता हूं कि सहायता प्राप्त करने के लिये सिफारिश संख्या ७ के अन्तर्गत क्या ठोस कदम उठाये गये हैं ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : सिफारिश संख्या ७ इस प्रकार है :

"खाद्य तथा कृषि संगठन सदस्य देशों को उर्वरक और कृषि रसायन-पदार्थ जैसे कीटाणु-नाशक औषधियां देने की संभावनाओं का पता लगाये. . . . . आदि।"

हमने खाद्य तथा कृषि संगठन से बातचीत की है। यहां भी हम स्थिति पर काबू पाने के लिये भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री सरजू पाण्डेय : इस राइस कमिशन की सिफारिशें कौन कौन सी हैं, और उन के अलावा और कौन सी सिफारिशें हैं ?

डा० राम सुभग सिंह : अन्तर्राष्ट्रीय चावल आयोग की जो मुख्य सिफारिशें सदन पटल पर रख दी गई हैं, माननीय सदस्य उन को पढ़ लें।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या भारत सरकार द्वारा अधिक सहायता पर बल दिये जाने के फलस्वरूप क्या चालू वर्ष में पूर्व के वर्षों की अपेक्षा सहायता में वृद्धि हुई है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : जैसा मैंने प्रथम अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में कहा है, वास्तव में इस आयोग की बैठक पिछले महीने के शुरू में प्राप्त हुई और हम इस पर विचार कर रहे हैं और हम यथासंभव सर्वोत्तम ढंग से इसे क्रियान्वित करेंगे।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : सभा पटल पर रखे गये विवरण से पता चलता है कि सदस्य देशों से एन० पी० एण्ड के० के आधार पर उर्वरक के इस्तेमाल के रूप, समय और तरीके

---

†मूल अंग्रेजी में

के बारे में रिपोर्टें मांगी जायें। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या हमारे देश से अन्तर्राष्ट्रीय चावल आयोग को रिपोर्ट भेज दी गयी है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : जी, हां। हमने आयोग की बठक में अपने विचार व्यक्त कर दिये थे और यदि माननीय सदस्य चाहें, तो उसकी एक प्रति मैं उनको दे दूंगा।

श्री बड़े : इन रिकमेन्डेशन्स को इम्प्लिमेंट करने के वास्ते शासन का कितना रुपया खर्च करने का इरादा है ?

डा० राम सुभग सिंह : असल में यह एक अन्तर्राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशें हैं और उन के लिये अलग से कोई खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। जो अपनी योजना है उस को कार्यान्वित करने के लिये हम इन सिफारिशों को भी ध्यान में रक्खेंगे ताकि उस को अच्छी तरह चलाया जा सके।

†**श्री शिवनंजप्पा** : इसमें भाग लेने वाले देशों के क्या नाम हैं और क्या निष्कर्ष निकले ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : उस सम्मेलन में २२ देशों के प्रतिनिधियों को भाग लेना था परन्तु वास्तव में १४ ने अपने प्रतिनिधि भेजे थे। मैं बाद में माननीय सदस्य को नाम बता सकता हूं ।

श्री विभूति मिश्र: मैं जानना चाहता हूं कि इस राइस कमिशन से हमारे देश को कौन कौन से फायदे होंगे और बीज के सम्बन्ध में तथा फार्टिलाइजर के सम्बन्ध में हमारी सरकार ने जो डिमान्ड की है वह किस तरह से मिलेगी ?

डा० राम सुभग सिंह : इस चावल आयोग में विधिवत अध्ययन करने के लिये कुछ साधन हैं। बैंकाक में एक क्षेत्र का कार्यालय है और अन्तर्राष्ट्रीय चावल आयोग का अनुसंधान का कार्य करने वाला एक केन्द्र फिलिपीन में है। इन दोनों जगहों में अनुसंधान कार्य होता है, और जो कार्य मख्यत: अपने लिये मुफीद पाया जाता है उस को हम लोग देख कर यहां कार्यान्वित करने की कोशिश करते हैं।

फरक्का में गंगा बांध१

\+

†*४१. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री म० ला० त्रिवेदी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दाजी :
श्री प्र० के० देव

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरक्का में गंगा बांध का प्रस्तावित स्थान बदल कर नदी पर एक मील नीचे कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो पहिले स्थान पर क्या असुविधायें थीं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस परिवर्तन से वित्त के मामले में कोई परिवर्तन होगा ; और

(घ) इस बांध के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (ग) : विस्तृत नमूने के अध्ययनों के परिणामों के आधार पर बांध के स्थान का अन्तिम रूप से फैसला, फरक्का बांध परियोजना सम्बन्धी प्रविधिक सलाहकार समिति की सहमति के साथ, फरक्का से लगभग एक मील नीचे का स्थान निश्चित किया गया है। बांध का स्थान बदल देने का प्रश्न पैदा नहीं होता क्योंकि यह पहले नियत किया गया था।

(घ) ८ मई १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २९३ के उत्तर में बताई गई प्रगति से आगे की प्रगति क्वाटरों आदि के निर्माण की है। नदी तट सम्बन्धी कामों पर काफी प्रगति नवम्बर में आरम्भ होने वाले कार्यकारी मौसम में ही की जा सकती है ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि परियोजना के स्थान में परिवर्तन हैं, क्या परियोजना की प्लान में भी कमी है ?

†**श्री अलगेशन** : जैसा मैंने पहले बताया, कोई स्थान पहले निश्चित नहीं किया गया था। परियोजना वहीं पर है जहां पर थी।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या यह सही है कि व्यतियों और सामान की कमी के कारण इस परियोजना में विलंब किया जा रहा है ?

†**श्री अलगेशन** : मैं एसा नहीं समझता ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : प्रश्न के भाग (क) के सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं कि क्या श्रमिकों और कर्मचारियों के लिय टाउनशिप बनाना आरम्भ कर दिया गया है ?

†**श्री अलगेशन** : जी हां, टाउनशिप का निर्माण किया जा रहा है ।

†**श्रीमती रेणुका राय** : क्या माननीय मंत्री को विदित है कि उन्होंने उन लोगों को, जिनकी भूमि नवीन पंक्तिबन्ध के लिये अधिग्रहण की गई है, उस स्थान पर जो यह आश्वासन दिया था कि भूमि और फसलों के लिय पर्याप्त तथा तुरन्त प्रतिकर दिया जाएगा और उन के स्थान पर वास-भूमियां दी जायेंगी, क्या वह आश्वासन पूरा किया गया है और यदि हां, तो वह इस के बारे में क्या कर रहे हैं ?

†**श्री अलगेशन** : यह सही है कि अभ्यावेदन दिये गये थे और हमने उन बातों को मानना स्वीकार कर लिया था। मुझे आशा है कि पश्चिम बंगाल सरकार में काम करेगी। मैं भी इस मामले पर ध्यान दूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे दुर्घटना जांच समिति

+

†४२. श्री भक्त दर्शन :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दाजी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री का० ना० तिवारी :
श्री वारियर :
श्री विशनचंद्र सेठ :

क्या **रेलवे** मंत्री २० अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ४४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की दुर्घटनाओं की जांच करने और उनके सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए नियुक्त समिति ने इस बीच अपना कार्य पूरा कर लिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो समिति ने अपने कार्य में अब तक क्या प्रगति की है ; और

(ग) उस समिति ने कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देने के लिए कहा है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) से (ग). रेलवे दुर्घटना समिति इस समय अपना अंतिम प्रतिवेदन तैयार करने में व्यस्त है, जिस के प्राप्त हो जाने पर एक प्रति सभा पटल पर रख दी जाएगी।

श्री भक्त दर्शन : इस कमेटी की स्थापना कब की गई थी और आखिर उस ने कोई मियाद अपनी अन्तिम रिपोर्ट देने की निर्धारित की है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये कोई तिथि निश्चित नहीं की गई है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह कब नियुक्त की गई थी ?

†**रेलवे मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : १९६१ के अन्त में ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि जब से इस कमेटी की स्थापना हुई है रेलवे दुर्घटनाओं में कितनी कमी आई है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : केवल समिति की नियुक्ति से वह परिणाम नहीं निकल सकता।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या समिति ने कोई अन्तरिम प्रतिवेदन दिया है जिसमें दुर्घटनाओं को रोकने के तुरन्त उपाय करने का सुझाव दिया गया हो ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : संभव है हमें अन्तरिम प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करनी होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जयपाल सिंह** : पिछले सत्र में श्री मुरारका ने इस समिति के सदस्यों के वेतन आदि के बारे में एक प्रश्न पूछा था और उन्होंने यह आरोप लगाया था कि उनको प्रति दिन १०० रुपये मिलते थे। श्री शाह नवाजखां ने तब कहा कि उन को पता करना होगा। वस्तुस्थिति क्या है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता। यह पृथक प्रश्न है।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय मंत्री कह सकते हैं कि उन को क्या मिल रहा है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : एक दम नहीं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : औचित्य प्रश्न है। जब पिछले सत्र में यह प्रश्न उठाया गया था तो आपने उत्तर देने के लिये कहा था, तो मंत्री जी आनाकानी कर गये थे। क्या इस सूचना के लिये दो महीने काफी नहीं हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर के सभा को दे दिया जाये।

†**श्री स्वर्ण सिंह** : हम कल वह सूचना दे देंगे।

†**श्री जयपाल सिंह** : मैं इस समिति का सदस्य हूं। मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि मैं ने जितना परिश्रम किया है और भी दूसरी सभा के एक संसद् सदस्य इस समिति के सदस्य हैं—मुझे १००) दैनिक नहीं मिले।

†**श्री रंगा** : इस का क्या कारण है कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर कोई तिथि नियत नहीं की गई है कि प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया जाए जब कि ऐसे आयोगों के सम्बन्ध में तिथि नियत की जाती है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : काम बहुत अधिक है। रेलवे के सरकारी निरीक्षण के प्रतिवेदनों की पूरी जांच करनी पड़ती है, साक्ष्य प्राप्त करने पड़ते हैं, प्रश्नावलियां जारी की गई हैं और उन के उत्तरों की जांच की गई है तथा विश्लेषण किया जाना है। इन सब कामों पर समय खर्च होता है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : इसे युद्धस्तर पर कीजिये।

श्री रंगा : क्या हमें तब तक प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करनी होंगी जब तब संकट काल दूर हो जाएगा ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : हम इस पर काफी मेहनत कर रहे हैं।

श्री कछवाय : मैं जनाना चाहता हूं कि दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया गया है या बनाया जायेगा ?

श्री स्वर्ण सिंह : जो आम ट्रेनिंग कर्मचारियों को दी जाती है उस में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि किस तरह से ऐक्सीडेंट्स की रोकथाम की जाये।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : पिछले सत्र में रेलवे दुर्घटनाओं से सम्बन्धित चर्चा के दौरान माननीय मंत्री ने हमें आश्वासन दिया था कि प्रतिवेदन को शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए हर कदम उठाया जायेगा। कौन सी कठिनाइयां हैं जिनके कारण अन्तरिम सुझाव नहीं दिये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** मैं कठिनाइयां बता चुका हूं। इसी वर्ष में दिसम्बर तक अन्तरिम प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने की आशा है।

†**श्री प्रिय गुप्त :** क्या रेलवे के सरकारी निरीक्षक और रेलवे सुरक्षा आयुक्त द्वारा सार भेजने के बजाय विभाग द्वारा की गई जांच की वास्तविक कार्यवाही को पेश करना सुविधाजनक होगा, नाकि हमें यह पता लगाने में अधिक सुभीता हो कि दुर्घटनाओं के क्या कारण हैं, अर्थात् यह पता लगाया जा सके कि दुर्घटनायें कैसे और क्यों हुईं ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** यह साधारण प्रक्रिया नहीं है। अन्तरिम रिपोर्ट को सभा पटल पर रखने का वचन दिया गया है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या रिपोर्ट बड़ी दुर्घटनाओं के अध्ययन के आधार पर तैयार की जायगी और यदि हां, तो किस अवधि की दुर्घटनाओं के आधार पर ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** रेलवे के सरकारी निरीक्षक की पिछले पांच वर्षों की रिपोर्टों को अन्तरिम प्रतिवेदन के लिये ध्यान में रखा गया है।

†**श्री तुलसी दास जाधव :** इस समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** वे सर्वविख्यात हैं, किन्तु मैं बता देता हूं। डा० हृदय नाथ कुञ्जरू, (सभापति), श्री सत्यचरण शास्त्री, श्री जयपालसिंह. श्री एन० आर० राम० स्वामी, श्री त० ब० विट्ठल राव (संसद् सदस्य तथा भूतपूर्व सदस्य) श्री जे० एन० नन्दा, सेवानिवृत्त जनरल मैनेजर, भूतपूर्व निजाम राज्य रेलवे, श्री देव दत्त, सेना निवृत्त, मुख्य रेलवे सरकारी निरीक्षक और श्री पी० सी० मुक्त, उप निदेशक, परिवहन, रेलवे बोर्ड समिति के सचिव हैं।

खाद्यान्नों के मूल्य

+

*४३. {
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री उमानाथ :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री यशपाल सिंह :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री सोनावने :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री प० कुन्हन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्यान्नों के बढ़ते मूल्यों को रोकने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ख) क्या सरकार भविष्य में खाद्यान्नों के भावों पर नियंत्रण के लिये कुछ निश्चित योजना भी बनाने का विचार कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा-सचिव (श्री शिन्दे) : (क) और (ख). मोटे तौर पर मई-सितम्बर, १९६२ में कुछ क्षत्रों में खाद्यान्नों के भावों में कुछ बढ़ोत्तरी हुई थी। तब से इनमें से अधिकांश क्षेत्रों में भावों में गिरावट का रुख देखा गया है। सरकार ने सभी संगत स्थितियों को ध्यान में रखते हुए समस्याओं पर विस्तारपूर्वक विचार किया है और भावों को बढ़ने से रोकने के लिए निम्न कदम उठाये जा रहे हैं :—

(१) सस्ते अनाज की दुकानों के द्वारा खाद्यान्नों के वितरण की मात्रा बढ़ा दी गयी है। राज्य सरकारों से और सस्ते अनाज की दुकानें खोलने या प्रत्येक व्यक्ति को दिए जाने वाले गेहूं की मात्रा बढ़ाने के लिए प्रार्थना की गयी है ;

(२) संचय-निरोधक उपाय के रूप में खाद्यान्नों के स्टाक पर दी जाने वाली बैंक पेशगियों की स्थिति का नियमन करने के लिए पुनर्निरीक्षण किया जा रहा है ;

(३) थोक व्यापारियों पर लाइसेंस नियंत्रण का कड़ाई से पालन किया जा रहा है और इसे अधिक प्रभावी भी बनाया जा रहा है ;

(४) खाद्यान्न व्यापारियों की एसोसियेशनों को स्वैच्छिक नियंत्रणों द्वारा व्यापार का नियमन करने और व्यापारिक व्यवहारों को सुधारने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ; और

(५) उत्पादन बढ़ाने, थोक व्यापार के नियमन करने, नियमित बाजार स्थापित करने, खरीद बढ़ाने, आयात बढ़ाने, आरक्षित भण्डार बढ़ाने और ज्वार-बाजरा आदि (मिलेट) और चावल खाने वाले क्षेत्रों में गेहूं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालीन उपाय भी ढूंढ़े जा रहे हैं।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : संकट काल में भी खाद्यान्नों के मूल्य पर नियंत्रण करने के लिए जो उपाय अब तक आप ने बर्ते हैं यही पर्याप्त होंगे अथवा उस के लिए कोई विशेष योजना आपने तैयार की है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : अभी फिलहाल कोई विशेष योजना करने का इरादा नहीं है। एक महीने बाद देखा जायगा कि उस का क्या नतीजा होता है। इमरजेंसी को शुरू हुए दो हफ्ते हो गये हैं और अभी तक तो उसका कोई बुरा असर पड़ता मालूम नहीं हुआ है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : उपभोक्ताओं और उत्पादकों इन दोनों के हितों का ध्यान रखते हुए अन्नों के जो वर्तमान मूल्य चल रहे है उनसे क्या सरकार संतुष्ट है, यदि नहीं तो क्या जिस प्रकार से वित मंत्री महोदय ने स्वर्ण का मूल्य घटाने के लिए कुछ विशेष उपाय किये हैं उस तरह की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : जैसा कि कहा गया है, अभी तो हिन्दुस्तान में पचास हजार फयरप्राइस शाप्स है। वे बढ़ कर एक लाख तक हो जायेगी। और भी ज्यादा होंगी। हमारे पास काफी अनाज पड़ा है। इस से वह चीज हो सकती है। फिगर्ज तो बदल जाते है, लेकिन हमारे पास जो लेटेस्ट फिगर्ज है, वह मैं आप के पास रखना चाहता हूं। अगस्त

†मूल अंग्रेजी में

में फिगर्ज के ९२.६ और सितम्बर में वे ९१.२ हो गए । गए बरस में, १९६१ में ८७.४, १९६० में ९०.४ और १९४९ में ९७.६ थे । उस से यह मालूम नहीं होता है कि दाम ऊपर जा रहे हैं। वे थोड़ा कम हो रहे हैं। इसलिए इस बार हम देखेंगे और अगर एक महीने में स्थिति बिगड़ जाती है, तो चूंकि डिफेंस आफ इंडिया रूल्ज के अनुसार गवनमेंट को काफी पावर्स हासिल हैं, इसलिए चौबीस घंटे में सब काम को किया जा सकता है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या गल्ला व्यापारियों की संस्था ने कोई आश्वासन दिया है कि वे कीमतें नहीं बढ़ायेंगे और वे कीमतों को काबू में रखने के लिये सरकार की सहायता करेंगे ?

†**श्री स० का० पाटिल :** मेरे पास इन संस्थाओं के सैकड़ों पत्र तथा तार आये है कि संकट काल में वे केवल कीमतें नहीं बढ़ायग, बल्कि वे बिल्कुल लाभ नहीं कमाएंगे। का अवसर आ गया है ।

श्री अमर नाथ : मा० मंत्री ने बताया है कि चावब के लिये खाद्य खण्ड समाप्त करने की ओर ध्यान दिया जा रहा है । क्या कोई विधान किया जा चुका है ?

†**श्री स० का० पाटिल :** मैं नहीं समझता कि अभी इस प्रकार के नियम करने का असर आ गया है ।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** इन उचित दाम वाली दुकानों में जो खोली जा रही हैं क्या चना आदि जिनसे भी बेची जाएंगी या केवल गहूं ही बेचा जाएगा ?

†**श्री स० का० पाटिल :** स्वभावतः सभी वस्तुएं जो गल्ला व्यापारी बेचते है ।

†**श्री पु० र० पटेल :** वर्तमान संकट काल में कीमतों को रोकना चाहिये । किन्तु क्या सरकार ने इस बात के लिये कोई पूछताछ की है कि वर्तमान कीमतें लाभदायक है, क्या वे अधिक है और यदि हां तो कितने प्रतिशत तक और क्या वे कम है और यदि हां तो कितने प्रतिशत ?

†**श्री स० का० पाटिल :** यदि डर यह है कि मूल्यों के नियंत्रण से किसान को हानि होगी, तो यह निराधार है क्योंकि हम प्रयत्न करेंगे कि किसान को हानि न हो, इसके विपरीत किसानों को अब के दामों से थोड़ा अधिक ही मिलेगा ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** क्या सरकार ने पता लगाया है की जो कार्रवाई की गई है उन का क्या प्रभाव हुआ है और क्या उन से उड़ीसा में कीमतों को बढ़ने से रोका जा सका है ?

†**श्री स० का० पाटिल :** उड़ीसा की स्थिति अभी कुछ खराब है क्योंकि वहां बाढ़ें और सूखा आदि रहा है , किंतु विशेष उपाय किए जा रहे हैं । केवल दो या तीन दिन

---

†मूल अंग्रजी में

पहले वहां के मुख्य मंत्री यहां थे और हम तीन या चार दिनों में दूसरी बैठक करने वाले है । उड़ीसा को माल भेजने के लिये हर कोशिश की जा रही है ताकि वहां कीमतें टिकी रहें ।

†**श्री सोनावने :** खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि का अनुमान लगाने में, क्या थोक कीमतों को ही ध्यान रखा गया है ? उपभोक्ता अपनी आवश्यकता की सामग्री खुदरा व्यापारियों से खरीदते है । क्या खुदरा व्यापारियों के मूल्य का अनुमान लगाने का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री स०का० पाटिल :** निस्सन्देह । उपभोक्ता का खुदरा व्यापारी से संबंध होता है न कि थोक व्यापारी से और इस कारण प्रत्येक खुदरा व्यापारी को प्रत्येक वस्तु पर कीमतें लिखनी होंगी ; यह कार्य अनिवार्य होगा । ये कीमतें सरकार द्वारा प्रत्येक पहलू पर विचार करके नियत की जाएंगी ।

श्री यशपाल सिंह : क्या यह सच है कि जो गेहूं हम से १४ रुपये मन बोने के वक्त खरीदा गया था, उसी को हम १६ रुपए मन खरीद कर लाए हैं और जिन व्यापारियों ने ये मूल्य बढ़ाए हैं, उन को कोई सजा नहीं दी गई ?

श्री स० का० पाटिल : वह तो पुरानी चीज है । जब से इमर्जेन्सी शुरू हुई है, व्यापारियों से बहुत ज्यादा को आपरेशन मिल रहा है । जब तक स्थिति नहीं बदलेगी, तब तक उन के खिलाफ कुछ करना मुझे अच्छा नहीं लगता है ।

श्री अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि जब से सोने के वांड्ज निकले हैं, तब तक गल्ले की कीमत काफी गिर गई है ?

†**श्री स० का० पाटिल :** नहीं । कितनी बढ़ी है, वह तो मैं ने बता दिया है । मैं ने अभी बताया है कि सितम्बर में क्या पोजीशन थी । मैं नहीं मानता हूं कि कीमत इतनी बढ़ी है जितनी कि... (**अन्तर्बाधा**)

कुछ माननीय सदस्य : वह कहते हैं कि गिर गई है ।

†**श्री कोया :** कमी वाले क्षत्रों में कीमतें बढ़ने का एक कारण माल डिब्बों की कमी बताया जाता है । सरकार ने इस को पूरा करने के लिये क्या प्रबंध किये है ।

†**श्री स० का० पाटिल :** : सब कुछ किया जा रहा है । जहां तक युद्ध खण्ड का संबंध है, आप जानते हैं कि यह युद्ध-स्तर पर हो रहा है । अन्य चीजों में खाद्यान्नों को प्राथमिकता होगी ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ :** क्या सरकार ने खाद्य खण्डों, विशेष कर चावल खण्ड में नियंत्रण को ढीला का विचार किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० का० पाटिल :** ढील करने का प्रश्न अधिकतर इस बात पर निर्भर है कि प्रतिदिन स्थिति कैसी होती है क्योंकि हम हर रोज इस को देख र हैं । यदि स्थिति अच्छी होगी तो हम इस में निश्चय ही ढील कर देंगे ।

श्री प्रिय गुप्त : मिनिस्टर महोदय ने बताया है कि इन्क्रीज्ड रेट्स से फार्मर्ज को नफा होता है, लेकिन जहां तक हम लोगों को खबर है, जो बढ़ती होती है, उस से मिडल-मैन, प्राफिटीयरिंग मैन, फायदा उठाते है । क्या मिनिस्टर महोदय मेहरबानी कर के यह जांच करेंगे कि वें भावों को फार्मर्ज के लिए नहीं घटाना चाहते या प्राफिटीयरिंग मैन के लिए नहीं घटाना चाहते---वह किस के फायदे के लिए नहीं घटाना चाहते ?

श्री स० का० पाटिल : माननीय सदस्य ने शायद सुना नहीं है । मैं ने तो ऐसा कभी नहीं कहा है । मैं ने कहा है कि हम देखेंग कि इस में फार्मर या काश्तकार का नुकसान न हो । और भी कोशिश हो रही है कि उस को कुछ ज्यादा मिले । जहां पर फूड डफिसिट है, वहां हम इन्तजाम कर रहे है कि फार्मर को थोड़ा ज्यादा दिया जाये ।

†**श्री मलाइछामी :** विनियमित बाजार किन २ वस्तुओं के लिये स्थापित किये गय है ?

†**श्री शिन्दे :** विभिन्न राज्यों में विनियमित वस्तुओं के लिये विभिन्न भिन्न विनियम है किंतु मुख्यतः चावल और गेहूं जैसे खाद्यान्न बाजारों द्वारा विनियमित होते हैं ।

श्री भानु प्रकाश सिंह : श्रीमन्, क्या मैं जान सकता हूं कि चीनी हमले के बाद तेजपुर के व्यापारियों ने जो भाव बढ़ाये है, उस के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री स० का० पाटिल : मुझ नहीं मालूम कि कहां बढ़ाए है । ऐसा चीन में होगा, इधर नहीं ।

श्री राधेलाल व्यास : अभी माननीय मिनिस्टर साहब ने बतलाया है कि डेफिसिट एरियाज में काश्तकारों को कुछ ज्यादा देंगे : क्या मैं जान सकता हूं कि जो सरप्लस एरिया है, वहां के किसानों को और ज्यादा पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस बारे में एक समान नीति नहीं रखी जायगी और उन किसानों को भी ज्यादा नहीं दिया जायगा ?

श्री स० का० पाटिल : चूंकि हम को ज्यादा दुकानें रखनी होंगी, इसलिए प्रोक्योरमेंट तो करना पड़ेगा । दुकानों को देने के लिए तो हमें चावल और गेहूं अपने पास रखने चाहिएं । इस अवस्था में जो स्टेट्स फूड के बारे में डफिसिट है, वहां किस तरह प्रोक्योर-मेंट होगा ? वहां कुछ न कुछ प्रलोभन तो देना चाहिए । एज ए वार मेजर अब थोड़ी चीज दी जाएगी, ताकि हमें तकलीफ न उठानी पड़े ।

श्री विभूति मिश्र : क्या यह सही है कि खाद्यान्न की कीमत तब बढ़ती है, जब फिनिश्ड गुड्ज का दाम बढ़ता है । क्या सरकार ऐसा सोचती है कि खाद्यान्न और फिनिश्ड गुड्ज का दाम रेसिप्रोकल हो ?

श्री स० का० पाटिल : हमारी मिनिस्ट्री में फिनिश्ड गुड्ज नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

"थेलीडोमाइड" वाली औषधियां

†*४४. **श्री ईश्वर रेड्डी :**
श्री प्र० के० देव :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री विभूति मिश्र :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री नम्बियार :
श्री दाजी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री ज्योति स्वरूप :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कितनी ही ऐसी औषधियां बनाई और बेची जा रही है जिनमें किसी न किसी रूप में 'थेलीडोमाइड' होता है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस भयानक औषधि का किसी भी रूप में निर्माण तथा विक्रय रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

†**स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू)** : (क) भारत सरकार द्वारा की गई जांच से यह पता चला है कि न तो किसी नाम से थालीडोमाइड या थालीडोमाइड वाली कोई औषध देश में उपलब्ध है।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता । तथापि पत्तनों में औषध मानक नियंत्रण अधिकारियों को हिदायतें दे दी गई है कि वे सीमा शुल्क अधिकारियों को व्यक्तिगत सामान के तौर पर इस औषध के बिना आज्ञा आयात के संम्बन्ध में निगरानी रखें और उन यात्रियों को इस का उपयोग करने से हटाने की सलाह दें ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : औषध विशेष थालीडोमाइड के प्रश्न के अतिरिक्त, क्या बाजार में बिकने से पहले सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों के उद्योगों में बनने वाली औषधियां एवं औषधों की बिक्री पूर्व जांच, विश्लेषण या परीक्षण करने के लिये कोई संगठन या तंत्र बनाया गया है ?

†**डा० द० स० राजू** : हमारा बहुत बड़ा संगठन है। देश भर में औषध नियंत्रण निरीक्षक हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : निरीक्षक औषधों का विश्लेषण तथा नियंत्रण नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय। उत्तर बड़ा असंगत है। क्या औषधों का विश्लेषण एवं जांच करने के लिये कोई तंत्र है ? क्या उन का विश्लेषण करने के लिये वैज्ञानिक नहीं हैं। कृपया वरिष्ठ मंत्री उत्तर दें।

†**डा० द० स० राजू** : औषध नियंत्रण निरीक्षक नमूने एकत्र करके उनको वहां भेज देते हैं जहां औषधों की जांच तथा विश्लेषण किया जाता है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : उसे कौन करता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० द० स० राजू :** प्रयोगशाला शिल्पिक तथा विशेषज्ञ ।

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** संभवत: मा० सदस्य आयात किये गये औषधों का उल्लेख कर रहे हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** मैं देश में निर्मित औषधों का जिक्र कर रहा हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह आयात किये गये औषधों का उल्लेख नहीं कर रहे।

†**डा० सुशीला नायर :** आयात किये गये औषधों के लिये भारत सरकार जिम्मेवार है। नमूने लिये जाते हैं और जांच की जाती है। देश में निर्मित औषधों के संबध में, मेरे मा० साथी, ने बता दिया है कि नमूने नियमित रुप से लिये जा रहे हैं और उनकी जांच की जाती है। मैं नहीं कह सकती कि औषध के प्रत्येक बैच की जांच की जाती है। किन्तु इक्का दुक्का जांच की जाती है। इस का विश्लेषण किया जाता है और जहां तक संभव होता है औषध अधिनियम के उपबन्धों को लागू किया जाता है।

†**श्री दाजी :** क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है यद्यपि पालीडो माइट बिक्री के लिये खुली नहीं है, इन्हीं तत्वों वाली औषधों बिक्री के लिये हैं और यदि हां, तो उन को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**डा० द० स० राजू :** थाली डो माइड के सामन वस्तु से बनी तीन औषधों बाजार में हैं। डोरीडोन, मैजीमाइड और हाई ग्रोटोन। किन्तु उसकी रासयनिक रचना थालीडो माइड से मेल नहीं खाती। इन में से किसी में भी थालीडो माइड के दो तत्व नहीं हैं किन्तु केवल एक तत्व है। स्वाभावत: चिकित्सा विषय प्रभाव में अन्तर होता है।

†**श्री तिरुमल राव :** क्या मंत्रालय इस औषध के आयात के लिये लाइसेंस देने के ऊपर कोई नियंत्रण रखता है और यदि हां, तो उस नियंत्रण का क्या तरीका है ?

†**डा० सुशीला नायर :** लाइसेंस पारत के औषध नियंत्रक के परामर्श से दिये जाते

देश में प्लेग का खतरा

\+

†*४५. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री प० कुन्हन :
श्री नम्बियार :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री बाल्मीकी :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की पन्द्रहवीं प्रादेशिक समिति को, जिसकी बैठक सितम्बर, १९६२ में नई दिल्ली में हुई थी, बताया कि आन्ध्र प्रदेश, मद्रास और मैसूर राज्यों में प्लेग रोक बढ़ रहा है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने वहां के जन साधारण को इस खतरे की चेतावनी दे दी है ; और

(ग) अन्य राज्यों में इस रोग के फैलने से रोकने के लिए और क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) :** (क) और (ख) जी, हां।

(ग) अन्य रोज्यों में इस के फैलने को रोकने के लिये निम्न अग्रतर कदम उठाये गये हैं :—

(१) स्पानों फ्यूमिगेशन

(२) इन्सैक्टीसाइडल छिड़कना

(३) प्लेग नाशक टीके

(४) रोगियों का इलाज

(५) जांच पड़ताल

(६) स्वास्थ्य शिक्षा

मैसूर, मद्रास और आंध्र प्रदेश सरकारों को भी साथ में काम करने तथा इन राज्यों में प्लेग के कीड़ों को समाप्त करने के लिये गहन कार्य करने के लिये मंत्रणा दी गई है।

चीनी का मूल्य

+

†४६. **श्री उमानाथ :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, १९६२ में कुछ राज्यों में चीनी के मूल्य में वृद्धि हुई ;

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि हुई है ;

(ग) इसे रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की ; और

(घ) यदि विभिन्न राज्यों को चीनी का अतिरिक्त कोटा दिया गया है तो कितना ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा-सचिव (श्री शिन्दे) : (क) और (ख) जी हां। मूल्यों में थोड़ी वृद्धि हुई थी।

(ग) और (घ) ८२००० मीट्रिक टन का विशेष संभरण ५ सितम्बर को किया गया था और १४ सितम्बर, १९६२ को २.५ लाख मीट्रिक टन का दूसरा संभरण किया गया था।

---

†मूल अंग्रजी में

†श्री उमानाथ : क्या यह थोक कीमत निश्चित होने के पश्चात मूल्य गिर गये हैं और यदि हां, तो किस मात्रा तक और यह किन राज्यों में निश्चित किये गये हैं?

†श्री शिन्दे : मूल्य १ रुपये से २ रुपये के बीच प्रति मन के हिसाब से गिर गये हैं। इसका अर्थ यह है कि अब पूरा अन्तर दूर कर दिया गया है और विभिन्न राज्यों में प्रचलित वर्तमान मूल्य प्रायः उसी स्तर पर हैं जिस पर वे नियंत्रण के समय थे।

†श्री उमानाथ : ये स्टाक किन राज्यों को दिये गये हैं?

†श्री शिन्दे : यह स्थिति देश में कुछ भागों को छोड़ कर प्रायः सभी राज्यों में है।

†श्रीमती सावित्री निगम : क्या मा० सदस्य को विदित है कि कुछ राज्यों में विशेष कर उत्तर प्रदेश में खुदरा कीमतें दो आना प्रति सेर के हिसाब से बढ़ गई हैं?

†श्री शिन्दे : सरकार के पास जो सूचना है उसके अनुसार, इस समय कम से कम अक्तूबर के महीने में, यह स्थिति नहीं थी।

भारत का सर्वोत्तम गांव

+

†*४७. { श्री श्रीनारायण दास :
श्री विभूति मिश्र :
श्री दशरथ देव :

क्या **सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६१–६२ में भारत का सर्वोत्तम गांव चुनने के लिये कोई राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता हुई थी;

(ख) यदि हां, तो जो गांव सर्वोत्तम माना गया है उस का नाम तथा स्थान क्या है;

(ग) उस गांव की कौन सी विशेष बातें हैं जिनके कारण वह सर्वोत्तम गांव चुना गया है; और

(घ) क्या पारितोषिक दिया गया है?

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) जी हां।

(ख) गांव सरसा, खण्ड फतहपुर सीकरी, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश।

(ग) इस गांव की सब से उत्तम बात यह थी कि इसने प्रभावी उत्पादन योजना, सामुदायिक प्रयत्न तथा लगातार देखभाल के द्वारा प्रति एकड़ ३९ मन गेहूं का औसत उत्पादन किया था। पूरे गांव में उत्तम बीजों का प्रयोग किया जाता था। गांव की सहकारी संस्था में धन लौटाने में विलम्ब की प्रतिशतता शून्य थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) ५००० रुपये।

†**श्री श्रीनारायण दास :** इस प्रतियोगिता के लिये क्या कसौटी निर्धारित कर दी गई थी ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति :** मुख्य कसौती उत्पादन में विशेषकर कृषि, सिंचाई, सहकार, पशुपालन और संबद्ध मदों के उत्पादन में वृद्धि की है।

†**श्री श्रीनारायण दास :** कितने गांवों को ध्यान में रखा गया था ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति :** प्रतियोगिता सब राज्यों में है। इसलिये प्रत्येक राज्य से एक गांव राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेगा।

†**श्री विभूति मिश्र :** इस कम्पीटीशन में पैकेज प्रोग्राम के कितने गांव थे और कितने ऐसे थें जो नान-पैकेज़ प्रोग्राम के थे ? साथ ही मैं जानना चाहता हूं कि जिन पैकेज़ प्रोग्राम के गांवों ने कम्पनीटीशन में भाग लिया, उन पर सरकार का कितना खर्च हुआ ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति :** पैकेज़ जिलों तथा अन्य जिलों में कोई अन्तर नहीं है। राज्य अपना सर्वोत्तम गांव चुनेगी और केन्द्र में हम प्रत्येक राज्य द्वारा चुने गये गांवों के काम का निर्णय करेंगे।

†**श्री भागवत झा आजाद :** क्या यह सही है कि दूसरा सर्वोत्तम गांव जो पहला होना चाहिये था, बिहार में था और यह प्रथम नहीं आ सका क्योंकि राज्य सरकारों को गलत आंकड़े दिये गये थे ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति :** मा० सदस्य राज्य सरकार से शिकायत कर सकते हैं।

†**श्री भागवत झा आजाद :** क्या केन्द्र सरकार संख्या कि का निर्णय करने को सक्षय और कुशल है ?

†**श्रीमती सावित्री निगम:** इस गांव को क्या पारितोषक दिया गया था और क्या यह प्रतियोगिता प्रतिवर्ष होती है या प्रति छः महीनों में ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति :** मैं बता चुका हूं कि ५००० रुपये का पारितोषिक दिया गया था। यह वार्षिक प्रतियोगिता होती है ?

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि विल्लेज़िज़ का चुनाव करने में कितना व्यय हुआ ? अलावा प्राइज़ देने के, विल्लेज़ को पहला चुनने में कितना खर्चा हुआ ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति :** मैं नहीं समझता कि अधिक व्यय होगा क्योंकि खण्ड स्तर पर खण्ड के लोग काम करेंगे, जिला स्तर पर जिला अधिकारी तथा राज्य स्तर पर राज्य के अधिकारी करेंगे। हम केवल कुछ संबद्ध पंचों या सरपंचों को ही नियंत्रित करते हैं और उस के लिये बहुत कम धन खर्च होता है।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ :** इस सफलता के पीछे सामान्य प्रोत्साहन, बल क्या था, क्या सरकारी अभिकरण या गैर सरकारी अभिकरण ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब० सू० मूर्ति :** मिला जुला अभिकरण ।

†**श्री कृ० चं० पंत :** क्या गांव में परिवार नियोजन की सफलता या विफलता की सर्वोत्तम गांव निर्धारित करने में एक कसौटी थी ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति :** अभी तक, परिवार नियोजन एक मुख्य बात के तौर पर शामिल नहीं की गई है, किन्तु जो लोग वहां हैं वे इस को भी ध्यान में रखेंगे ।

गुलाटी आयोग का प्रतिवेदन

+

†*४८. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री जसवंत मेहता :
श्री प० कुन्हन :
श्री प्र० के० देव :
श्री कोल्ला वैंकैया :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री मोहसिन :
श्री भा० दा० देशमुख :
श्री शिवाजी राव शं० देशमुख :
श्री जेधे :
श्री रावन दले :
श्री वि० तु० पाटिल :
श्री जु० शं० पाटिल :
श्री किशनवीर :
श्री तुलशी दास जाधव :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बिशन चंद्र सेठ :
श्री यलमंदा रेड्डी :
श्री वारियर :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृष्णा और गोदावरी नदियों के जल के वितरण संबंधी गुलाटी आयोग के प्रतिवेदन पर अन्तिम रुप में विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन के कब से कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) प्रतिवेदन अभी तक सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० क० गोपालन :** क्या संबद्ध राज्यों से कोई सिफारिश या मत प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो वे क्या हैं ?

†**श्री अलगेशन :** अभी प्राप्त नहीं हुए। हमने प्रतिवेदन की प्रतियां संबद्ध राज्यों को भेज दी हैं। हमें उनका की प्रतिक्रिया अभी तक मालूम नहीं हुई। हमें शीघ्र ही यह प्राप्त हो जाएगी।

†**श्री नरेन्द्रसिंह महीड़ा :** औचित्य प्रश्न है। एक मा० उपमंत्री सभा में बुन रही है। क्या इस की अनुमति दी गई है ?

†**श्री फ्रेंक ऐंथनी :** एक उपसमिति हो रही है।

†**शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती रामचन्द्रन)** यदि इस का निषेध है, तो ऐसा नहीं करूंगी।

†**अध्यक्ष महोदय :** यहां जो कुछ भी हो वह सभा के कार्य के सम्बन्ध में ही चाहिये, अन्य किसी काम के सम्बन्ध में नहीं। प्रश्न काल पूरा हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अपर सिलेरू परियोजना

†*४९. **श्री कोल्ला वेंकैया :**
श्री यु० द० सिंह :
श्री पें० वेंकटासुब्बय्या :
श्री प्र० के० देव :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री २८ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ६६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा के मुख्य मंत्रियों में सितम्बर, १९६२ में उनकी बैठक में अपर सिलेरू परियोजना के सम्बन्ध में कोई समझौता हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस समझौते का ब्योरा क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) जी, हां।

(ख) करार की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० ४८७/६२]**

हिन्दुस्तान शिपयार्ड

†*५०. **श्री मुरारका :**
श्री कृ० चं० पन्त :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान शिपयार्ड में इस समय बनाये जाने वाले प्रत्येक जहाज पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च आती है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) आयात की जाने वाली वस्तुओं को कम करने के सम्बन्ध में भविष्य के लिये क्या कार्यक्रम बनाया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली में बिजली संकट

†*५१. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :
श्री प्र० चं० बरुआ ।
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री वारियर :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि धर्मवीर समिति तथा दामले द्वारा जुलाई-अगस्त १९६२ में दिल्ली में बिजली फेल हो जाने के बारे में की गई जांच का क्या परिणाम निकला है और उस के अनुसार क्या कार्यवाही की गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)**: एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९].

पैकज प्रोग्राम

†*५२. **श्री रा० गि० दुबे :**
डा० पू० ना० खां :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री विभूति मिश्र :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० के० देव :
श्री इन्द्रजीतलाल मल्होत्रा :
श्री कर्णी सिंह जी :
श्री महेश्वर नायक :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खाद्य से फसलों की उपज बढ़ाने की दिशा में पैकेज प्रोग्राम के अन्तर्गत देश की विभिन्न मिलों में कितनी प्रगति हुई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) दिल्ली में पैकेज प्रोग्राम जिलों के अधिकारियों का जो सम्मेलन हाल ही में हुआ था उस में की गई चर्चाओं का क्या स्वरूप है; और

(ग) उस में क्या सुझाव दिये गये थे ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-४८८/६२]**

उज्जैन रेलवे स्टेशन पर क्लोरीन सिलन्डर का विस्फोट

†*५३ **श्री विभूति मिश्र :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
डा० मा० श्री० अणे :
श्री बागड़ी :
श्री हेम राज :
श्री यशपालसिंह :
महाराज कुमार विजय आनन्द :
श्री प्र० के० देव :
श्री कजरोलकर :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २१ सितम्बर, १९६२ को उज्जैन रेलवे स्टेशन पर लगभग ३०० व्यक्ति बेहोश हो गये जब वहां ढुलाई के समय एक क्लोरीन सिलंडर फट गया ;

(ख) क्या उस के सम्बन्ध में कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, नहीं । काई विस्फोट नहीं हुआ परन्तु क्लोराइड गैस के एक सिपेन्डर में एक छेद हो गया जिससे बड़ी मात्रा में गैस बाहर आ गई और उससे २७३ व्यक्ति प्रभावित हुए ।

(ख) और (ग) सीनियर स्केल रेलवे अफसर की जांच की गई है और उनके प्रतिवेदन की परीक्षा की जा रहीं है । इस मामले की ग्वालियर के सहायक विस्फोटक, पदार्थ निरीक्षण द्वारा भी छानबीन की जा रही है जिनका प्रतिवेदन अभी प्रतीक्षित है ।

गेहूं के लिये उचित मूल्य वाली दुकानें

†*५४ **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री तन सिंह :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री प० कुन्हन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन क्षेत्रों में जहां भाव बढ़ने लगे हैं, गेहूं और चीनी की बिक्री के लिये बड़ी संख्या में उचित मूल्य वाली दुकानें खोलने के लिये राज्यों को सुझाव दिया है ;

---

†मल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सच है कि भारत के पूर्वी क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमि पर चावल के स्थान पर पटसन की खेती की जाने लगी है ;

(ग) यदि हां, तो उन की आवश्यकता की पूर्ति कैसे की जायेगी; और

(घ) क्या उचित मूल्य वाली दूकानों के द्वारा यह गेहूं का आटा वितरण करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा-सचिव (श्री शिन्दे)** : (क) राज्य सरकारों से उस मात्रा को बढ़ा कर, जो एक व्यक्ति वर्तमान उचित मूल्य की दुकानों से एक समय में खरीद सकता है, और उन क्षेत्रों में जहां पर्याप्त संख्या में ये दुकानें नहीं हैं, उचित मूल्य की अतिरिक्त दुकानें खोल कर गेहूं के वितरण में वृद्धि करने को कहा गया है। चीनी का वितरण उचित मूल्य की दुकानों पर नहीं किया जा रहा है ।

(ख) वर्ष १९६१–६२ में बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में अधिकतर खेती में चावल के स्थान पर पटसन की खेती की जा रही है। अन्य राज्यों में ऐसा नहीं है ।

(ग) इस परिवर्तन से निस्सन्देह इन राज्यों में चावल की उपलब्धता कम हुई है। भारत सरकार के पास खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है जो उपलब्ध संभरण को पूरा करने के लिये दिया जा रहा है ।

(घ) पश्चिम बंगाल, बिहार और आसाम के राज्यों में उचित मूल्य वाली दुकानों के जरिये आटे का वितरण किया जा रहा है ।

गन्ने के दाम

†*५५ **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरूआ :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गन्ना नियंत्रण आदेश, १९५५ और गन्ना नियंत्रण (अतिरिक्त शक्तियां) अधिनियम, १९६२ के उपबन्धों के अधीन १९५८ के मूल्य सम्बन्धन सूत्र सम्बन्धी प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन तथा तत्पश्चात् सभा में इन के द्वारा दिये गये बचनों पर, १ नवम्बर, १९५८ से लेकर १९६१–६२ तक चीनी उत्पादकों द्वारा गन्ना उत्पादकों की दो जाने वाली अतिरिक्त गन्ना कीमत का अनुमान लगाने के लिये नवीन मूल्य सम्बन्धन सूत्र को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) क्या सम्बद्ध चीनी मिलों को उस वास्तविक भुगतान के बारे में सूचना दे दी गई है जो उन्हें गन्ना उत्पादकों को करना है और क्या भुगतान का स्वरूप तथा तरीका भी निश्चित कर दिया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा-सचिव (श्री शिन्दे)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, अभी नहीं । देश के विभिन्न भागों में कारखानों से गन्ना उत्पादकों को देय राशि का निर्धारन करने के लिय व्यवस्था की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मध्य रेलवे के उरई रेलवे स्टेशन पर गार्ड की हत्या

*५६. श्री म० ला द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री बागड़ी :
श्री हेमराज :
श्री प्र० क० देव :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत सितम्बर, मास में मध्य रेलवे के उरई स्टेशन पर छुरे से की गई एक गार्ड की हत्या के सम्बन्ध में कितने छात्र गिरफ्तार किये गये थे ;

(ख) गार्ड की हत्या के क्या कारण थे ;

(ग) विद्यार्थियों तथा अन्य गुंडागिरी करने वालों द्वारा रेलों में उपद्रवों, हत्याओं और अनैतिक कार्यों की रोकथाम के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(घ) मृत गार्ड के परिवार को क्या आर्थिक एवं अन्य सहायता दी गई है अथवा देने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी : (क) इस घटना के सम्बन्ध में ९ विद्यार्थी और २ अध्यापक गिरफ्तार किये गये हैं ।

(ख) गार्ड ने देखा कि विद्यार्थी बिना उपयुक्त टिकट के पहले दर्जे में सफर कर रहे हैं और गाड़ी के चलने में रुकावट डाल रहे हैं । उसने कानूनी कार्रवाई के लिये उन्हें पुलिस के हवाले करना चाहा इस पर उसे छुरा भौंक दिया गया ।

(ग) यद्यपि कानून और व्यवस्था कायम रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर है, फिर भी रेल-प्रशासन ने इस दुर्घटना के बाद इस सैक्शन पर चलने वाली सभी सवारी और माल गाड़ियों को रेलवे सुरक्षा-दल की निगरानी में चलाने और समय-समय पर मजिस्ट्रेट द्वारा जांच कराने का प्रबन्ध किया है ।

(घ) मृत गार्ड की विधवा पत्नी को अनुग्रह के रूप में तत्काल ५०० रुपये दिये गये । उनके एक लड़के को गार्ड के पद पर नियुक्त किया गया है और वह इस समय ट्रेनिंग पा रहा है । मृत कर्मचारी के बच्चों की पढ़ाई के लिये कर्मचारी-हित निधि से सहायता देने के सवाल पर भी सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

कोरबा तापीय बिजली घर

†*५७. श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री बसुमतारी :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में कोरबा तापीय बिजलीघर के लिये रूस द्वारा ११.२७ करोड़ रुपये के साज सामान के संभरण सम्बन्धी संविदा अभी हाल में तय हो चुका है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) संविदा की मुख्य शर्तें क्या हैं ;

(ग) इस योजना की लागत कितनी है और इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च आयेगी; और

(घ) क्या सामान प्राप्त हो चुका है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां ।

(ख) संयंत्र और उपकरण रूसी ऋण व्यवस्था के अन्तर्गत प्राप्त किये जा रहे हैं ।

(ग) कोरबा तापीय विद्युत केन्द्र एक्स्टेंशन की कुल लागत १९ करोड़ आंकी गई है जिसमें से विदेशी मुद्रा का भाग १२·२२ करोड़ रुपये है ।

(घ) अंशतः लदान हो गया है और सारा उपकरण धीरे धीरे १९६५ की पहली तिमाही तक आ जाने की आशा है ।

सड़क बोर्ड

†*५८. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री श्याम लाल सर्राफ :
श्री बसुमतारी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ७ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ७९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क बोर्ड स्थापित करने की दिशा में कोई अन्तिम निर्देश किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो देरी का क्या कारण है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग) मामला अभी विचाराधीन है और निर्णय लेने में कुछ समय लगेगा ;

चीनी उद्योग के उपोत्पाद

†*५९. **श्री भा० दा० देशमुख :**
श्री शिवाजी राव शं० देशमुख :
श्री जेधे :
श्री रावनदले :
श्री वि० तु० पाटिल :
श्री जु० शं० पाटिल :
श्री किशनवीर :
श्री तुलशीदास जाधव :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी उद्योग के उपोत्पादों के प्रयोग के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(ख) क्या सरकार का इरादा पशु-खाद्य को सुधारने के लिये उपोत्पादों से पशु खाद्य बनाने के लिये कोई कदम उठाने का है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा सचिव (श्री शिन्दे)** : (क) सरकार ने शीरा से औद्योगिक शराब बनाने के लिये आसवनशाला स्थापित करने के लिये और खोई से कागज और गत्ता बनाने के लिये लाइसेंस दिये हैं। सल्फिटेशन प्रेस की गन्द को खाद के रूप में इस्तेमाल करने को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और इस प्रेस गेंद से गन्ना गोंद बनाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(ख) यह मामला उद्योगपतियों के बिचार के लिये है।

देसी औषधियों की केन्द्रीय अनुसंधान संस्था, जामनगर

†*६०. **श्री द्वा० ना० तिवारी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देसी औषधि की केन्द्रीय अनुसन्धान संस्था, जामनगर के व्यवस्था, प्रबन्ध और नियन्त्रण में कोई मामूल परिवर्तन करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) और (ख). भारत सरकार देशीय औषधि की केन्द्रीय अनुसन्धान संस्था, आयुर्वेद में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण केन्द्र और गुलाब कुंवेरबा आयुर्वेदिक सोसायटी, जामनगर द्वारा चलाये जा रहे आयुर्वेदिक कालिज को एक संस्था में विलय करने और इसको एक सरकारी निकाय के अधीन रखने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

प्रयाग स्टेशन पर भीड़ द्वारा आक्रमण

†*६१. **श्री हेमराज :**
श्री राम रतन गुप्त :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २८ सितम्बर, को उत्तर रेलवे के प्रयाग रेलवे स्टेशन पर कुछ सौ लोगों की भीड़ ने रेलवे मैजिस्ट्रेट के कमरे को घेर लिया जब कि वे बिना टिकट के यात्रियों के मुकदमे की सुनवाई कर रहे थे ?

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस उपद्रवी भीड़ के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई ; और

(घ) ऐसी गन्दी घटनाओं के विरुद्ध सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख), जी, हां। प्रयाग स्टेशन पर एक टिकट कलेक्टर और एक पुलिस कांस्टेबिल के बीच हाथापायी के फलस्वरूप ४०/५० व्यक्तियों की एक भीड़ रेलवे मजिस्ट्रेट के न्यायालय कक्ष के बाहर उनकी अनुपस्थिति में इकट्ठी हुई और पहले गिरफ्तार किये गये २७ बिना टिकट यात्रियों को छुड़ा लिया।

(ग) पुलिस ने बिना टिकट यात्रियों में से ७ को फिर गिरफ्तार करके भारतीय दण्ड संहिता की धारा १४७/३३२/२२४/२२५/४२६ के अधीन मामला कर लिया और इसकी छानबीन जारी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) विधि तथा व्यवस्था बनाये रखना राज्य सरकार का काम है जो अपने उत्तरदायित्वों के प्रति जागरुक हैं।

लकड़ी के स्लीपरों का पाकिस्तान को बह जाना

*६२. **श्री मोहन स्वरूप :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री बेरवा कोटा :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि जम्मू में अखनूर में चनाव नदी के तट पर रखे हुए २० हजार स्लीपर हाल में बाढ़ में वह कर पाकिस्तान चले गये ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) :(क) और (ख) : भारत सरकार को पता चला है कि चनाब नदी की हाल की बाढ़ों से २७,५०० लकड़ी के छोटे टुकड़े बहकर पाकिस्तान चले गये हैं।

दिल्ली जल संभरण

†*६३. **श्री बिशन चन्द्र सेठ :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री देहली जल संभरण के बारे में ७ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग पहलू सम्बन्धी उस शंका के सम्बन्ध में जांच की गई है जो कि पंजाब सिंचाई मंत्री के साथ चर्चा में बनाई गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उस का क्या ब्यौरा है ;

(ग) क्या टौंस नदी पर ७६० फुट ऊंचा बांध बनाने की प्रस्तावना पर विचार किया गया है और

(घ) यदि हां, तो कब तक इस के बनाने की संभावना है।

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा०सुशीला नायर)** : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दामोदर घाटी निगम के मुख्यालय का स्थानान्तरण

†*६४. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री द्वा० ना० तिवारी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दामोदर घाटी निगम के मुख्यालय को कलकत्ता से माइथान स्थानान्तरित करने लिये कोई अन्तिम निर्णय किया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सरकार का ध्यान दामोदर घाटी परियोजना कर्मचारी संघ के प्रधान के उस वक्तव्य की ओर दिलाया है जिसमें कहा गया कि देरी के कारण योजना के कर्मचारियों में असन्तोष था ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में कब तक निर्णय की आशा है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (ी अलगेशन)** : (क) जी हां, । विद्युत् विभाग के आपरेशन और मेन्टेनेन्स विंग को यथासंभव शीघ्र माइथान स्थानान्तरित करने का फैसला किया गया है। इसके अतिरिक्त निगम का थोड़े थोड़े करके उन कर्मचारियों को, जो माइथान में अथवा घाटी के अन्य किसी स्थान में अच्छी प्रकार कार्य कर सकते हैं, स्थानान्तरित करने का विचार है। तथापि अभी तक इस निर्णय के आधार पर कोई वास्तविक स्थानान्तरण नहीं हुआ है।

(ख) दामोदर घाटी परियोजना कर्मचारी संघ नामक कोई संघ नहीं है। तथापि, दामोदर घाटी निगम कर्मचारी संघ के सचिव ने इस बारे में बिहार सरकार को अभ्यावेदन किया है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

चिपलीमा परियोजना

†*६५. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :**
श्री मलिक :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री ५ सितम्बर १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २२९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हीराकुड परियोजना के दूसरे प्रक्रम, चिपलीमा परियोजना से कुछ बिजली पश्चिमी बंगाल और बिहार के कोयला क्षेत्र को देने की योजना को अन्तिम रुप दे दिया गया है ?

(ख) किन विशिष्ट कोयला क्षेत्रों के लिये यह बिजली दी जायेगी ; और

(ग) कुल कितनी बिजली दी जाने वाली है और कितने वर्षों तक और किस दर पर ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य–मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां।

(ख) दामोदर घाटी निगम ग्रिड में बिजली बनाई जा रही है जो पश्चिमी बंगाल और बिहार क्षेत्र के कोयला क्षेत्रों को दी जाती है।

(ग) प्रथमतः एक वर्ष के लिये २५ मेगावाट। बिजली के संभरण की दर प्रति मास प्रति के० वी० ए० ५.५० रुपये और ८ नये पैसे प्रति के० डब्ल्यू० एच० है।

गैर-सरकारी विमान कम्पनियां

†*६६: **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई गैर-सरकारी विमान कम्पनियां मिल कर एक बड़ी कम्पनी बना रही हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) वे किन नये मार्गों के लिये कोशिश कर रहे हैं ; और

(ग) उनके विमान नियमित रुप से प्रतिदिन सामान ले जाने वाले कितने चक्कर लगाते हैं और कहां कहां ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

राजामुन्दरी में गोदावरी पर रेलवे पुल

†*६७. **श्री द० ब० राजू** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजामुन्दरी में गोदावरी पर एक अतिरिक्त रेलवे पुल बनाने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है और सरकार ने पुल के स्थान के बारे में कोई निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो कब काम आरम्भ करने की संभावना है ; और

(ग) क्या मुख्य सड़क को जोड़ने के लिये राजामुन्दरी पर गोदावरी के ऊपर वर्तमान रेलवे पुल पर सड़क यातायात की व्यवस्था करने की कोई प्रस्तावना विचाराधीन है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). गोदावरी नदी पर एक दूसरा रेलवे पुल बनाने समेत कोव्वूर और गोदावरी के बीच (२.७५ मील) लाइन को दोहरा करने पर विचार किया जा रहा है। रेलवे पुल वर्तमान पुल के ऊपर की ओर लगभग ४०० फुट की दूरी पर स्थपित किये जाने की संभावना है ।

(ग) जी नहीं ।

पूर्वी पाकिस्तान द्वारा जहाजों का रोका जाना

†*६८. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता की एक नौवहन कम्पनी के कई जहाजों को पूर्वी पाकिस्तान द्वारा हाल ही में अवैधानिक रूप से रोका गया है ;

(ख) यदि हां, क्या पूर्वी पाकिस्तान सरकार ने कई कारण बताये हैं ; और

(ग) क्या भारत सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या १०]**

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में पानी की कमी

†*६९. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह:
श्री दी० चं० शर्मा:
श्री राम रतन गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया:
श्री प्र० चं० बरुआ:
श्री यशपाल सिंह:
श्री विभूति मिश्र:
श्रीमती सावित्री निगम:
श्री स० मो० बनर्जी:
श्री दाजी:
श्री भागवत झा आजाद:
श्री भक्त दर्शन:
श्री प्रकाशवीर शास्त्री:
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती:
श्री रा० गि० दुबे:
श्री नम्बियार:
श्रीमती मैमूना सुल्तान:
श्री हरिश्चन्द्र माथुर:
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री यु० द० सिंह:
श्री पें० वेंकटासुब्बया:
श्री कजरोलकर:

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १७ सितम्बर, १९६२ को चन्द्रावल वर्कस के खराब होने से दिल्ली में पानी की गम्भीर कमी हो कयी थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) खराब हुये उपकरणों की अनुमानित लागत क्या है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) १७ सितम्बर, १९६२ को चन्द्रावल वाटर वर्क्स संख्या २ में खराबी हो जाने के कारण दिल्ली में पानी का सीमित संभरण हुआ। सरकार को पता नहीं है कि शहर में पानी की कोई गम्भीर कमी हुई है।

(ख) चन्द्रावल वाटर वर्क्स संख्या २ में ३७" पानी के मेन को 'I' ज्वाइंट को मजबूत रखने के लिये कंक्रीट का एक ब्लाक बनाया गया था। इस ब्लाक के नीचे की भूमि पानी रिसने के कारण गीली हो गयी थी और यह ब्लाक सरक गया। 'I' प्वाइंट से रास्ता हो गया और पम्प हाउस में पानी भर गया।

(ग) नगर निगम से यह पता लगाया गया है कि किसी उपकरण को भारी क्षति नहीं पहुंची।

---

†मूल अंग्रेजी में

अमरीका को चीनी का निर्यात

†*७०. श्री रामेश्वर टांटिया:
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह:
श्री राम रतन गुप्त :
श्री बसुमतारी:
श्री सरजू पाण्डेय:
श्री सुबोध हंसदा:
डा० पू० ना० खां:
श्री स० चं० सामन्त :
श्री नि० रं० लास्कर:

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमेरिका ने भारत को देशों के उस दल में शामिल कर लिया है जो अमरीकी 'ग्लोबल सिस्टम' के अधीन उस देश को चीनी बेचेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो भारत उस प्रणाली के अधीन अमेरिका को कितनी चीनी देगा तथा कब तक ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा सचिव (श्री शिन्दे): (क) जी, हां ।

(ख) 'ग्लोबल सिस्टम' के अन्तर्गत कोई देश-वार अभ्यंश नहीं है । भारत ३५,३५७ मीटरिक टन बेच सका है और पूरी मात्रा भेज दी गयी है ।

उर्वरक का मूल्य

†*७१. श्री प्र० चं० बरुआ: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने अभी हाल में यह निश्चय किया है कि नाइट्रोजन वाले उर्वरक जो 'पूल' प्रणाली के अन्तर्गत आते थे, एक ही कीमत पर देश के सारे बागानों को बेचे जायेंगे जिससे कि विभिन्न बागानों को दिये जाने वाले उर्वरकों की कीमतों के बीच विषमता दूर हो सके ; और

(ख) यदि हां, तो बागानों को यह किस समान दर पर बेचा जायेगा ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां । १-९-१९६१ से ।

		रुपये
(ख)	अमोनियम सल्फेट	३५४.६०
	अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट	४००.००
	ऊरिया	६७०.००
	केल्शियम अमोनियम नाईट्रेट (क) ४-१०-६२ तक	३१०.००
	(ख) ५-१०-६२ से	२७८.००

†मूल अंग्रेजी में

शाहदरा (दिल्ली) में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना

*७२. श्री भक्त दर्शन:
श्री भागवत झा आजाद:
श्री विशन चन्द्र सेठ :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १० अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शाहदरा (दिल्ली) में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को भी अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के लाभ देने के बारे में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या इस योजना को गाजियाबाद में भी लागू करने का कोई प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) यह विषय अभी विचाराधीन है ।

(ख) जी नहीं ।

नकली दवाइयां

*७३. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती:
श्री विशन चन्द्र सेठ :
श्री प्र० के० देव :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा:
श्री हेम राज :
श्री यलमंदा रेड्डी:
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भारी मात्रा में नकली दवाओं के निर्माण को रोकने के लिये कोई और विशेष योजना बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को राज्य सरकार से कुछ सुझाव मिले हैं और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में संसद् में कोई विधेयक प्रस्तुत करने का है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) और (ख). नकली दवाओं के निर्माण को रोकने के लिये अभी तक कोई विशेष योजना नहीं बनाई गई है । तथापि स्वास्थ्य मंत्रालय में एक समिति बना दी गई है । इस समिति का एक निर्देश-पद (टर्म्स आफ रेंफरेंस)

---

†मूल अंग्रेजी में

मार्केट में नकली एवं प्रमाप दवाओं का निर्धारण करना है। आशा है यह समिति मई/जून, १९६३ तक अपनी रिपोर्ट दे देगी। इसके अतिरिक्त भारत सरकार नकली दवाओं के निर्माण को रोकने के मार्गोपायों पर भी विचार कर रही है।

(ग) महाराष्ट्र सरकार ने सुझाव दिया है कि औषध अधिनियम में एक ऐसा उपबन्ध होना चाहिये जिसके आधार पर सरकार उन निर्माता फर्मों का नाम प्रकाशित कर सके जिनकी दवायें अच्छे गुणस्तर की न पाई जायें अथवा नकली पाई जायें। इस सुझाव पर विचार किया जा रहा है।

(घ) औषध अधिनियम में संशोधन करने के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

डुमरांव रेलवे दुर्घटना की जांच

†*७४. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दाजी:
श्री प्रकाशवीर शास्त्री:
श्री प्र० के० देव:

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डुमरांव रेलवे दुर्घटना की जांच समाप्त हो गयी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) यदि नहीं, यह प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर दिया जायेगा ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) जी, नहीं।

(ख) आयोग ने अभी तक उपपत्तियां तैयार नहीं की हैं।

(ग) प्रतिवेदन को दिसम्बर, १९६२ के पहले हफ्ते तक अन्तिम रूप दिये जाने की आशा है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन

†*७५. श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :
श्री रा० गि० दुबे :
श्री विशन चन्द सेठ :
श्री यशपाल सिंह:
श्री पें० वेंकटासुब्बया:
श्री यु० द० सिंह:
श्री बालकृष्ण वासनिक:

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन को दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति की बैठक इस वर्ष सितम्बर में नई दिल्ली में हुई थी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कौन से मुख्य निश्चय किये गये और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कौन सी योजनायें स्वीकार कीं ; और

(ग) उन निश्चयों के आधार पर सरकार द्वारा कौन सी कार्यवाही की जायेगी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर:)** (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

(पुस्तकालय में रखा गया । [देखिये संख्या एल० टी० ४८९–६२]

(ग) समिति द्वारा स्वीकृत संकल्प सरकार के विचाराधीन हैं ।

विशाखापट्नम् पत्तन

†*७६. **श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :**
श्री प्र० के० देव :
श्री कोल्ला वेंकय्या :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पत्तन बोर्ड ने, जिसकी हाल में विशाखापटनम में बैठक हुई थी, यह निश्चय किया कि विशाखापटनम पत्तन का अग्रेतर विकास किया जाये जिससे कि हुगली नदी में रेत भर जाने के कारण कलकत्ता से इधर को आने वाले यातायात को यह संभाल सके ; और

(ख) क्या इस विकास के विभिन्न प्रक्रमों के सम्बन्ध में कोई कार्यक्रम निश्चित किया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राजबहादुर):** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मालडिब्बों का अर्जन

†*७७. **श्री द्वा० ना० तिवारी :**
श्री दलजीत सिंह :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना में निर्धारित संख्या से अधिक माल डिब्बे अर्जित करने का निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है तथा वे कहां से मंगाये जायेंगे ; और

(ग) अतिरिक्त डिब्बों को प्राप्त करने में कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की जायेगी ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** (क) जी, हां ।

(ख) देश में आयातित पहियों और इस्पात से ३५,३२० बनाये जायेंगे ।

(ग) लगभग १७ करोड़ रुपये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय जल संभरण तथा सफाई समिति

†*७८. { **श्री बिशन चन्द सेठ :**
श्री हेम राज :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २० अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ४३९ और ४६७ के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय जल संभरण तथा सफाई समिति की सिफारिशों पर राज्य सरकारों ने विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इससे नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों की जल समस्या कहां तक हल हुई है ;

(ग) क्या संघ मंत्रालय में पीने के जल सम्बन्धी असंविहित बोर्ड की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार हो रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो बोर्ड की क्या शक्तियां और कृत्य होंगे ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)**: (क) और (ख). राज्य सरकारों से प्राप्त और उत्तरों से यह पता चलता है कि राष्ट्रीय जल संभरण और स्वच्छता समिति की सिफारिशें अभी विचाराधीन हैं ।

(ग) जी, हां, परन्तु इस प्रस्ताव को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी डाक्टर

†*७९. { **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह:**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती:
श्रीमती सावित्री निगम:

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने ऐसी त्रिसूत्रीय योजना बनायी है जिसके अधीन नये चिकित्सा स्नातकों तथा सरकारी डाक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में एक निश्चित अवधि तक काम करना पड़ेगा तथा उक्त योजना राज्य सरकारों को अमल में लाने के लिये भेज दी गयी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं, और क्या राज्य सरकार उसे लागू करने के लिये सहमत हो गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)**: (क) और (ख). नये चिकित्सा स्नातकों और अन्य सरकारी डाक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने की अनिच्छा को पूर करने के लिये सरकार निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार करती रही है ;

(१) राज्य स्वास्थ्य सेवाओं में स्थायीकरण और दक्षता अवरोध को पार करने की अनुमति तब दी जाये जब मेडिकल अफसर ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमश: २ और ५ वर्ष तक काम कर चुके हों ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) पूर्ण रूप से रजिस्ट्रेशन करने से पूर्व भारतीय चिकित्सा परिषद् की सिफारिश के अनुसार एक वर्ष तक के रोटेरिंग हाउसमैनशिप के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में एक वर्ष की सेवा अवश्य करना चाहिये।

(३) चिकित्सा विद्यार्थियों को उत्तीर्ण होने के बाद ५ वर्ष की अवधि के लिये सरकार में काम करने के लिये एक बांड भरने के लिये छात्रवृत्ति की प्रेरणा।

केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् द्वारा अक्तूबर, १९६२ में महाबलेश्वर में हुई इसकी हाल की बैठक में इन सुझावों पर विचार किया गया और इन्हें स्वीकार किया गया और सम्बन्धित प्रस्ताव क्रियान्वयन के लिये राज्य सरकारों/प्रशासनों को भेजा जा रहा है।

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना

†*८०. श्री स० मो० बनर्जी:
श्री उमा नाथ :
श्री भक्त दर्शन:
श्री भागवत झा आजाद:

क्या स्वास्थ्य मंत्री २२ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ९४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई नगर के पेंशन पाने वाले कर्मचारी भी अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत आयेंगे ;

(ख) क्या दिल्ली के पेंशन पाने वाले कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मिल रहा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे अमल में लाने में विलम्ब क्यों किया जा रहा है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) मामला विचाराधीन है।

उपभोक्ता सहकारी समितियां

†*८१. श्रीमती मैमूना सुल्तान:
श्री लखमू भवानी:

क्या सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने के लिये उपभोक्ता सहकारी स्टोर्स को प्रोत्साहित करने की योजना है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) दिल्ली में ऐसे कितने स्टोर स्थापित होंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)**: (क) जी, हां। तृतीय पंचवर्षीय योजना में उपभोक्ता सहकारी समितियों के विकास की एक योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है । चालू आपातकाल को ध्यान में रखते हुए इस आन्दोलन को व्यापक करने के लिये भारत सरकार एक अधिक व्यापक योजना तैयार कर रही है ।

(ख) वर्तमान योजना के ब्यौरे बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ११]**

(ग) वर्तमान योजना के अधीन तीसरी योजना में दिल्ली में ६० सहकारी स्टोरों को पुनर्गठित/पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव है । इनमें से वर्ष १९६१-६२ में १२ स्टोरों को पुनर्गठित/पुनर्जीवित किया गया है ।

राष्ट्रीय चेचक कार्यक्रम

†*८२. **श्री हा० ना० तिवारी :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम रतन गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री वासुदेवन् नायर :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री यु० ब० सिंह :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय चेचक कार्यक्रम सम्बन्धी सलाहकार समिति की इन सिफारिशों पर विचार कर लिया है कि या तो इस सम्बन्ध में अधिनियम बनाये जायें अथवा सभी राज्यों में १८९७ का महामारी अधिनियम लागू किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है और यदि नहीं, तो सरकार चेचक की समस्या को हल करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) और (ख). जी, हां । परामर्शदाता समिति की सिफारिशों पर विचार किया गया है और उन सभी क्षेत्रों में, जहां पर चेचक के छितराये हुए मामले भी हैं, महामारी अधिनियम, १९७ के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करने के लिये राज्य सरकारों को परामर्श देने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं ताकि सभी राज्यों को संभरित किये जा रहे टीके ८५ प्रतिशत जनता को लगाये जा सकें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दूसरा शिपयार्ड

†*८३. श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री वारियर :
श्री यु० द० सिंह :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री प्र० के० देब :
श्री यशपाल सिंह :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री हिम्मत सिंहका :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री वासुदेवन् नायर :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री बड़े :
श्री मुरारका :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कोचीन में दूसरा सरकारी शिपयार्ड बनाने के लिए जापान से आर्थिक और प्रविधिक सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां।

(ख) दि मित्सुबिशी शिपबिल्डिंग एण्ड इंजीनियरिंग लिमिटेड, तोक्यो, जापान ने इस बात की जांच करने के लिये कि परियोजना में किस प्रकार प्रगति की जा सकती है, तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल भेजने का प्रस्ताव किया है। जब दल आ जायेगा, अग्रेतर ब्यौरे पर विचार किया जायेगा और इसको अन्तिम रूप दिये जाने पर सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन अस्पताल

†६५. **श्री लक्ष्मी दास** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रणाधीन कितने अस्पताल हैं और वे किन स्थानों पर हैं तथा उन में किस प्रकार के रोगों का इलाज किया जाता है ;

(ख) उन में कितने कर्मचारी हैं ;

(ग) बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, दिल्ली, बंगलौर जैसे बड़े नगरों के अस्पतालों में जो केन्द्रीय स्वास्थ्य विभाग के अधीन हैं, श्रेणीवार कर्मचारियों के मासिक वेतन क्या हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) दो दिल्ली में, सफदरजंग अस्पताल तथा विलिंगडन अस्पताल। इन में सब बीमारियों का इलाज होता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) विलिंगडन अस्पताल—६९७।

सफदरजंग अस्पताल—१२६२।

(ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सीधे नियंत्रण के अधीन केवल दो अस्पताल हैं। वे दिल्ली में हैं। दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों के कर्मचारियों के वेतन मान वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस०ओ० २५१९, दिनांक २५ अक्तूबर, १९६० तथा एस०ओ० १७८५, दिनांक २२ जुलाई, १९६१ में दिये गये हैं।

राष्ट्रीय राजपथ

†६६. **श्री लक्ष्मीदास** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्यवार राष्ट्रीय राजपथों की लम्बाई कितनी है?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)**: अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १२]**।

पंजाब में डाक घर

†६७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य में चालू वर्ष में कुल कितने डाक घर अब तक खोले गये हैं और खोलने का विचार है ;

(ख) खोले गये कितने डाकघरों में तार संचार व्यवस्था की गई है; और

(ग) इसके लिये भावी कार्यक्रम क्या है?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) १-४-६२ से ३१-१०-६२ तक खोले गये....१४३।

चालू वर्ष के शेष महीनों में खोलने का विचार किया गया ६२

(ख) चालू वर्ष में खोले गये किसी भी डाकघर में तार व्यवस्था नहीं की गई है। तथापि दो सार्वजनिक टेलीफोन घर और छः तारघर चालू वर्ष में उन स्थानों पर खोले गये थे जहां १-४-६२ से पहले डाकघर थे।

(ग) ६२६ डाक घर, ८० सार्वजनिक टेलीफोन घर तथा ७० तारघर तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवशिष्ट अवधि में खोले जाने की आशा है।

तीसरी योजना में पंजाब सरकार द्वारा प्रस्तावित ऊपरी/निचले पुल

†६८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिये पंजाब सरकार द्वारा कुल कितने ऊपरी/निचले पुलों का प्रस्ताव किया गया है;

(ख) उन में से कितने पुल केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार किये गये हैं; और

(ग) शेष को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) से (ग) : रेलवे समतल पारणों के स्थान पर ऊपरी/निचले पुलों का निर्माण करती है जब राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार के द्वारा जिसे लागत का अपना अंश देना तथा उसके लिए धन की व्यवस्था करना स्वीकार करना पड़ता है, पक्की प्रार्थना की जाती है।

पंजाब सरकार ने तीसरी योजना अवधि में पांच ऊपरी पुलों को अस्थायी तौर पर शामिल करने का अपना इरादा कर दिया है, किंतु अभी तक रेलवे के पास केवल अमृतसर के तक ऊपरी पुल के संबंध में पक्की मांग प्राप्त हुई है। यह प्रस्ताव रेलवे के विचारधीन है।

पूसा कृषि संस्था

६९. श्री लखमू भवानी :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूसा की भारतीय अनुसंधान संस्था ने बाजरा तथा हाथी घास (नेपियर) के संकर से पशुओं के चारे की दो नई किस्में तैयार की हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में इसके प्रचार तथा सप्लाई के लिए क्या कदम उठाये गये हैं

(ग) इस चारे को प्राप्त करने के क्या तरीके हैं ; और

(घ) उक्त दोनों चारों को जन्म देने वाले व्यक्ति को किस रूप में पुरस्कृत किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां। भारतीय कृषि, अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, ने पशुओं के चारे की घास की दो नई किस्में विकसित की हैं। एक तो बाजरा तथा हाथी घास (नेपियर) के संकर से और दूसरी अंजन घास की दो विभिन्न भौगोलिक किस्मों के संकर से।

(ख) ये घास प्रयोग के लिये किसानों, विभिन्न राज्य और केन्द्रीय कृषि संस्थाओं तथा पशु-चिकित्सा अनुसन्धान संस्थाओं को मुफ्त बांटी गई हैं।

(ग) इन चारे को घासों को उगाने वाली सामग्री कृषि अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्ली—१२ के वनस्पति शास्त्र के प्रमुख से प्राप्त की जा सकती है।

(घ) ये नई किस्में वनस्पतिशास्त्र प्रभाग के अनेक वैज्ञानिक जिन में उस प्रभाग का प्रमुख भी शामिल है, के अनुसन्धानात्मक कार्य का परिणाम हैं। फिर भी एक अफसर को जिस ने इस संबंध में विशेष रूप से अच्छा काम किया, योग्यता उन्नति तथा अग्रिम वेतन वद्धि सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत तीन अग्रिम वेतन वृद्धियां दी गई हैं।

विदेशी पर्यटक

†७०. श्री माते : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि पर्यटन निदेशक विदेशी पर्यटकों से, जो भारत आते हैं, शिकायतें और सुझाव मांगते हैं।

(ख) यदि हां, तो १९६१ और १९६२ में क्रमशः कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) किस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(घ) क्या यह भी सही है कि अधिकांश शिकायतें यात्रा अभिकरणों और दुकानदारों द्वारा धोखा दिये जाने के बारे में हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (घ). भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों के, वर्तमान सुविधाओं और स्वागत सेवा के बारे में मत जानने के लिये १९६१ के अन्त में व्यापार उत्तर लिफाफों पर छपी प्रश्नावली के द्वारा एक मतसर्वेक्षण आरम्भ किया गया था। इस प्रश्नावली में १० प्रश्न हैं जिन में से छः में होटलों, रैस्टरां, परिवहन मार्ग दर्शकों, दुकानों, क्रय-विक्रय, मनोरंजन, प्रशुल्क और आद्रप्रवजन प्रक्रियाओं संबंधी पदों के बारे में मत पूछे गये हैं। सर्वेक्षण एक वर्ष तक चलाने का इरादा है जिसके अन्त में प्राप्त उत्तरों का भी विश्लेषण किया जाएगा। प्रत्येक विषय के अधीन मत भिन्न २ हैं, जो पूर्ण सन्तोष से सर्वथा असंतोष तक हैं।

दूकानों (दुकानों की किस्म, आया अच्छी तरह व्यवस्थित, अच्छी प्रकार सामान रखा हुआ, आदि) तथा की गई खरीद के बारे में जून १९६२ तक, प्राप्त लगभग २००० मदों के प्रारंभिक विश्लेषण का निम्न परिणाम निकला है :

मद	संतुष्ट	असंतुष्ठ	कोई मत व्यक्त नहीं किया गया ।
दुकानें	६८.%	८.३%	२३.७%
खरीद	५८.६%	१७.२%	२४.२%

इसके अतिरिक्त, दूसरा साधन, जिस के द्वारा पर्यटकों की प्रतिक्रिया का अनुमान लगाया जाता है, विविध पर्यटक कार्यालयों में काउंटर पर रखी दर्शक पुस्तक है। कुछ पर्यटक सीधे मुख्यालय को या विविध पर्यटक कार्यालयों को भेज देते हैं, जिनमें रेलवे इंडियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन, प्रशुल्क, मद्य-निषेध, भिखारियों की परेशानी, होटलों, गाइडों और टैक्सी चालकों के विरुद्ध शिकायतें की जाती हैं। क्योंकि शिकायतें समूचे देश में तथा पर्यटन विभाग के मुख्यालय में भी प्राप्त होती हैं तथा उनका वहीं निपटारा किया जाता है, वर्ष १९६१ और १९६२ में प्राप्त ऐसी शिकायतों की कुल संख्या अथवा उन के अलग अलग आंकड़े प्राप्त नहीं हैं। तथापि यह बताया जा सकता है कि विविध शीर्षों के अधीन शिकायतों की वास्तविकता संख्या मालूम नहीं है ।

अधिकांश शिकायतें दुकानदारों के द्वारा धोखा देने के संबंध में होती हैं तथा मान्यताप्राप्त यात्रा अभिकरणों के बारे में शिकायतें बहुत कम हैं।

(ङ) पर्यटन विभाग में या इसके विविध पर्यटक कार्यालयों में प्राप्त सभी शिकायतों की अच्छी तरह जांच की जाती है और उस मामले को ठीक किया जाता है जब तक संतोषजनक हालत न हो जाए। कोई विचार न होने की अवस्था में पर्यटन विभाग का दुकानों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहता और शिकायतों को दुकानदारों के साथ बातचीत कर के ही निपटाया जाता है। होटलों के मामले में, पर्यटन विभाग द्वारा दी गई मान्यता विदेशियों के द्वारा की गई शिकायतों के आधार पर वापिस ले ली गयी है ।

प्रशुल्क तथा इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन से संबंध रखने वाली शिकायतें जांच पड़ताल के लिये संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेज दिये जाते हैं।

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में रिंग रेलवे

†७२. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली के ईर्द गिर्द रेलवे लाइन बनाने के काम में कितनी प्रगति हुई है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : "दिल्ली से बचने की लाइन (रिंग रेलवे)" को मंजूर कर लिया गया है। पंक्तिबद्ध बंधन के विविध भागों को जोड़ने तथा पुलों आदि के लिये विस्तृत प्लानों को तैयार करने के लिये क्षेत्रीय सांख्यिकी एकत्रित करने का काम हो रहा है। अभी तक इस परियोजना के लिये अपेक्षित भूमि का कोई भाग नहीं लिया जा सका है। और परिणाम स्वरूप अभी तक ठेके नहीं दिये जा सके और वास्तविक निर्माण-कार्य आरंभ नहीं किया जा सका है। भूमि अधिग्रहण का काम तेजी से किया जा रहा है।

श्रीनगर में हुई बैठकें

†७३. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के कृषि विभाग ने हाल में श्रीनगर में कई बैठकें और सम्मेलन किये ; और

(ख) यदि हां, तो इन बैठकों / सम्मेलनों का क्या ब्योरा है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख). १८ से २२ सितम्बर, १९६२ तक भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् की चावल समिति की बैठकों के साथ द्वितीय अखिल भारत चावल अनुसन्धान कर्मचारी सम्मेलन, ३ से ५ अक्तूबर, १९६२ तक चतुर्थ अखिल भारत रिन्डरपेस्ट नियंत्रण पदाधिकारी सम्मेलन और १७ सितम्बर, १९६२ को अखरोट के श्रेणीकरण के सम्बन्ध में एक बैठक श्रीनगर में हुई।

महाराजगंज बाजार अगरतला में पुनर्वास विभाग द्वारा बनाई गई इमारत

†७४. **श्री बीरेन दत्त**: क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराजगंज बाजार अगरतला में पुनर्वास विभाग द्वारा बनाई गई इमारत अभी खाली पड़ी है ; और

(ख) क्या अगरतल्ला नगरपालिका ने इमारत का स्वरूप बदलने के लिये कोई प्रस्ताव बनाया है ताकि यह व्यापारियों को आवंटित की जा सके।

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी, नहीं।

(ख) त्रिपुरा प्रशासन ने सूचना दी है कि इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

वी० एम० अस्पताल, अगरतला

†७५. **श्री बीरेन दत्त** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च-१९६१ से मार्च १९६२ तक की अवधि में वी० एम० हस्पताल अगरतला में बाहर के रोगियों की कुल उपस्थिति कितनी थी ;

(ख) उक्त अवधि में स्त्री वार्ड में बाहर के कितने रोगी थे, और

(ग) क्या वहां डाक्टर रोगियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये काफी हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) (६२०.४७) प्रतिदिन।

(ख) ७३६०५।

(ग) इस समय वहां के डाक्टरों की संख्या अपर्याप्त है क्योंकि सी०ए०एस० ग्रेड १ के बहुतेरे पद खाली पड़े हैं। नियुक्तियों की पेशकशें प्रार्थियों को भेजी दी गई हैं जिनकी शीघ्र ही आने की अपेक्षा है और तब आवश्यकता को पूरा करने के लिये डाक्टरों की संख्या पर्याप्त हो जाएगी।

उड़ीसा में स्टेशन

†७६. **श्री मलिक** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधियों में, (१) बैतरणी रोड, (२) कोराई सवारी गाड़ी हाल्ट, (३) जयपुर क्योंझर रोड, (४) जाखपुरा, (५) हरिदासपुर (६) भाद्रक और (७) ग्रामधुमिन सैक्शनों पर दक्षिण पूर्व रेलवे के अधीन स्टेशन लाइन तथा साईडिंग की क्षमता को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या विवरण है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें०रामस्वामी)** : (क) और (ख). बैरनी रोड, जयपुर—क्योंझर रोड़, जाखपुरा, हरिदासपुर, भाद्रक तथा गढ़माधुपुर स्टेशनों पर लूप को २२५० फुट की स्टैण्डर्ड लम्बाई तक बढ़ाने का विचार किया गया है। बैनखो रोड और जयपुर—क्योंझर रोड के बीच एक क्रासिंग स्टेशन बनाने का विचार है जो कोराई यात्रागाड़ी हाल्ट से लगभग आधा मील दूरी पर है। यात्री गाड़ियों के गुजरने के लिये इन में से प्रत्येक स्टेशन पर एक अतिरिक्त प्लेट-फार्म बनाने का भी विचार है।

अंडे

७७. **श्री तन सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मुर्गी के अंडों के वर्तमान उत्पादन को आगामी चार वर्षों में दुगुना करने की कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर कुल कितना खर्च होगा ; और

(ग) इस खर्च में विदेशी मुद्रा कितनी और कहां से उपलब्ध की जायेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख) :

नीचे दिये गये विभिन्न कुक्कुट पालन विकास योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में ४.८२ करोड़ रुपये का सम्बन्ध किया गया है :—

(१) दूसरी योजना की अवधि में शुरू किये गये प्रादेशिक कुक्कुट पालन फार्मों, राज्य-फार्मों और कुक्कुट प्रवर्धन केन्द्रों का विस्तार करना।

(२) राज्यों में ५० सघन कुक्कुट पालन खण्डों की स्थापना करना।

(३) राज्यों में कुक्कुट खाद्यों के उत्पादन तथा वितरण केन्द्रों की स्थापना करना।

(४) २० बतख प्रवर्धन केन्द्रों की स्थापना करना।

---

†मूल अंग्रेजी में

(५) अन्डों तथा कुक्कुटों को इक्कट्ठा करने, उनकी दर्जाबन्दी तथा विपणन करने के लिये १० केन्द्रों की स्थापना करना।

(६) ग्रामीण कुक्कुट पालन की उन्नति और कुक्कुट पालन केन्द्रों के सुधार के लिए एक दिन की आयुवाले चूज़ों के खरीदने, अन्डा सेने व पालने के साज़-सामान और इन्क्यूबेटर खरीदने तथा प्रशिक्षण के रूप में कुक्कुट पालनों को सहायता देना।

इन योजनाओं की क्रियान्विति के पश्चात् १९६६ में अन्डे के उत्पादन में लगभग ५०,००० लाख की बढ़ौतरी हो जाने की आशा है जब कि १९६१ में यह उत्पादन अनुमानतः २८८०० लाख था।

(ग) इस योजना का विदेशी मुद्रांश लगभग ३० लाख रुपये है। इन्क्यूबेटरों के आयात के लिये अब तक ७.१५ लाख रुपये की विदेशी मुद्रा दे दी गई है। आशा है कि इस महत्वपूर्ण-योजना के लिये और विदेशी मुद्रा का प्रबन्ध हो जायगा। देसी उत्पादन से भी इन्क्यूबेटर सम्बन्धी कुछ आवश्यकताओं के पूरा हो जाने की सम्भावना है।

त्रिपुरा में मछली पालन

†७८. **श्री दशरथ देब**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में मछली पालन के लिये दीर्घकालीन ऋण देने की कोई योजना है,

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का विवरण क्या है;

(ग) इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) यदि कोई कदम नहीं उठाये गये तो इस के कारण क्या हैं?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) जी हां।

(ख) योजना में मछली पालने के लिये तालाबों आदि की सफाई के लिये मछली पालन करने वाले लोगों को प्रतिएकड़ ५०० रूपये के हिसाब से दीर्घकालीन ऋण देने की व्यवस्था है। तीसरी योजना अवधि में, ३०० एकड़ जल क्षेत्र में मछली पालने के लिये १.५० लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। दिया गया ऋण इस के लिये जाने के तीसरे वर्ष से प्रारम्भ होकर मूल तथा ब्याज की उस समान वार्षिक किश्तों में वापिस लिया जाएगा।

(ग) १९६१–६२ में तेरह मछली पालने वाले व्यक्तियों तथा एक सहकारी संस्था को २३९४३ रुपये का ऋण दिया गया था।

चालू वर्ष में २५००० रुपये का दीर्घ-कालीन ऋण देने का विचार है जिस के लिये प्रार्थना पत्र त्रिपुरा प्रशासन द्वारा मांगे गये हैं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

त्रिपुरा में उर्वरकों का आयात

†७९. **श्री दशरथ देब**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६०, १९६०–६१ और १९६१–६२ में त्रिपुरा में कितने उर्वरकों का आयात किया गया, और

(ख) कितने उर्वरक बेचे गये ?

---

†मूल अंग्रेजी म

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) १९५९–६० में ४२० टन तथा १९६१–६२ में ३० टन / १९६०–६१ में कोई आयात नहीं किया गया ।

(ख) १९५९–६० में २०२ टन, १९६०–६१ में ४०६ टन और १९६१–६२ में १२० टन ।

प्राकृतिक इलाज

†८०. **श्री हिम्मत सिंहका** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ अप्रैल, १९५८ से १ अक्तूबर, १९६२ तक की अवधि में, प्राकृतिक इलाज केन्द्रों एवं प्राकृतिक पद्धति के इलाज से संबंधित (१) अनुसंधान (२) इलाज, (३) सामान तथा अन्य किसी प्रयोजन के लिये प्राकृतिक इलाज संस्थाओं को यदि कुछ धन दिया गया है तो कितना ?

†**स्वास्थ्य मंत्री डा० सुशीला नायर** : भारत सरकार ने प्राकृतिक चिकित्सा संस्थाओं को अनुसंधान करने के लिये इस प्रकार अनुदान दिये हैं :—

वर्ष	संस्था का नाम	दी गई राशि
१९५८–५९	. निसार गोपाचार आश्रम , प्रणाली कांचन पूना	६०,००० रुपये
१९५९–६०	,, ,,	६०,००० ,,
१९५९–६०	आरोग्य निकेतन लखनऊ	२४,००० ,,
१९५९–६०	. प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल, हैदराबाद	१०,००० ,,
१९६०–६१	,, ,,	८९,०० ,,
१९६१–६२	,, ,,	१०,००० ,,

खाद्य संसाधन

†८१. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहायक खुराकों संबंधी कार्यकारी दल , वैज्ञानिक खाद्य सलाहकार तालिका की सिफारिशों के आधार पर तीसरी योजना में उपलब्ध खाद्य साधनों का संरक्षण एवं उपयोग उठाने के लिये अस्थायी कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा-सचिव (श्री शिन्दे)** : उत्तर संलग्न परिशिष्ट में दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १३]** ।

†मूल अंग्रेजी में ।

पश्चिम बंगाल में उर्वरक

†८२. श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष में पश्चिम बंगाल में बड़ी मात्रा में उर्वरक नहीं बिके; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

नवीन उर्वरकों को लोकप्रिय बनाना

†८३. श्री दी० चं० शर्मा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नवीन उर्वरकों को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

(ख) उसके संबंध में किसानों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) १९६२–६३ के लिये कितनी राशि नियत की गई है तथा १९६१–६२ में कितनी राशि खर्च की गई है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) नवीन उर्वरकों को लोकप्रिय बनाने के लिये निम्न कदम उठाये गये हैं :—

(१) प्रदर्शन —भारत सरकार की एक योजना के अन्तर्गत किसानों के खेतों पर प्रदर्शन किया जाता है।

(२) प्रशिक्षण— उर्वरकों के उपयोग से प्राप्त लाभों तथा इन के प्रयोग के तरीके के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं।

(३) प्रचार : १. मासिक पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं जिन में अन्य बातों के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों तथा विकसित विभिन्न फसलों पर उर्वरकों के प्रयोग के संबंध में लेख प्रकाशित किये जाते हैं।

२. विविध प्रादेशिक भाषाओं में उर्वरकों के संबंध में भारत के सभी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में लेख दिये जाते हैं।

३. उर्वरकों के संबंध में रेडियो फीचर आकाशवाणी के विविध केन्द्रों को, ग्रामीण जनता में प्रसारण करने के लिये दिये जाते हैं।

४. उर्वरकों के बेहतर उपयोग संबंधी इश्तहार ग्रामीण क्षेत्रों को भेजे जाते हैं।

५. इश्तहार, चार्ट और अन्य दृश्य वस्तुओं का भी प्रकाशन तथा वितरण किया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

६. उर्वरकों के संबंध में चल-चित्र भी तैयार किये गये हैं एवं किसानों को दिखाने के लिये बांटे जाते हैं।

(४) **वितरण में लाभ की मात्रा** : वितरण के ऊंचे खर्चे (वितरक का कमीशन मिला कर) लोकप्रिय उर्वरकों के असान नवीन उर्वरकों के लिये दिया जाता है अर्थात् अमोनिया सल्फेट पर जो लोकप्रिय उर्वरक है मात्रा प्रति टन ३० रुपये रहे जब कि नवीन उर्वरकों पर मात्रा इस प्रकार है :

	प्रतिटन
उरिया	४५ रुपये
अमोनिया सल्फेट नाइट्रेट	३५ रुपये
कैल्शियम अमोनिया नाइट्रेट	३२ रुपये

(५) **मूल्य अन्तर** : यद्यपि अमोनिया सल्फेट (लोकप्रिय उर्वरक) और सी० ए० एन० (एक नवीन उर्वरक) में नाइट्रोजन की मात्रा समान, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का बिक्री मूल्य कुछ कम (५० रुपये कम) निश्चित किया गया है, ताकि इस के उपयोग के पक्ष में लोगों का विचार बने। इसी प्रकार अन्य नवीन उर्वरक के मूल्य, अमोनिया सल्फेट की अपेक्षा नाइट्रोजन आधार पर सस्ते हैं।

(ख) उपरोक्त कार्रवाइयों से नवीन उर्वरकों की अधिक मांग के लिये रास्ता खोल दिया है जैसा कि निम्न सारिणी से प्रकट होगा :—

	मात्रा			
उर्वरक का नाम	**१९५९–६०**	**१९६०–६१**	**१९६१–६२**	**१९६२–६३**
उरिया	१,३५०,४५	१,९३,३४७	२,५२,५६४	२,७७,७६६
ए० एस० एन०	१,८३,५१६	२,२५,५००	३,०७,८५९	२,८५,०४०
सी० ए० एन०	७९,८४६	१,१०,२३७	३,१४,१४३	३,२३,२७५

(ग) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर के सामने दर्शाये गये विभिन्न कदमों पर खर्च की गई राशि इस प्रकार है :

मद	खर्च १९६१–६२ में	नियतन १९६२–६३ के लिये	टिप्पण
१. प्रदर्शन	१३·५८ लाख रुपये	१७·४२ लाख रुपये	
२. प्रशिक्षण			प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य सरकारों द्वारा किये जाते हैं। केन्द्र केवल प्रविधिक सहायता देता है।
३. प्रचार			उर्वरकों पर प्रचार, समूचे प्रचार कार्यक्रम का अंग होने के

मद	खर्च १९६१-६२ में	नियतन १९६२-६३ क लिए	टिप्पण
			कारण उर्वरकों सम्बंधी पृथक् आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।
४. वितरण में लाभ की मात्रा	..	..	केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार तथा अन्य निगमित निकायों से लेने वाला पुंज मूल्य नियत करती है जिनको किसानों उपभोक्ताओं को उर्वरक बेचने से पूर्व पुंज मूल्यों में वितरण के नियत खर्च जोड़ने की अनुमति दी गई है। अतः इस कारण सरकार द्वारा कोई व्यय नहीं किया जाता।
५. मूल्य अन्तर		५३.०० लाख रुपये	१९६१-६२ में तथा अक्तूबर १९६२ तक अमोनिया सल्फेट एवं सी० ए० एन० के बीच १८ रुपये का मूल्य का अन्तर था। इस लेखेमें कोई पृथक् अनुमान नहीं किया गया था। मूल्य अन्तर बढ़ा कर अक्तूबर १९६२ से ५० रुपये प्रति टन तक बढ़ा दिया गया, प्रति टन ३२ रुपये तक सी० ए० एन० की केन्द्रीय पुंज निर्गमित कीमत घटा कर। इस कारण केन्द्रीय पुंज को १९६२-६३ में ५३ लाख रुपये तक हानि का अनुमान है।

नागपुर के पास सवारी गाड़ी पर हमला

†८४. श्री राम रतन गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री यशपाल सिंह :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १६ सितम्बर, १९६२ को नागपुर के पास झरसुगुडा-नागपुर सवारी गाड़ी पर सशस्त्र व्यक्तियों ने हमला किया था; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख). जी नहीं। १५-१६ सितम्बर, १९६२ की रात को रेलगाड़ी में डकैती का एक मामला हुआ था जिसमें झरसुगुडा–नागपुर सवारी गाड़ी के तीसरे दर्जे के डिब्बे में ५ या ६ बदमाशों ने एक महिला यात्री को लूटने की कोशिश की। उनकी हाथापाई में एक दूसरे बराबर के यात्री को छूरे की चोट पहुंची। उसके बाद बदमाशों ने खतरे की जंजीर खींची और जब गाड़ी रुक गयी तो वे दो हाथ घड़ियां, ९२ रुपये नकद और कुछ और चीजें साथ में लेकर भाग गये।

पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा ३९२ के अधीन एक मामला दर्ज किया है और उसकी जांच-पड़ताल हो रही है। अभी तक ४ व्यक्ति गिरफ्तार किये जा चुके हैं।

सहकारी समितियों का विकास

†८५. श्री ब० कु० दास :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
डा० प० मण्डल :

क्या सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में सहकारी समितियों के विकास के लिए जिन राज्यों को रकमें दी गयी थीं उन में से कितने राज्य उस रकम का उपयोग नहीं कर सके हैं;

(ख) क्या खर्च न की हुई शेष रकमें तीसरी योजना की अवधि के लिए उनके नाम में आगे से जायी जायेंगी; और

(ग) उनकी कमजोरी दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

†सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) मद्रास और मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र को छोड़कर, अन्य राज्य उस पूरी पूरी सहायता को इस्तेमाल नहीं कर सके हैं जो दूसरी योजना की अवधि में सहकारिता विकास के लिए उन्हें दी गयी थी। कमी मुख्यतः विभागीय कर्मचारियों सम्बन्धी व्यय में हुई है।

(ख) जी नहीं। साल में खर्च न की गयी बाकी रकमें अगले साल की नियत रकमों के मुकाबले में घटाबढ़ा दी जाती हैं।

(ग) दूसरी योजना के प्रारम्भिक वर्षों में निधियों के उपयोग सम्बन्धी प्रगति एक सी नहीं रही क्योंकि प्रशासन प्रणाली पूरी पूरी काम में लायी गयी थी। पूरे पूरे कर्मचारी भी तैयार नहीं थे। पुनस्संगठन से कुछ राज्यों पर भी असर पड़ा था। योजना अवधि के बाद के वर्षों में यह सब ठीक कर दिया गया। प्रक्रियाओं को बिलकुल सीधा और स्पष्ट किया गया। मार्गोपाय अग्रिम के जरिये निधियां दी गयीं। दूसरी योजना अवधि के बाद के वर्षों में स्थिति कुछ सुधरी। राज्यों से बराबर यह आग्रह किया जा रहा है कि सारे साल भर खर्च बराबर बराबर किया जाये। इस स्थिति की समीक्षा भी की जाती है जब मंत्रालय के पदाधिकारी राज्य सरकारों से मिलते हैं। अनुमान है कि इन सब उपायों से प्रगति अधिक संतोषजनक होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

विशिनजाम में मछली पकड़ने का बन्दरगाह

†८६. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री वारियर :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम के पास विशिनजाम में मछली पकड़ने का बन्दरगाह बनाने का कार्य सितम्बर, १९६२ में आरम्भ कर दिया गया था;

(ख) यदि हां तो वह कब तक पूरा होने वाला है; और

(ग) वह पूरा हो जाने से देशमें मछली उत्पादन सालाना कितना बढ़ जाने का अनुमान है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा-सचिव (श्री शिन्दे) : (क) विशिनजाम में मछली पकड़ने का बन्दरगाह बनाने की परियोजना का उद्घाटन केन्द्रीय खाद्य तथा कृषि मंत्री ने १२ सितम्बर, १९६२ को किया था। पहुंच सड़क बनाने का काम जारी है। दूसरा कोई काम शुरू नहीं किया गया है।

(ख) अभी फिलहाल यह नहीं बताया जा सकता कि संपूर्ण परियोजना संभवत: कब तक पूरी हो जायगी। अनुमान है कि निर्माण कार्य का पहला दौर पांच साल की अवधि में पूरा हो जायगा।

(ग) विशिनजाम में मछली पकड़ने का बन्दरगाह पूरा हो जाने पर अनूमान है कि उससे लगभग ४,३०० टन मछली सालाना पकड़ी जा सकेगी।

सहकारी समितियों सम्बन्धी कार्यकारी दल

†८७. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्री २० अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ४५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या रेलवे डाक तथा तार आदि के अधीन सहकारी समितियों सम्बन्धी कार्यकारी दल इस बीच बनाया जा चुका है ;

(ख) यदि हां तो अब तक इस दल की कितनी बैठकें हो चुकी हैं और इस दल ने कितनी अध्ययन-यात्राएं की हैं ; और

(ग) इस दल ने अब तक क्या सिद्धारिसें की हैं ?

†सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) जी हां। वह दल ९ अक्तूबर, १९६२ को बनाया गया है।

(ख) प्रक्रिया तय करने और प्रश्नावलि तैयार करने के लिए कार्यकारी दल की अभी तक दो बैठकें हुई हैं। इस दल ने अभी तक कोई अध्ययन यात्राएं नहीं की हैं।

(ग) इस दल ने अभी तक अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मत्स्यपालन सहकारी समितियों संबंधी कार्यकारी दल

†८८. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २० अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ४५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मत्स्यपालन सहकारी समितियों सम्बन्धी कार्यकारी दल इस बीच बनाया जा चुका ह ;

(ख) यदि हां तो अब तक इस दल की कितनी बैठकें हो चुकी हैं, और इस दल ने कितनी अध्ययन यात्राएं की हैं ; और

(ग) इस दल ने अब तक क्या सिफारिशें की हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा-सचिव (श्री शिन्दे)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). मत्स्यपालन सहकारी समितियों सम्बन्धी कार्यकारी दल अभी हाल में बनाया गया है । अनुमान है कि अपने कार्यक्रम पर जिसमें अध्ययन यात्रा भी शामिल है विचार करने के लिए शीघ्र ही उसकी बैठक होने वाली है ।

दुग्धशाला और पशुपालन सहकारी समितियों संबंधी कार्यकारी दल

†८९. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २० अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ४५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुग्धशाला और पशुपालन सहकारी समितियों सम्बन्धी कार्यकारी दल की अब तक कितनी बैठकें हुई हैं और उस दल ने कितनी अध्ययन यात्राएं की हैं ; और

(ख) उस दल ने अब तक क्या सिफारिशें की हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) इस कार्यकारी दल की पहली बैठक ३१ अक्तूबर, १९६२ को हुई थी और उसने कोई अध्ययन यात्रा नहीं की है ।

(ख) पहली बैठक में दल ने निम्नलिखित की स्थापना के लिए खाद्य तथा कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) द्वारा तैयार की गयी आदर्श योजनाओं पर विचार किया :—

(१) मुर्गीपालन उद्योगों में सहकारी समितियां

(२) दुग्धशाला उद्योग

(३) सूअर पालने और सूअर के मांस की चीजें तैयार करना ; और

(४) जानवरों के ढांचे इकट्ठा करना और उनका उपयोग करना

पहले दो के सम्बन्ध में आदर्श योजनाओं पर इस दल ने सामान्यतया अपनी स्वीकृति दे दी है लेकिन कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों का सुझाव दिया है जैसे सहकारी समितियां शीघ्र बनाये जाने के लिए सामान्य वित्तीय सहायता का सरल ढांचा, थोड़ी संख्या में जानवर रखने वाले व्यक्तियों को इन सहकारी समितियों से उपलब्ध होने वाली सुविधाओं से लाभ उठाने की अनुमति देना, उपयुक्त क्षेत्रों में बड़ पैमाने के मुर्गीपालन विकास खंडों की स्थापना करना ताकि वर्तमान की अपेक्षा अधिक अंडे और मुर्गियां प्राप्त हो सकें, दुग्धशालाओं की व्यवस्था के लिए जो दूध की चीजें बनाते हैं, सहकारी समितियों को सहायता देने की उदार व्यवस्था इन क्षेत्रों में और राज्यों के बोर्डों में अखिल भारतीय सहकारी संघ की स्थापना सहकारी क्षेत्र आदि के अधीन दुग्धशाला कार्यों के लिए योजना के अन्तर्गत अधिकाधिक निधियां देना ।

---

†मूल अंग्रेजी में

२. यह सिफारिश की गई कि सूअर पालने और सूअर के मांस से बनी चीजों से सम्बन्धित सहकारी समितियों के बारे में आदर्श योजनाओं तथा जानवरों के ढांचों के इस्तेमाल की आदर्श योजना में फेरबदल किया जाये ।

३. इस दल ने यह भी सिफारिश की थी कि जानवरों की बिक्री सम्बन्धी सहकारी समितियां स्थापित करने की संभावना की छानबीन की जाये ।

परिवहन सहकारी समितियों सम्बन्धी कार्यकारी दल

†९०. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री २० अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ४५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवहन सहकारी समितियों सम्बन्धी कार्यकारी दल की अब तक कितनी बैठकें हो चुकी हैं और उसने कितनी अध्ययन यात्राएं की हैं ; और

(ख) उस दल ने अब तक क्या सिफारिशें की हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) अध्ययन दल की अभी तक दो बैठकें हुई हैं । इसने अभी तक कोई अध्ययन यात्रा नहीं की है लेकिन नवम्बर, १९६२ के मध्य के बाद कुछ राज्यों में उनकी यात्राओं के लिए एक अस्थायी कार्यक्रम बनाया गया है ।

(ख) चूंकि इस दल ने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है इसलिये कोई सिफारिशें प्रस्तुत करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

मछलियों का संरक्षण

†९१. **श्री प० कुन्हन :**
श्री अ० क० गोपालन :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा समर्थित खाद्य निरीक्षण विषयक दक्षिण पूर्व एशियाई छात्रवृत्तियों (ग्रुप फैलोशिप्स) के अधीन जो शिष्टमंडल सिंगापुर, पेनांग, क्वालालम्पुर गया था, क्या उसने काफी समय तक मछली का प्रोटीन तत्व कायम रखने के विषय पर कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** (क) भारत से तीन कर्मचारियों को २३ जुलाई से ११ अगस्त, १९६२ तक सिंगापुर और मलाया में खाद्य निरीक्षण संगठनों को देखने समझने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की छात्रवृत्तियों पर भेजा गया था । उनकी छानबीन में मछली का प्रोटीन तत्व कायम रखने की बात शामिल नहीं थी । उन कर्मचारियों से अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

फार्मेसी डिग्री कालेज

†९२. डा० प० मंडल :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के किसी हिस्से में कोई फामसी डिग्री कालज खोलने की योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसके लिए कोई जगह चुन ली गयी है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां । देश में फार्मेसी के डिग्री पाठ्यक्रम चलाने वाले नौ विभागों/कालेजों (सूची नीचे दी हुई है) के अलावा एक सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मेसी स्थापित करने की योजना है :—

बैचलर इन फार्मेसी का पाठ्यक्रम पढ़ाने वाली संस्थाओं के नाम और पता बताने वाली सूची

क्रमांक	संस्थाओं का नाम और पता	राज्य	संचालन अधिकारी	शिक्षाक्रम
१	२	३	४	५
१	जे० वी० डी० कालेज आफ साइन्स एण्ड टेक्नोलाजीक वाल्टेयर	आंध्र प्रदेश	आन्ध्र विश्वविद्यालय	बी० फार्म०
२	कालेज आफ टेक्नोलाजी बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी-५	उत्तर प्रदेश	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	बी० फार्म०
३*	केमिकल टेक्नोलाजी विभाग, बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई	महाराष्ट्र	बम्बई विश्वविद्यालय	एम० फार्म०
४*	एल० एम० कालेज आफ फार्मेसी नवरंगपुरा, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-९	गुजरात	गुजरात विश्वविद्यालय	बी० फार्म० एम०फार्म०
५*	मद्रास मेडीकल कालेज पार्कटाउन, मद्रास-३	मद्रास	मद्रास विश्वविद्यालय	बी० फार्म०
६*	फार्मेसी विभाग पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़-३	पंजाब	पंजाब विश्वविद्यालय	बी० फार्म० एम० फार्म
७*	बिरला कालेज, पिलानी	राजस्थान	राजस्थान विश्वविद्यालय	बी० फार्म० एम० फार्म०
८	सागर विश्वविद्यालय, सागर	मध्य प्रदेश	सागर विश्वविद्यालय	बी० फार्म एम०फार्म० पी०एच डी०
९	नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर	महाराष्ट्र	नागपुर विश्वविद्यालय	बी० फार्म०

†मूल अंग्रेजी में

* फार्मेसी एक्ट, १९४४ की धारा १२ के अधीन फार्मेसी कौंसिल आफ इंडिया द्वारा स्वीकृत ।

(ख) अभी नहीं ।

सहकारी कृषि संस्थाएं

†९३. **श्री लक्ष्मी दास :** क्या **सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आदिम जाति क्षेत्रों में सहकारी कृषि संस्थायें बनाने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो कहां और उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) :** (क) से (ग) . जानकारी राज्य सरकारों से मांगी गयी है और वह प्राप्त हो जाते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी

नागार्जुनसागर परियोजना

†९४. **श्री लक्ष्मी दास :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह प्रार्थना की है कि वह नागार्जुनसागर परियोजना के निर्माण को केन्द्रीय सरकार की परियोजना माने और परियोजना पूरी होने तक ब्याज-मुक्त ऋण दे ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या निश्चय किया है ; और

(ग) नागार्जुनसागर परियोजना के पूरे होने में कितनी रकम और कितना समय लगेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) जी हां ।

(ख) योजना आयोग आन्ध्र प्रदेश सरकार के इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है कि नागार्जुन सागर परियोजना का खर्च राज्य योजना से बाहर केन्द्रीय क्षेत्र से दिया जाये । फिर भी यह बताया जा सकता है कि 'सिंचाई' विषय राज्य सूची में होने के कारण बड़ी और मझली, सभी सिंचाई परियोजनायें राज्य की आयोजनाओं का एक भाग हैं और वह सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं । यह प्रस्ताव स्वीकार करना संभव नहीं हुआ कि नागार्जुनसागर परियोजना कार्यान्वित करने के लिए दिए गए ऋण ब्याजमुक्त हों ।

(ग) नागार्जुनसागर परियोजना का वर्तमान स्वीकृत अनुमान ९१.१२ करोड़ रुपया है । राज्य सरकार ने १३९.५४ करोड़ रुपये का एक संशोधित अनुमान प्रस्तुत किया है जिस पर केन्द्रीय पानी बिजली आयोग छानबीन कर रहा है । वर्तमान निर्माण-कार्यक्रम के अनुसार अनुमान है कि वह चौथी योजना में पूरा हो जायेगा ।

औषधियां

†९५. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे कि :

(क) क्या औषधियों में मुनाफाखोरी रोकने के लिए कोई ठोस उपाय कार्यान्वित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो कब और क्या ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) अनाज, कपड़ा और दवाइयों जैसी अत्यावश्यक वस्तुओं की कीमतों के नियंत्रण के एक प्रस्ताव पर योजना आयोग में भारत सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है और निश्चय शीघ्र ही प्रकाशित किया जायगा ।

दिल्ली में सरकारी अस्पताल

†९६. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में अत्यधिक विलंब और लापरवाही के मामले में डाक्टरों और कर्मचारियों के बर्ताव के विरुद्ध कितनी शिकायतें पहुंची हैं ;

(ख) सरकार ने कितने मामलों में और क्या कार्रवाई की है ; और

(ग) क्या स्वास्थ्य मंत्री या उनके उपमंत्री ने इस संबंध में दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में कोई एकाएक दौरे किये थे ;

(घ) यदि हां, तो क्या नतीजा रहा ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क)

	शिकायतें			
	१९५९	१९६०	१९६१	१९६२ (३०-९-१९६२ तक)
सफदरजंग अस्पताल				
(१) सी०एच०एस० साइड	*	१८	२१	९
(२) हॉस्पिटल साइड	१०	६	१६	१३
विलिंगडन अस्पताल				
(१) सी०एच०एस०साइड	*	३०	२७	१६
(२) हास्पिटल साइड	३	६	६	७
इरविन अस्पताल	६१	४५	६१	*

(ख) (१)

सफदरजंग अस्पताल				
(१) सी०एच०एस०साइड	*	२	१०	—
(२) हास्पिटल साइड	२	२	—	—
विलिंगडन हास्पिटल				
(१) सी०एच०एस० साइड	*	४	८	२
(२) हास्पिटल साइड	—	—	—	—
इरविन हास्पिटल	२	२	—	*

†मूल अंग्रेज़ी में

* जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है ।

(२) **कार्रवाई जो की गई :** ३२ मामलों में चेतावनी/निन्दा/रोष या राय जाहिर की गयी। एक मामले में संबंधित व्यक्ति की सेवाएं समाप्त करने की कार्यवाही की गयी। एक दूसरे मामले में संबंधित व्यक्ति को मुअत्तिल कर दिया गया और पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई भी की। ३२ मामलों में अभी जांच हो रही है। बाकी शिकायतों की जांच से यह पता चला कि शिकायतें झूठी और गलत हैं।

(ग) और (घ). उपमंत्री स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के साथ अस्पतालों में गये थे। उनके दौरे की टिप्पणियों पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

दिल्ली में यमुना पर दूसरा पुल

†१७. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में यमुना पर दूसरे पुल के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) क्या कार्य अनुसूची के अनुसार हो रहा है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** (क) पुल के पायों और बड़े पायों की नींव का काम चालू है। बायां गाइड बन्ध पूरा हो गया है। दायां गाइड बन्ध 'एयरान' के कुछ भाग को छोड़कर पूरा हो गया है। इस भाग में कुछ व्यक्तियों ने अनधिकार अधिकार जमा लिया है।

गर्डर के निर्माण का ठेका दे दिया गया है। पुल के समचे कार्य में प्रगति १७ प्रतिशत हुई है।

(ख) हां।

भारत-भूटान डाक करार

†१८. **श्री प्र० के० देव :**
श्री भक्त दर्शन :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूटान तथा भारत के बीच कोई द्विपक्षीय करार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है; और

(ग) डाक के आने जाने की इस करार से पहिले क्या व्यवस्था थी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) हां।

(ख) करार में उपबन्ध है कि भारत और भूटान के बीच केवल अपंजीबद्ध पत्रादि का, जिनकी डाक शुल्क पूर्णतया पहिले दे दी गई हो, विनिमय होता है। भारत विश्व डाक संगठन के सदस्य देशों को भी डाक भेजेगा जैसाकि भूटानी उद्भव की पत्र व्यवहार की भूटानी वस्तुओं से विदित होता है।

(ग) भारतीय सीमान्त डाक घरों से, जहां डाक भेजी जाती थी, उन्हें प्राप्त करने की भूटान सरकार की अपनी व्यवस्था थी। इसी प्रकार, भूटान से भारत तथा अन्य देशों को आने वाले पत्र भारतीय डाक टिकट लगाकर इन्हीं डाक घरों में डाले जाते थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली और मद्रास के बीच रेलवे लाइन को दोहरा बनाना

†९९. **श्री विभूति मिश्र :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करग कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार दिल्ली और मद्रास के बीच दोहरी रेलवे लाइन बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) दिल्ली और मद्रास के बीच कुछ सटेशनों को छोड़कर, जहां यातायात अधिकतम मात्रा पर पहुंच गया है, सारी लाइन को दोहरा बनाने का कोई विचार नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

राष्ट्रीय राज पथ

१००. **श्री विभूति मिश्र :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय राजपथ का मोतिहारी शहर जिला चम्पारन (बिहार) का हिस्सा अभी तक तैयार नहीं हो पाया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार अभी तक फैसला नहीं कर पाई है कि शहर के किस तरफ से सड़क निकाली जाये ; और

(ग) यदि हां, तो इस समय सरकार के सामने कौन-कौन से सुझाव हैं ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं । १९६० में इस मंत्रालय के एक उच्च प्राविधिक अधिकारी ने मोतिहारी शहर की बाहरी सड़क के रेखांकन का निरीक्षण किया था और इस बारे में एक सिफारिश की थी । इस सम्बन्ध में प्रदेश सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा विस्तृत योजना तैयार की जायेगी और स्वीकृति के लिए केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की जायेंगी । यह कार्य तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर दिया गया है जिस पर ९.०० लाख रुपये के खर्च का अनुमान है ।

(ग) सवाल पैदा नहीं होता ।

कृषि अनुसन्धान केन्द्र

†१०१. **श्री विभूति मिश्र :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य तथा कृषि संगठन ने एशियाई देशों में कृषि अनुसन्धान केन्द्र खोलने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत में ऐसा केन्द्र खोलने के लिए खाद्य तथा कृषि संगठन से कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) हां । इसके ग्यारहवें सत्र में जो वर्ष १९६१ में हुआ था, खाद्य तथा कृषि संगठन ने एशियाई तथा सुदूर पूर्व प्रदेश के

---

†मूल अंग्रेजी में

देशों के लिए मलाया में प्रादेशिक कृषि अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण संस्था स्थापित करने का निश्चय किया था ।

(ख) नहीं ।

नारियल का उत्पादन

†१०२. **श्रीमती सावित्री निगम**: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री १४ अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६७४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१–६२ में अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में नारियल का कितना उत्पादन हुआ ; और

(ख) क्या यह सच है कि परिवहन सुविधाओं के अभाव के कारण अन्दमान तथा निकोबार का समचा उत्पादन देश को न लाया जा सका ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही पटल पर रख दी जायेगी ।

फसल की हानि

†१०३. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीपुर बैंक के पास जमना बन्ध में दो दरार होने से फसलों को कितनी हानि हुई ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : खराब हुई फसल का मूल्य १.८२ लाख रु० आंका गया है ।

बान्दा–मानिकपुर लाइन पर दिंगवाही स्टेशन को पुनः खोलना

†१०४. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बान्दा-मानकपुर लाइन पर दिंगवाही स्टेशन को पुनः खोलने के बारे में कोई अभ्यावेदन आया है ;

(ख) इस प्रार्थना पर सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ; और

(ग) क्या उन्हें विदित है कि यह स्टेशन पन्द्रह वर्ष से अधिक अवधि तक नियमित स्टेशन रहा है और द्वितीय विश्व युद्ध में बन्द कर दिया गया था ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) हां ।

(ख) प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ग) हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कैरेवेल विमान[1]

†१०५ श्रीमती सावित्री निगम :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ट्रंक सेवाओं पर चलाने के लिए कैरेवेल विमानों की खरीद के बारे में भारत और फ्रांस के बीच वार्ता में कोई प्रगति हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)**: इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के ट्रंक मार्गों पर प्रयोग के लिये कैरेवेल जेट विमानों की खरीद के लिये निगम से प्राप्त हुए प्रस्तावों पर अभी कोई निश्चय नहीं किया गया है ।

राष्ट्रीयकृत सड़क परिवहन सेवा समिति

†१०६. **श्री श्रीनारायण दास**: क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ७ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ८१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवहन विकास परिषद् की सिफारिश पर कि राष्ट्रीयकृत सड़क परिवहन सेवा की कठिनाइयों का अध्ययन करने और यह सुझाव देने के लिये एक सरकारी समिति बनाई जाये कि क्या उन्हें कर संबंधी छूट के रूप में या अन्यथा किसी प्रोत्साहन की आवश्यकता है या नहीं, विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम हुआ ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) और (ख). समिति बनाने का प्रस्ताव छोड़ दिया गया है क्योंकि भारत सरकार को बताई गई कठिनाइयों की संबंधित मंत्रालय द्वारा अलग जांच की जा चुकी है और की जा रही है ।

शाहदरा (दिल्ली) में दूषित जल का संभरण

१०७. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शाहदरा की कई बस्तियों के हैण्ड पम्पों का पानी अत्यन्त दूषित हो गया है और इस प्रकार का पानी पीने वाले एक लाख व्यक्तियों का स्वास्थ्य खराब हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) उन हैण्ड पम्पों का पानी जिन्हें उथले भूगर्भ में लगाया जाता है प्रायः दूषित पाया जाता है । यह बात शाहदरा क्षेत्र के हैण्ड पम्पों पर भी लागू होती है । दिल्ली नगर निगम ने एक बहु-विस्तृत क्षेत्र में जल प्रदाय के लिये ट्यूब वैल स्थापित किये हैं ।

(ख) दिल्ली नगर निगम का शाहदरा में साफ पानी देने तथा और अधिक ट्यूब वैल खोद कर जल पूर्ति में वृद्धि करने का विचार है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Caravelles Aircraft.

डेरी-प्रशिक्षण

†१०८. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री रा० गि० दुबे :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई तथा अफ्रीकी देशों के विद्यार्थियों को डेरी संबंधी प्रशिक्षण देने के लिये भारत में खाद्य तथा कृषि संगठन का कोई पाठ्यक्रम आरम्भ किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस का क्या ब्यौरा है ; और

(ग) कितने विद्यार्थियों ने वह पाठ्यक्रम पूरा किया है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) हां ।

(ख) रायल डैनिश सरकार तथा भारत सरकार ने मिल कर खाद्य तथा कृषि संगठन के तत्वावधान में एशिया तथा सुदूरपूर्व के देशों के लिये डेरी-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आरम्भ किया है । प्रशिक्षण अक्टुबर १९६० में आरम्भ हुआ था । चार पाठ्यक्रम, जिन में प्रत्येक की अवधि चार मास थी, पूरे हो चुके हैं । अब २० सितम्बर, १९६२ से 'अरे मिल्क कालोनी, बम्बई' में पांचवां पाठ्यक्रम चल रहा है । प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'डेरी हस्बेंड्री', दूध का उत्पादन, एकत्रण, शोधन तथा वितरण एवं डेरी उत्पादों का निर्माण शामिल है । पहिले पाठ्यक्रम कैरा कोआपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन, आनन्द; पूना मिल्क स्कीम, पूना; नेशनल डेरी रिसर्च इन्स्टिट्यूट, करनाल और बंगलौर तथा दिल्ली मिल्क स्कीम, दिल्ली में हुए थे ।

(ग) ८३ (तिरासी) ।

वंशधारा परियोजना

†१०९. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा की सरकारों में वंशधारा परियोजना के बारे में कोई करार हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या ब्यौरा है ?

†सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां ।

(ख) दोनों में हुए करार का ब्यौरा निम्न है :

(१) गोहा में वंशधारा बेसिन से उपलब्ध जल का आन्ध्र प्रदेश तथा उड़ीसा सरकारें आधा-आधा प्रयोग करेंगी ।

(२) नरेडी बान्ध के बायें बाढ़ किनारे पर ऐसे स्थान पर जो उड़ीसा सरकार उड़ीसा के राज्यक्षेत्र में भारी सिंचाई के लिये बतायेगी, पानी के निकास का फाटक की व्यवस्था करने पर सहमति हुई । इस फाटक का व्यय उड़ीसा सरकार उठायेगी । जब भी उड़ीसा राज्य में भावी सिंचाई का निश्चय हो जाता है, तो प्रस्तावित बांध की लागत 'आयाकर' आधार पर उठाई जायेगी ।

(३) दोनों राज्यों की विद्यमान सिंचाई के लिये सब से पहिले बेसिन से उपलब्ध पानी दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(४) आन्ध्र प्रदेश की विद्यमान सिंचाई व्यवस्था का संरक्षण करने के बाद, शेष जल उड़ीसा द्वारा प्रयोग किये जाने के लिये उपलब्ध होगा ।

दिल्ली में विद्युत् शवदाह-यंत्र

†११०. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री लखमू भवानी :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २० अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११३२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में विद्युत् शवदाह-यंत्र लगाने में क्या प्रगति हुई है और उस के कब तक बकायदा चालू हो जाने की आशा की जाती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): दिल्ली नगर निगम ने २०-९-६२ को हुई अपनी बैठक में एक विद्युत् शवदाह-यंत्र के भवन निर्माण के लिये ३,९९,८०० रुपये की एक अनुमानित राशि स्वीकृत कर दी है । टेण्डर अनुसूचियां तथा विशिष्ट विवरण तैयार किये जा चुके हैं और टेंडर आमंत्रित किये जा रहे हैं ।

आशा है कि निर्माण कार्य, दिसम्बर, १९६२ में प्रारम्भ कर दिया जायेगा और यह कार्य सितम्बर, १९६३ तक पूर्ण हो जायेगा ।

नाहन के विरोजा और तारपीन कारखाने में अग्निकांड

१११. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २० अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११७९ के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नाहन (हिमाचल प्रदेश) की बिरोजा व तारपीन फैक्टरी में गत् २९ दिसम्बर १९६१ को जो अग्निकाण्ड हो गया था, उस की जांच का क्या परिणाम निकला ; और

(ख) उस जांच के आधार पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) अभी तक पुलिस इस मामले की जांच कर रही है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

कुफ्री को शीतकालीन खेलकूद केन्द्र बनाना

११२. **श्री भ भक्त दर्शन :**
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २० अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कुफ्री (हिमाचल प्रदेश) को शीतकालीन खेलों का केन्द्र बनाने की योजना जिन कारणों से स्थगित कर दी गई है, क्या उन पर प्रकाश डाला जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : अपेक्षित सूचना के सम्बन्ध में एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट १ अनुबन्ध संख्या १४]**

इंडियन एयर-लाइन्स कारपोरेशन का गैर-संचालन व्यय

†११३. **श्री राजेश्वर पटेल :**
श्री रा० शि० पाण्डेय :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का गैर-संचालन व्यय वर्ष १९५९-६० में ११ लाख रु० से बढ़ कर वर्ष १९६०-६१ में लगभग २० लाख रु० हो गया और वर्ष १९६०-६१ में और भी बढ़ गया ; और

(ख) यदि हां, तो इस वृद्धि के क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)**: (क) तथा (ख) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का गैर-संचालन व्यय वर्ष १९५९-६० में ११ लाख रु० न हो कर १०,८०० रु० था वर्ष १९६०-६१ के १९,८१,८६५ रु० के गैर-संचालन व्यय में हेरान विमान तथा हेरान व वाइकिंग के पुर्जों के विक्रय से होने वाली १९,७५,००० रु० की प्रत्याशित हानि भी सम्मिलित थी। इस प्रकार वर्ष १९६०-६१ का शुद्ध असंचालन व्यय, ६,८६५ रु० वर्ष १९५९-६० और वर्ष १९६१-६२ के क्रमानुसार १०,८०० रु० और ७,५४७ रु० के अनुकूल है।

तस्कर व्यापार के सम्बन्ध में पकड़े गये एयर इण्डिया के कर्मचारी

†११४. **श्री रा० शि० पाण्डेय :**
श्री मुरारका :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया के कुछ कर्मचारी वर्ष १९६०, १९६१ और १९६२ में सितम्बर तक पकड़े गये थे ;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति पकड़े गये और घटनाओं का क्या ब्योरा है ; और

(ग) उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)**: (क) से (ग) एयर इंडिया कारपोरेशन के कुछ कर्मचारियों का संबंध वर्ष १९५९ और १९६२ में सोने के तस्कर व्यापार से था। जांच पड़ताल की गई और उस के परिणामस्वरूप अनेक व्यक्तियों को कारपोरेशन की सेवा से निकाल दिया गया जिनका ब्यौरा निम्न है :

कर्मचारी संख्या	सेवा से निकाले गये व्यक्ति
२	१२-९-१९५९
१	३-११-१९५९
२	२-७-१९६०
३	३-८-१९६२

दो और अधिकारियों के मामलों की जांच हो रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

चीनी के कारखानों का आधुनिकीकरण

†११५. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या चीनी के कारखानों ने अपने संयंत्रों के आधुनिकीकरण करने के लिये सरकार से सहायता मांगी है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा-सचिव (श्री शिन्दे)** :चीनी के कारखानों से उन के संयंत्रों के आधुनिकीकरण करने के लिये सरकार की सहायता के लिये कोई विशिष्ट प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है । फिर भी, भारतीय चीनी कारखाना संघ ने सितम्बर, १९६२ में अपने संकल्प की एक प्रति भेजी थी जिस में सुझाव दिया गया था कि राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम को चाहिये कि वह चीनी उद्योग को ऋण दे । इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

डाक

†११६. **श्री गो० महन्ती** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान २२ अगस्त, १९६२ के उड़िया दैनिक समाचारपत्र 'कलिंग' में प्रकाशित एक समाचार की ओर आकर्षित किया गया था जिस में कहा गया था कि उड़ीसा के बाउद-फुलवारी जिला में बाउद में एक स्थान पर प्राप्तकर्ताओं तथा न पहुंचाये गये लगभग २००० पोस्ट-कार्ड व लिफाफों वाला एक थैला जमीन से खुदाई कर के निकाला गया ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) हां, श्रीमान् । १५ अगस्त १९६२ को उड़ीसा के फूलबनी जिले में बोधराज में एक खड्ड के पानी में १३१४ पत्रादि मिले ।

(ख) प्राप्त पत्रादि में ४३८ पूर्णतया नष्ट हो गये और प्राप्तकर्ताओं को न भेजे जा सके । शेष ८७६ प्राप्तकर्ताओं तक भेज दिये गये । संबंधित डाकिया मौत्तिल कर दिया गया है और पुलिस जांच कर रही है ।

त्रिपुरा में टीका लगाने वाले

†११७. **श्री दशरथ देव** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में इस मौसम में कुल कितने टीका लगाने वाले (मौसमी) नियुक्त किये गये ;

(ख) उन में कितने व्यक्ति आदिमजाति के हैं और कितने अन्य व्यक्ति हैं ; और

(ग) क्या निकट भविष्य में इन पदों को स्थायी बनाने का सरकार का कोई विचार है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) ५७ ।

(ख) १४ आदिमजाति के और ४३ अन्य व्यक्ति हैं ।

(ग) नहीं ।

घरचुकती कर

११८. **श्री दशरथ देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूचे त्रिपुरा में झूमियों के घरचुकती कर की एक दर लागू करने के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सरकार ने त्रिपुरा में धरचुकती कर की एक दर लागू करने का अन्तिम निश्चय कर लया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) नहीं।

(ख) नहीं। कर की समान दर के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों के लिये भूमि

†११९. **श्री दशरथ देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा की बस्तियों में बसे विस्थापित व्यक्तियों को, जिन्हें योजनानुसार पूरी भमि नहीं मिली है, बाकी जमीन देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) त्रिपुरा में उन्हें जमीन देने का यह काम कब पूरा होगा ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) इस कार्य के लिये १४०० एकड़ भूमि की आवश्यकता है और त्रिपुरा प्रशासन आजकल इस में से ४५० एकड़ भूमि का अर्जन कर रहा है। अर्जन कार्यवाही के पूरा होने पर यह भूमि विस्थापित व्यक्तियों में बांट दी जायेगी। प्रशासन विस्थापित व्यक्तियों को देने के लिये और अधिक भूमि तलाश कर रहा है।

(ख) वर्ष १९६४-६५ में।

विस्थापित् व्यक्तियों क लिये भूमि

†१२०. **श्री दशरथ देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन विस्थापित व्यक्तियों को देने के लिए 'खस' भूमि की उपलब्धता का कोई निर्धारण किया गया है जिन्हें त्रिपुरा की बस्तियों में ५ एकड़ कनी भूमि नहीं मिली है ; और

(ख) यदि हां, तो त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों के देने के लिये कितनी भूमि उपलब्ध हो सकती है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय मं उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** :(क) नहीं। उस क्षेत्र में हो रहे सर्वेक्षण तथा बसने के कार्य के पूरा होने तक खस भूमि की उपलब्धता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रंगून-मद्रास विमान सेवा

†१२१. **श्री कोया** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूनियन आफ़ बर्मा एयरवेज ने बरास्ता कोलम्बो एक रंगून-मद्रास विमान सेवा आरम्भ करने की भारत सरकार से अनुमति मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अपेक्षित अनुमति देने का है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

अम्बाला छावनी में ऊपरी पुल का निर्माण

†१२२. **श्री डे० ब० पुरी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अम्बाला छावनी में रेलवे लाइन पर ऊपरी पुल का निर्माण कब आरम्भ होगा और कब तक इस के पूरा होने तथा यातायात के लिये खुलने की आशा है ; और

(ख) इस पुल के निर्माण के लिये यातायात 'बाइ-पास' की ओर कब से कर दिया गया ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख) अम्बाला छावनी में ऊपरी पुल का निर्माण आरम्भ करने के लिये सड़क-यातायात दिसम्बर, १९६१ में मोड़ दिया गया था और मुख्य पुल पर कार्य आरम्भ हो गया था । फिर भी, फरवरी, १९६२ में कार्य बन्द करना पड़ा । राज्य के लोक निर्माण विभाग के मुख्य इंजिनीयर की प्रार्थना पर कार्य बन्द किया गया । वह पुल को मिलाने वाली सड़कों का डिज़ाइन बदलने पर विचार कर रहे थे । अगस्त, १९६२ में कार्य फिर आरम्भ किया गया और अब कार्य चालू है । आशा है कि कार्य का रेलवे भाग मार्च, १९६३ के अन्त तक पूरा हो जायेगा ।

गोदावरी पर बांध

†१२३. **श्रीमती मैमूना सुल्तना** :
क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने गोदावरी पर एक बांध बनाने की योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार का क्या निश्चय है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) गोदावरी पर बांध बनाने की ऐसी कोई योजना नहीं है । गोदावरी की सहायक नदी वाईंगंगा के ऊपरी हिस्से पर एक बहुप्रयोजनी परियोजना की छानबीन केन्द्रीय पानी बिजली आयोग कर रहा है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मुर्गीपालन विकास खंड

†१२४. **श्री मोहसिन** :
श्री सं० ब० पाटिल :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या खाद्य तथा कृषि यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने ५० सघन मुर्गीपालन विकास खंड स्थापित करने का निश्चय किया है ;

(ख) कहां और कब वे स्थापित किये जायेंगे ;

(ग) इस प्रयोजन के लिये विदेशों से इनक्यूबेटर्स मंगाने में कितनी विदेशी मुद्रा लगेगी ;

(घ) क्या इस योजना से देश में अंडों की आवश्कता पूरी हो जायगी; और

(ङ) तीसरी योजना की अवधि में प्रत्येक राज्य में मुर्गीपालन विकास के लिये कितनी कितनी रकम रखी गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना में राज्यों में ५० सघन मुर्गीपालन विकास खंडों की स्थापना के लिये व्यवस्था की गई है। राज्य सरकारों ने अभी तक केवल ३४ खंडों के लिये नियतन स्वीकार किया है। इन में से ७ खण्ड स्थापित किये जा चुके हैं और १९६३-६४ के अन्त तक और २७ खंड स्थापित किये जाने की संभावना है। राज्यवार खंडों का नियतन बनाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १५]

(ग) इस योजना के लिये अलग से कोई विदेशी मुद्रा निर्धारित नहीं की गई है। इस योजना के लिये आवश्यक इनक्यूबेटर्स अंशतः देशी उत्पादन से प्राप्त किये जायेंगे और अंशतः उन १६७ इनक्यूबेटर्स में से लिये जायेंगे जो अधिकतर राज्य मुर्गीपालन फार्मों और प्रादेशिक मुर्गीपालन फार्मों के लिये आयात किये जायेंगे ।

(घ) यह उन योजनाओं में से एक है जो अंडों का उत्पादन बढ़ाने के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना के अधीन आरम्भ की गई हैं या की जाने वाली हैं। यदि ये सभी योजनाएं पूरी पूरी कार्यान्वित की जायें तो अनुमान है कि अंडों का उत्पादन १९६१ में २८८ करोड़ के अनुमानित उत्पादन के मुकाबले में १९६६ में ५०० करोड़ तक बढ़ जायगा ।

(ङ) विवरण संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १६]

कांकीनारा रेलवे स्टेलन पर डकैती

†१२५. { श्री मोहसिन :
श्री सं० ब० पाटिल :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ सशस्त्र लोगों ने ८ सितम्बर, १९६२ को कलकत्ते के पास कांकीनारा रेलवे स्टेशन पर पटाखे फेंके और स्टेशन मास्टर से नकद और कई चीजें लूट लीं ;

(ख) रेलवे सम्पत्ति की कुल कितनी हानि हुई ;

(ग) क्या अपराधियों का पता लगाया गया है ; और

(घ) इस प्रकार की घटनाओं को आगे रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :(क) और (ख). ८-९-६२ को कांकीनारा रेलवे स्टेशन पर पटाखा फेंक कर कुछ बदमाशों ने ड्यूटी पर तैनात सहायक स्टेशन मास्टर का ध्यान दूसरी ओर आकेषित किया और उसके पास से नकदी के दो सीलबंद थैले छीन लिये जिनमें नकद ४,९०० रुपये १२ न० पैसे, १९,६६९ रुपये के नोट और ३११ रुपये ६६ नये पैसे के पे आर्डर थे ।

(ग) अभी तक दो आदमियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और पुलिस अब भी मामले की जांच-पड़ताल कर रही है ।

(घ) इस बात के बावजूद कि शान्ति और व्यवस्था बनाये रखना सम्बन्धित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, रेलवे प्रशासन ने निम्नलिखित निरोधक उपाय अपनाये हैं :—

(१) गश्त और गुप्त निगरानी और ज्यादा बढ़ा दी गयी है ।

(२) जरायम पेशा इलाकों में खास तौर से ध्यान दिया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) कुछ क्षेत्रों में काम करने वाले पुराने जरायमपेशा लोगों को पकड़ने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से कहा गया है ।

(४) नकदी के साथ जाने के लिए और जरायमपेशा इलाकों में पड़ने वाले स्टेशनों की हिफाजत के लिए रेलवे संरक्षण बल की व्यवस्था की जा रही है ।

ठंडे माल डिब्बे

†१२६. श्री तुलशीदास जाधव :
श्री वि० नु० पाटिल :
श्री जेधे :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संतरा उत्पादक संघों की बराबर यह मांग रही है कि नागपुर, कटोल और दूसरी जगहों से संतरे ले जाने के लिए ठंडे माल डिब्बे दिये जायें; और

(ख) यदि हां, तो यह सुविधाएं देने के लिए रेलवे ने क्या व्यवस्था की है ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

त्रिपुरा में दम्बूरू परियोजना

†१२७. श्री बीरेन दत्त :
श्री सरजू पांण्डेय :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा प्रशासन ने त्रिपुरा में अमरपुर में दम्बूरू परियोजना का निर्माण कार्य आरम्भ करने के लिए ४० लाख रुपये की रकम मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या वह रकम उपर्युक्त परियोजना के लिए की गयी है;

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो वह रकम देने में देर के क्या कारण हैं;

(घ) इस परियोजना के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (घ). इस परियोजना के लिए तीसरी योजना में आरम्भ में ४० लाख रुपये की रकम रखी गयी थी । बाद में यह घटा कर ३४.८१ लाख रुपये कर दी गयी । केन्द्रीय पानी बिजली आयोग ने इस योजना की छानबीन की है और परियोजना रिपोर्ट अन्तिम रूप से तैयार की जा रही है । इस योजना का काम केवल तभी शुरू किया जायगा जब कि सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बिजली परियोजनाओं से सम्बद्ध योजना आयोग की मंत्रणा समिति को वह तकनीकी दृष्टि से स्वीकार्य होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मद्रास दिल्ली जनता एक्सप्रेस का पटरी पर से उतर जाना

†१२८. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री भागवत झा आजाद :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २६-९-६२ को मद्रास-दिल्ली जनता एक्सप्रेस पटरी पर से उतर गयी थी; और

(ख) यदि हां तो उस दुर्घटना का ब्यौरा क्या है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां ।

(ख) जब कि १७ डाउन मद्रास नयी दिल्ली जनता एक्सप्रेस मध्य रेलवे के बीना-झांसी सिंगल लाइन ब्राडगेज सेक्शन पर कागासोड और करोन्डा स्टेशनों के बीच जा रही थी तब इंजन टेन्डर की ट्रेलिंग बोगी के दाहिने अगले पहिये का टायर फट गया और इंजन के ट्रेलिंग बोगी के चारों पहिये किलोमीटर ९९१/८ और ९ के बीच पटरी पर से उतर गये ।

चावल लाने ले जाने पर क्षेत्रीय निर्बन्धन

†१२९. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय गल्ला व्यापारी संस्थाओं के संघ से सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें चावल लाने ले जाने पर क्षेत्रीय निर्बन्धन हटाने के लिये प्रार्थना की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गयी है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा-सचिव (श्री शिन्दे)** : (क) जी हां ।

(ख) वर्तमान क्षेत्रीय व्यवस्था को बदलना फिलहाल उचित नहीं समझा जाता ।

सड़क परिवहन के लिये सहकारी समितियां

†१३०. **श्री कजरोलकर** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क परिवहन के क्षेत्र में सहकारी समितियों की पद्धति चलाने के लिए कोई छानबीन की गयी है और यदि हां, तो क्या नतीजा निकला;

(ख) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में परिवहन सहकारी समितियों के विकास के लिए कोई कार्यक्रम बनाये गये हैं;

(ग) क्या किसी राज्य ने ऐसा कोई प्रस्ताव रखा है; और

(घ) राज्यों में ऐसी सड़क परिवहन सहकारी समितियों का खर्च चलाने के लिए कितनी रकम दी गयी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). परिवहन सहकारी समितियों का विकास तथा उनके संगठन सम्बन्धी समस्याओं पर और तीसरी योजना के लिए ठोस कार्यक्रम बनाने पर विचार करने के लिए सरकार ने परिवहन सहकारी समितियों से सम्बद्ध अध्ययन दल स्थापित किया है इस दल ने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जी, नहीं ।

(घ) इस प्रयोजन के लिए किसी राज्य ने कोई खास रकम नियत नहीं की है ।

हरिद्वार और देहरादून के बीच मालगाड़ी का पटरी से उतरना

१३१. **श्री भक्त दर्शन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २८ सितम्बर, १९६२ की रात को हरिद्वार और देहरादून के बीच डोईवाला स्टेशन पर मालगाड़ी के एक डिब्बे के पटरी से उतर जाने के परिणामस्वरूप कई घंटों तक रेलों का आवागमन रुका रहा;

(ख) यदि हां, तो क्या उन परिस्थितियों व कारणों पर प्रकाश डालने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा जिन में यह दुर्घटना हुई; और

(ग) उस दुर्घटना के लिये जिम्मेदार रेल कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :(क) जी हां । २८-९-६२ को १७.१५ बजे से लेकर २०.२५ बजे तक गाड़ियों का आना-जाना रुका रहा ।

(ख) माल-डिब्बे के पटरी से उतरने का कारण यह था कि ड्राइवर ने गाड़ी का एक हिस्सा स्प्रिंग लगे कांटों पर रोक दिया, जिन्हें आम तौर पर स्लिप साइडिंग के लिए लगाया जाता है । इसके बाद गाड़ी को फिर चलाने के लिए ड्राइवर ने उसे पीछे हटाया । इसका नतीजा यह हुआ कि माल-डिब्बा २ लाइनों पर चला गया, क्योंकि ये कांटे अपने आप स्लिप साइडिंग के लिये लग गये थे ।

(ग) ड्राइवर पर अनुशासन की कार्रवाई की जा रही है ।

मछली उद्योग के लिये पैकेज प्रोग्राम

†१३२. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में मछली उद्योग में पैकेज प्रोग्राम चालू करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा-सचिव (श्री शिन्दे)**: (क) अभी फिलहाल ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अलीपर विकास खण्ड

१३३. **श्री बागड़ी** : क्या सामुदायिक विकास, पंचायती राज तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के अलीपुर विकास खण्ड में वर्ष १९५२ से १९६१ तक कितना रुपया विकास कार्यों पर व्यय किया गया;

(ख) क्या यह सच है कि इस विकास खण्ड पर दिल्ली प्रशासन के अन्य विकास खण्डों की अपेक्षा कम रकम व्यय हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) लगभग १७,६४,००० रुपया ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में यमुना बांध

१३४. श्री बागड़ी : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुना नदी के दायें किनारे पर बसे बुराडी, मलसवा, मुकन्दपुर आदि ३० से अधिक ग्रामों की यमुना नदी के बाढ़ से रक्षा हेतु दिल्ली प्रशासन ने कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वहां की जनता या किसी संस्था ने इस मांग को उठाया है कि यमुना नदी के साथ-साथ दायें किनारे पर वज़ीराबाद ग्राम से पंजाब की सीमा तक एक पक्का बांध बनाया जाये; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) यमुना नदी की बाढ़ से खेती वाली भूमि के बचाव के लिए नीचे लिखे बांध बनाये गये हैं : —

(१) पल्ला

(२) मोहम्मदपुर–रमज़ानपुर

(३) मखमेलपुर

बुरारी, भलसवा, जहांगीरपुर और दूसरे छहों गांवों के लिए बवाना एस्केप बचाव-बांध का काम करता है ।

(ग) और (घ). जी हां । अलीपुर ब्लाक की जनता ने ताजपोशी-स्मारक खंभे के पास से से लेकर पल्ला गांव तक एक बांध बनाने की मांग की थी । तकनीकी विशेषज्ञों ने इस पर विचार किया परन्तु उन्होंने इस सुझाव का समर्थन नहीं किया ।

पोंग बांध

†**१३५. श्री हेम राज** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्यास परियोजना के पोंग बांध की ऊंचाई फिर बदल दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो किस ऊंचाई तक उसे उठाने का विचार है ;

(ग) पहले के गांवों को छोड़ कर और कितने अतिरिक्त गांवों पर इस ऊंचाई के कारण असर पड़ेगा ; और

(घ) उन गांवों के नाम क्या क्या हैं ; और

(ङ) क्या ऊंचाई बढ़ाने की इस योजना से ब्यास नदी पर डेरागोपीपुर के पुल पर कुछ असर पड़ेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन): (क) और (ख). सुरक्षा उपाय के तौर पर ब्यास बांध का सिरा ई० एच० १४१५ से ई० एच० १४३० तक ऊंचा करने का निश्चय किया गया है। जलाशय का स्तर आरम्भ में प्रस्तावित अर्थात् ई० एच० १४०० तक ही रहेगा ।

(ग) कोई नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ङ) जी नहीं ।

दिल्ली में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा औषधालय

†१३६. श्री वाडिवा : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१ और १९६२ में माहवार, दिल्ली में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा औषधालयों में कितने नये और पुराने रोगी आते रहे ;

(ख) क्या भारसाधक डाक्टर रोजाना सभी रोगियों को देख पाते हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो वे लगभग कितने प्रतिशत रोगियों को रोजाना देखते हैं ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) विवरण संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट १, नबन्ध संख्या १७]

(ख) जी हां ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

माल डिब्बों का दिया जाना

१३७. श्री बेरवा कोटा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिवानी मण्डी, मीरक और रामगंज स्टेशनों को १९६२ में अब तक अलग-अलग कितने-कितने वैगन दिये गये ; और

(ख) वैगनों की अलाटमेंट किन आधारों पर की गई ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामवस्वामी) : (क)

स्टेशन	दिये गये माल-डिब्बों की संख्या
१. भिवानी मंडी	७०२
२. मीरक	१५०२
३. रामगंज	४४३४
जोड़	६६३८

(ख) माल डिब्बों का नियतन (अलाटमेंट) निम्नलिखित आधार पर किया जाता है :—

(१) हर स्टेशन पर माल डिब्बों के लिए दर्ज बाकी मांगें ।

(२) इन स्टेशनों पर और डिवीजन में माल डिब्बों की उपलब्धि ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) उच्चतर अग्रता यातायात (हायर प्रायरिटी ट्रैफिक) से सम्बन्धित वायदे ।

(४) कोटे और लागू प्रतिबन्ध ।

रामदेवरा रेलवे स्टेशन

१३८. श्री बेरवा कोटा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रामदेवरा रेलवे स्टेशन पर वर्ष १९६१ और १९६२ में अब तक कुल कितने टिकट बिके ; और

(ख) रामदेवजी मेले पर जोधपुर व फलौदी से व अन्य जगहों से इस वर्ष स्पैशल गाड़ियां न चलाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० बें० रामस्वामी) : (क) कैलेंडर वर्ष १९६१ में ६११४४ १/२ टिकट और १९६२ में १५ अक्टूबर तक ५५६४७ १/२ टिकट ।

(ख) रेल इंजनों और सवारी डिब्बों की उपलब्धि के अनुसार इस वर्ष भी स्पैशल गाड़ियां चलायी गयीं ।

कोटा रेलवे यार्ड कालोनी में डाकघर

१३९. श्री बेरवा कोटा : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोटा रेलवे यार्ड कोलोनी और गांवों की आबादी २० हजार है ; और

(ख) यदि हां, तो वहां डाकघर न खोलने के क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती): (क) जी नहीं । रेलवे कोलोनी तथा उसके दो मील की अरीय दूरी में स्थित गांवों की अनुमानित जनसंख्या लगभग ७,००० है ।

(ख) कोलोनी से एक मील की दूरी के भीतर एक डाकघर है । स्वयं कोलोनी में एक डाकघर खोलने का प्रश्न विचाराधीन है ।

बीज का उत्पादन और वितरण

†**१४०. श्री प्र० चं० बरुआ:** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री १६ अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८०० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अच्छे किस्म के बीजों का उत्पादन और वितरण विनियमित करने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा अपनाये जाने के लिए एक आदर्श विधेयक बनाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा बनाई गई समिति ने इस बीच प्रारूप आदर्श विधेयक तैयार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह तकनीकी सहयोग शिष्टमंडल के डा० कार्टर द्वारा तैयार किये गये प्रारूप आदर्श विधेयक की तुलना में उसकी मुख्य मुख्य बातों के सम्बन्ध में कैसा है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) समिति अभी आदर्श विधेयक का प्रारूप तैयार करने में लगी हुई है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली-फलबाग विमान-सेवा

†१४१. { **श्री यु० द० सिंह :**
श्री प० वेंकटासुब्बैया :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और फूलबाग (नैनीताल) के बीच विमान सेवा दैनिक सेवा के रूप में बदली जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो यह दैनिक सेवा कब आरम्भ होगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दामोदर घाटी निगम नौचालन नहर

†१४४ { **श्री रानेन रेंसेन :**
श्री बीनेन भट्टाचार्य :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबी की फसल की खेती के लिए पानी की सप्लाई ५० प्रतिशत कम करके दुर्गापुर से त्रिवेनी तक दामोदर घाटी निगम नहर नौचालन योग्य बनाने का निश्चय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इससे उस क्षेत्र में रबी की फसल पर बहुत गहरा असर पड़ेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख) . पश्चिम बंगाल सरकार की यह राय है कि बराबर बढ़ती हुई औद्योगिक और घरेलू खपत के लिए पानी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नौसंचालन के लिए पानी देने के बाद वर्तमान भंडार से रबी फसल की सिंचाई की सम्पूर्ण आवश्यकता पूरी नहीं की जा सकती । इसलिए उसने रबी की सिंचाई की तुलना में नौचालन को प्राथमिकता देना मंजूर किया है । इसका मतलब यह होगा कि तीसरी योजना के दौरान १ लाख एकड़ के मुकाबले में केवल ५५,००० एकड़ जमीन में ही रबी की सिंचाई हो सकेगी ।

दक्षिण रेलवे में गाड़ी का पटरी पर से उतर जाना

†१४३. **श्री राम कृष्ण रेड्डी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३० सितम्बर को दक्षिण रेलवे के धर्मवरम जंक्शन और जंगलापल्ले के बीच मिली जुली रेलगाड़ी के माल डिब्बे और सवारी डिब्बे पटरी पर से किन कारणों से उतर गये थे ;

(ख) रेलवे सम्पत्ति को संभवतः कितना नुकसान हुआ और कितने आदमी आहत हुए ; और

(ग) बार बार इस प्रकार पटरी पर से उतर जाने की संभावना को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) ३०-९-६२ को धर्मवरम् और जंगलापल्ले के बीच में किसी रेलगाड़ी की दुर्घटना नहीं हुई थी । फिर भी, मिली जुली संख्या १०५६ डाऊन रेलगाड़ी की एक दुर्घटना ३०-९-६२ को हुई थी जिससे अनन्तपुर और जंगलापल्ले के बीच १२ माल डिब्बे चकनाचूर हो गये । दुर्घटना के कारण की छानबीन की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अनुमान है कि लगभग ८,१४१ रुपये की रेलवे सम्पत्ति का नुकसान हुआ। किसी जान की हानि नहीं हुई।

(ग) रेलवे प्रशासन ने समय समय पर अपनी आवश्यकता के अनुसार आवश्यक सुधार के उपाय अपनायें हैं। इन दुर्घटनाओं को यथासंभव कम करने के उपायों का उल्लेख अनुबन्ध में किया जा चुका है।

पंजाब में खाद्यान्नों का लाया जाना तथा वहां से बाहर भेजा जाना

†१४४. **श्री दलजीत सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलों द्वारा १९६१–६२ में पंजाब से बाहर कितना खाद्यान्न ले जाया गया तथा इसी अवधि में कितना पंजाब में लाया गया ; और

(ख) खाद्यान्नों के इस आने जाने के कारण रेलों ने कितना भाड़ा कमाया ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) १९६१–६२ में पंजाब से लगभग ३८१२९ ब्राडगाज तथा १४९०४ मीटर गाज वैगनों में खाद्यान्न बाहर ले जाया गया। और पंजाब में ६४८६ ब्राडगाज वैगन खाद्यान्न लाया गया।

(ख) खाद्यान्नों के इस आने जाने के कारण भाड़े से निम्न आय हुई :—

पंजाब में	३,४७,७७,९६६ रुपये
पंजाब को	३७,७७,४९५ रुपये

नंगल उपनगर में पीने के पानी का संभरण

†१४५. **श्री दलजीत सिंह** : क्या स्वास्थ्य मंत्री २८ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ९०७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'प्रतापनगर' नामक, नंगल बांध की बाहरी कालोनी को पीने के पानी के संभरण की योजना पंजाब सरकार ने अब प्रस्तुत कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** (क) और (ख): प्रतापनगर, नंगल बांध में पीने के पानी का संभरण करने की योजना सब से पहले नबम्बर १९६१ में भारत सरकार को मिली थी परन्तु टेक्निकल टिप्पण समेत पंजाब सरकार को उसे लौटा दिया गया था। पुनरीक्षित योजना १–११–६२ को अब मिली है और विचाराधीन है।

भूतपूर्व सैनिकों की ब्रांच पोस्ट मास्टरों के रूप में नियुक्ति

†१४६. **श्री हेम राज** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से भूतपूर्व सैनिकों को गांवों में ब्रांच पोस्ट मास्टर नियुक्त किया गया है ;

(ख) क्या इनको सरकारी सेवा में पुनः नियुक्त समझा जायेगा अथवा अंशकालिक काम के लिए मासिक भत्ते के आधार पर नियुक्त किया जायेगा ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या इनको सरकारी कर्मचारी समझा जायेगा और भविष्य निधि तथा पेंशन लाभ आदि दिए जायेंगे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और तैयार होने पर सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

(ख) जी नहीं। ये निश्चित मासिक भत्ते पर अंशकालिक कर्मचारी हैं।

(ग) जी नहीं।

बिना टिकट के यात्रा

†१४७. **श्री तन सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिना टिकट के यात्रा से प्रत्येक वर्ष अनुमानतः कितनी हानि हुई थी ;

(ख) क्या कानपुर-लखनऊ सैक्शन पर सब से अधिक बिना टिकट के यात्रा होती है ; और

(ग) यदि हां, तो बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिए इस सैक्शन पर क्या विशेष कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) लगभग ५ करोड़ रुपये वार्षिक।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पुनर्नवा

†१४८. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :
श्री दाजी :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय बूटी, पुनर्नवा, औषधि बनाने के लिए आस्ट्रिया को तथा अन्य विदेशों को निर्यात की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इससे आयुर्वेदिक अनुसंधान के महत्व को अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता मिलती है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** (क) : भारत सरकार को पुनर्नवा के निर्यात के बारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि इसके आंकड़े औषधियों तथा सुगन्धि के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले पौदों, बीजों, फूलों के अधीन होते हैं। संभव है कि अनुसंधान तथा प्रयोग के लिए थोड़ी मात्रा में विदेशों द्वारा इसका आयात किया जाता हो।

(ख) पुनर्नवा में रुचि लिए जाने के कारण आयुर्वेदिक अनुसंधान के महत्व के कारण इसे अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिल सकेगा।

सैलम-विरुदाचलम सेक्शन पर रेल दुर्घटना

†१४९. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १७ सितम्बर, १९६२ को दक्षिण रेलवे के सैलम-विरुदाचलम सैक्शन की लैवल क्रासिंग पर एक यात्री गाड़ी और एक लारी की टक्कर हो गई थी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस दुर्घटना में कितने व्यक्ति हताहत हुए;

(ग) क्या संबंधित लैवल क्रासिंग पर कर्मचारी रख दिए गये थे ; और

(घ) गत तीन महीनों में सभी रेलों की बिना कर्मचारियों की क्रासिंग पर कितनी दुर्घटनाय हुई ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां ।

(ख) लारी में यात्रा करने वाले सात व्यक्ति घायल हो गये थे जिनमें से चार को सख्त चोटें आई थीं ।

(ग) बिना कर्मचारी वाली ।

(घ) पन्द्रह ।

इंटीग्रल कोच फैक्टरी

†१५०. **श्री बिशनचन्द्र सेठ :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री वारियर :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्पेशल वैल्डिंग ग्रेड इस्पात का अभी भी आयात किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार रूरकेला इस्पात कारखाने से ऐसे वेल्डिंग ग्रेड इस्पात का उत्पादन करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(ग) प्रत्येक डिब्बे के लिए इस प्रकार के कितने इस्पात की आवश्यकता होती है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां । पेराम्बूर, मद्रास की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा डिब्बों के निर्माण के लिए मंगाये गये स्पेशल वैल्डिंग ग्रेड इस्पात समेत रेलवे के लिए आवश्यक इस्पात का अधिकांशतया आयात किया जा रहा है ।

(घ) इंटीग्रल कोच फैक्टरी के लिए स्पेशल वैल्डिंग ग्रेड इस्पात की आवश्यकताओं के मुख्यत: इस्पात प्लेट तथा शीटें हैं । यद्यपि इस ग्रेड के इस्पात की थोड़ी मात्रा भारत में भी बनती है परन्तु इंट्रीग्रल कोच फैक्टरी की अधिक आवश्यकताएं आयात की जाती हैं ।

मैसर्स टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी तथा हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, रूरकेला, मुख्यत: इस इस्पात का उत्पादन करते हैं । रूरकेला इस्पात कारखानों की उत्पादन क्षमता ऐसे इस्पात की मांग के अनुसार नहीं है । परन्तु आयरन एण्ड स्टील कंट्रोलर ने इंटीग्रल कोच फैक्टरी के लिए १९६२–६३ में रूरकेला इस्पात कारखाने से विशेष ग्रेड वैल्डिंग स्टील की कुछ मात्रा देने का प्रस्ताव किया है । इस आर्डर के लिए संभरण की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ग) इंटीग्रल कोच फैक्टरी में बने प्रति डिब्बे में लगभग १६ मीट्रिक टन इस्पात लगता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जूट का उत्पादन

†१५१. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस वर्ष कितना जूट उत्पादन होने की आशा है ;

(ख) गत वर्ष के उत्पादन की तुलना में यह कितना है ; और

(ग) क्या जूट की खेती पर कच्चे जूट के मूल्यों के प्रभाव की जांच की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) और (ख) सरकारी अनुमान मालूम नहीं है ।

(ग) हाल में ही कोई जांच नहीं की गई है । परन्तु यह देखा गया है कि मूल्यों का जूट की खेती पर असर होता है ।

टोम्का और जाखापुरा (उड़ीसा) के बीच रेलवे लाइन

†१५२. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** क्या **रेलवे** मंत्री ५ सितम्बर, १६६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २३४४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) उड़ीसा में टोम्का और जाखापुर के बीच रेलवे लाइन का सर्वेक्षण करने में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या यह भी प्रस्ताव है कि यह सर्वेक्षण परादीप पत्तन तक करने का विचार है जिससे टोम्का खान से रेलवे द्वारा बन्दरगाह को लौह अयस्क ले जाया जा सके ; और

(ग) क्या इस पर उड़ीसा सरकार से बातचीत कर ली गई है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) और (ख) टोम्का। देईतेरी का नयागढ़ क्षेत्रों को पराद्वीप पत्तन से मिलाने की एक रेलवे लाइन का १६६३–६४ में प्रारंभिक इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण करने का विचार है ।

(ग) जी हां ।

वन अनुसंधान संस्था

†१५३. **श्री प्र० के० देव :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गौहाटी और जबलपुर में दो और वन अनुसंधान संस्थायें बना रही हैं ;

(ख) इसमें कितना व्यय होगा तथा यह कब चालू हो जायेंगे ;

(ग) क्या यह देहरादून की वन अनुसंधान संस्था से संबद्ध होंगे ; और

(घ) इन दोनों संस्थाओं में किस विशेष प्रकार का अनुसंधान कार्य होगा ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) दो प्रादेशिक वन अनुसंधान संस्थायें गोहाटी और जबलपुर में स्थापित की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) गौहाटी केन्द्र के लिए २६ लाख रुपये और जबलपुर केन्द्र के लिए २४.६ लाख रुपये। यह आंकड़े अस्थाई हैं। इनको किन तिथियों से चालू किया जायेगा इस बारे में कोई तारीख निश्चित नहीं की गई है।

(ग) जी हां। यह वन अनुसंधान संस्था, देहरादून के अधीन होंगे।

(घ) गौहाटी केन्द्र में निम्न विभागों के अधीन प्रादेशिक प्रकार की समस्याओं पर अनुसंधान होगा :—

सिल्वीकल्चर, भू-विज्ञान, इमारती लकड़ी का उपयोग, कैमिस्ट्री और वन उत्पादों का कवक विज्ञान।

जबलपुर केन्द्र में निम्न विभागों के बारे में अनुसंधान होगा :—

सिल्वीकल्चर, भू-विज्ञान, इमारती लकड़ी का उपयोग तथा वन रक्षण।

श्रमिकों की सहकारी संस्थाएं

†१५४. **श्री प्र० के० देव** : क्या **सामुदायिक विकास, पंचायती राज तथा सहकार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की यह इच्छा है कि देश में समूचा विकास कार्य ठेकेदारों के बजाय श्रमिकों की सहकारी संस्थाओं द्वारा करवाया जाए ;

(ख) क्या सरकारी नियंत्रण से मुक्त, श्रमिकों की सहकारी संस्थाओं की एक अखिल भारतीय संघ बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो संघ का विवरण क्या है ?

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्याम धर मिश्र)** : (क) सरकार की नीति यह है कि अधिकतम संभव मात्रा तक श्रमिकों के ठेका तथा निर्माण संस्थाओं द्वारा कामों को करवाने के लिये इन की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाए।

(ख) जी, नहीं। श्रमिकों के ठेके तथा निर्माण सहकारी संस्थाओं संबंधी अखिल भारतीय सम्मेलन जो नागपुर में हुआ था, उस में सिफारिश की गई है कि सरकार को श्रमिक सहकारी संस्थाओं के विकास के लिये समुचित प्लान और कार्यक्रम बनाने के लिये मंत्रणा देने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर एक सलाहकार निकाय स्थापित किया जाना चाहिये।

(ग) सवाल पैदा नहीं होता।

क्षय रोग का घरों पर इलाज

†१५५. **श्री यलमंदा रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घरों पर क्षय रोग का इलाज करने की योजना का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है ताकि अधिक से अधिक रोगियों का इलाज किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस का विवरण क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी हां ।

(ख) टिप्पण की एक प्रति जिसमें अन्य बातों के साथ साथ एक जिला क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम की सिफारिश की गई है, जिसमें क्षयरोगियों के घर पर इलाज का समर्थन किया गया है और जो राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशासी मैडिकल अफसरों को परिचालित किया गया है, संलग्न है । **[पुस्तकालय में रख दी गई । देखिये एल० टी०–४८६/६२]**

दामोदर घाटी निगम के लिये रेंड़ बांध की बिजली

†१५६. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेंड बांध से दामोदर घाटी निगम ग्रिड द्वारा कितनी बिजली का प्रयोग किया जा रहा है;

(ख) कितनी बिजली और उपलब्ध होगी; और

(ग) क्या यह सही है कि समूचा दामोदर घाटी निगम ग्रिड रिहांद ग्रिड के साथ जुड़ा हुआ नहीं है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) सामान्य अवस्थाओं में १०० प्रतिशत लोड तत्व पर २० मैगावाट ।

(ख) कुछ नहीं ।

(ग) दोनों ग्रिड जुड़े हुए हैं, किन्तु दोनों एक दूसरे के साथ समान तौर पर नहीं चल रहे हैं ।

पश्चिमी बंगाल में पीने के पानी का संभरण

†१५७. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २२ मई, १६६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ६२६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तीसरी योजना में भातपारा, डमडम, उत्तर डम डम, दक्षिण डम डम के लिये जल संभरण योजनाओं के लिये कितनी राशि नियत की गई है तथा उनकी कितनी कितनी जल संभरण क्षमता मंजूर की गई है ;

(ख) ये योजनाएं कहां तक पूरी की गई हैं;

(ग) दूसरी तथा तीसरी योजनाओं में बारानगर, कमारहाटी, भातपारा (प्रक्रम १) में जल संभरण योजनाओं में कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) इन नगरपालिकाओं में जल संभरण स्थिति में कहां तक उन्नति हुई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है पश्चिम बंगाल सरकार से और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

टेलीफोन

†१५८. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में (१) समूचे तौर पर, (२) नगरीय भागों में, तथा (३) ग्राम्य क्षेत्रों में प्रति एक हजार व्यक्तियों के पीछे कितने टेलीफोन हैं; और

(ख) समूचे एशिया तथा यूरोप के अति विकसित देशों के तत्समानी आंकड़ों के मुकाबलें में ये आंकड़े कैसे हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) :** (क) १.१ टेलीफोन १००० लोगों के पीछे ।

(२) और (३) लगभग सभी टेलीफोन देश के नगरीय क्षेत्रों में हैं।

(ख)

देश का नाम	प्रति एक हजार जनसंख्या के पीछे टेलीफोन
भारत	१.१
रशिया	५.०
फ्रांस	९५.०
स्वीडन	३६०.८
स्विटजरलैंड	३०६.५
पश्चिमी जर्मनी	१०७.०
इंगलिस्तान	१५६.९

प्रादेशिक चिकित्सा कालेज

†१५९. **श्री नि० रं० लाश्कर :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस समय हमारे देश के विभिन्न भागों में कोई प्रादेशिक चिकित्सा कालेज चल रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी कुल संख्या कितनी है ;

(ग) क्या नवीन प्रादेशिक चिकित्सा कालेज प्रारंभ करने के प्रस्ताव हैं ;

(घ) क्या यह सत्य है कि केन्द्रीय सरकार सिल्चर, आसाम में एक प्रादेशिक चिकित्सा कालेज खोलने का विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** (क) जी नहीं।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) आसाम, उड़ीसा तथा नागालैंड की सरकारों से पूर्वी प्रादेशिक परिषद के द्वारा प्रस्ताव आये हैं कि उनके अपने २ राज्यों में प्रादेशिक चिकित्सा कालेज खोले जाएं। वे प्रस्तावों इन कारणों से स्वीकार नहीं किये गये:—

(१) पश्चिम बंगाल सरकार के पास डाक्टर फालतू हैं। और आसाम तथा उड़ीसा जैसे पड़ौसी क्षेत्र उचित प्रोत्साहन देकर इन फालतू डाक्टरों को आकर्षित कर सकते हैं।

(२) मनीपुर, त्रिपुरा, नीफा तथा नागालैंड जैसे संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकताएं इन क्षेत्रों से आने वाले प्रार्थियों के लिये देश के विभिन्न चिकित्सा कालेजों में स्थानों के आरक्षण की वर्तमान पद्धति के द्वारा पूर्णतः पूरी की जाती है।

(३) यह भी अनुभव किया गया था कि चिकित्सा कालेज, जो हाल ही में उड़ीसा तथा आसाम में खोले गये थे, दूसरी परियोजनाओं को कार्यान्वित करना आरंभ करने से पूर्व उनमें पूर्णतः तथा अच्छी तरह सामान आदि की व्यवस्था कर दी जाए।

हाल ही में उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने अपनी सरकार की प्रार्थना को दुहराया है और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सरकारों ने भी मध्य प्रादेशिक परिषद के द्वारा अपने अपने राज्यों में प्रादेशिक चिकित्सा कालेजों की स्थापना का प्रश्न उठाया है। ये प्रस्ताव योजना आयोग के साथ परामर्श से परीक्षणाधीन हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) सवाल पैदा नहीं होता।

गांवों में डाकखाने

†१६०. **श्री तुलशी दास जाधव :**
श्री शिवाजी राव शं० देशमुख :
श्री जेधे :
श्री रावनदले :
श्री किशन वीर :
श्री वि० तु० पाटिल :
श्री गु० शं० पाटिल :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष अक्तूबर १९६२ में गांवों में (राज्य-वार) नये डाकखाने खोलने के लिए कितने नये आवेदन पत्र मिले थे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १८]

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर रेलवे के बुक स्टालों पर रेलवे समय-सारणी की बिक्री

†१६१. श्री हेम राज : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे पर बुक स्टालों द्वारा रेलवे समय सारणी की प्रतियों की बिक्री बन्द कर दी गई है और रेलवे स्टेशनों के जांच तथा रक्षण कार्यालयों के कर्मचारियों को यह काम सौंप दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि १ अक्तूबर, १६६२ से लागू रेलवे समय सारणी की प्रतियां १ अक्तूबर, १६६२ को काउन्टर पर उपलब्ध नहीं थीं; और

(घ) यह कब प्रकाशित किया गया तथा इसको बिक्री के लिए उपलब्ध क्यों नहीं किया गया था ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) बुक स्टालों के द्वारा समय सारणी की बिक्री बन्द नहीं की गई है। रिजर्वेशन/जांच/बुकिंग आफिसरों के द्वारा उत्तर रेलवे समय सारणियों की ५० प्रतिशत तथा स्टेशनों के बुक स्टालों द्वारा ५० प्रतिशत प्रतियां बेची जाती हैं। क्योंकि बुक स्टालों के एजेन्टों ने अपना कोटा नहीं लिया इसलिए रिजर्वेशन/जांच/बुकिंग आफिसों के द्वारा समय सारणियों का कोटा बढ़ा दिया है जिसमें जनता को पर्याप्त समय सारणियां उपलब्ध हो सकें।

(ग) और (घ) १-१०-६२ से लागू उत्तर रेलवे समय सारणियां २३ सितम्बर, १६६२ को प्रकाशित हुई थीं और २४ सितम्बर, १६६२ से महत्वपूर्ण स्टेशनों के रिजर्वेशन/जांच/बुकिंग आफिसों पर बिक्री के लिए उपलब्ध कर दी गई थीं।

राजपथों की सड़कें

†१६२. श्री रामनाथन् चेट्टियार : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में राज्यवार देश में बड़ी सड़कों तथा राजपथों के विकास के लिये कितनी रकम आवंटित की गई है ;

(ख) अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) अब तक वास्तव में कितनी राशि खर्च की गई थी ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) केन्द्र तथा राज्य सरकारों दोनों के अधीन तीसरी पंचवर्षीय योजना में सड़क विकास के लिये ३२४.५६ करोड़ रुपये की व्यवस्था है। इस में से राज्य क्षेत्र में सड़कों के लिये २४४.५६ करोड़ रुपये रखे गये हैं तथा केन्द्रीय क्षेत्र में ८० करोड़ रुपये रखे गये हैं। राज्य क्षेत्र में राज्य-वार व्यय के आंकड़े देने वाला एक विवरण सम्बद्ध है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १६] बड़ी सड़कों तथा

†मूल अंग्रेजी में

राजपथों के लिये अलग अलग आवंटन बताना संभव नहीं है । केन्द्रीय क्षेत्र में समस्त देश के लिये निम्न योजनाओं के लिये आवंटन किया गया है :

(१) राष्ट्रीय राजपथ	४८.५० करोड़ रुपये
(२) सिक्किम में अन्य राज्य	१.५० करोड़ रुपये
(३) अन्तर्राज्य अथवा आर्थिक महत्व की केन्द्रीय सहायता प्राप्त राज्य सड़क	३० करोड़ रुपये
	८०.०० करोड़ रुपये

इस के अतिरिक्त, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था ने ६०० लाख डालरों (लगभग २९ करोड़ रुपये) का विकास ऋण दिया है जो पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और महाराष्ट्र राज्यों में चुने हुए राष्ट्रीय राजपथ पर खर्च करने के लिये होगा । यह ऋण चालू पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय राजपथों के लिये किये गये ४८.५० करोड़ रुपयों के उपबन्ध के अतिरक्त है ।

(ख) और (ग) केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रों में चालू योजना के पहले दो वर्षों में देश की सड़कों में लगभग ८,५०० मील कोलतार की सड़कें बनाने की आशा है जो वर्तमान सड़कों में सुधार करने तथा नदियों पर पुल बनाने के अतिरिक्त होगा और जिस पर लगभग १३३ करोड़ रुपये का अनुमानित व्यय होगा ।

असैनिक उड्डयन प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद

†१६३. **डा० रानेन सेन :**
श्री दीनेश भट्टाचार्य :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़न प्रशिक्षण स्कूल असैनिक उड्डयन प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद बन्द किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस को बन्द करने के कारण फालतू हो गये कर्मचारियों को खपाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) जी हां ।

(ख) चालकों को रोज़गार न मिलने के कारण प्रशिक्षार्थियों का नया दल स्कूल में दाखिल नहीं किया गया और इलाहाबाद के हवाई अड्डे समेत, फ्लाइंग स्कूल का समस्त क्षेत्र प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा ले लिया गया ।

(ग) फ्लाइंग स्कूल के बन्द हो जाने के कारण फालतू हो गये कर्मचारियों को असैनिक उड्डयन विभाग में तथा भारतीय विमान बल में खपाने का विचार है ।

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली को पंजाब से बिजली का संभरण

†१६४. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाखड़ा से बिजली के संभरण के लिये पंजाब राज्य विद्युत् बोर्ड तथा पंजाब राज्य सरकार को दिल्ली विद्युत् संभरण उपक्रम द्वारा कितना धन देना बकाया है ;

(ख) क्या दिल्ली विद्युत् संभरण ने यह धन दे दिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (ग) मार्च, १९६३ के अन्त तक दिल्ली बिजली संभरण उपक्रम को पंजाब राज्य विद्युत् बोर्ड द्वारा संभरित बिजली के शुल्क के रूप में पंजाब सरकार ने लगभग ५६.७३ लाख रुपये मांगे हैं। उपक्रम ने इस रकम को ग़लत बताया तथा इस रक़म का भुगतान नहीं किया। मामले के संबंध में बातचीत हो रही है और आशा है कि शीघ्र ही मामला तय हो जायेगा।

दिल्ली विद्युत् संभरण उपक्रम भाखड़ा से मिलने वाली बिजली के बिलों का भुगतान उन के मिल जाने पर तुरन्त कर देता है।

श्री कृष्ण मेनन के त्याग पत्र के बारे में

†**श्री रंगा** (चित्तूर) : हमें समाचारपत्रों से पता चला है कि माननीय प्रतिरक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है और कि माननीय प्रधान मंत्री ने इस बात की कांग्रेस दल की बैठक में घोषणा की। उन का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया, परन्तु अभी तक सदन को नहीं बताया गया है। ऐसे महत्वपूर्ण मामलों के बारे में साधारणतया सदन के नेता सदन को बताते हैं।

†**कुछ माननीय सदस्य** : प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री। प्रतिरक्षा मंत्री नहीं।

†**श्री रंगा** : दोनों प्रतिरक्षा मंत्री और प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य, प्रतिरक्षा तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य श्री कृष्ण मेनन का ज़िक्र कर रहे हैं, जोकि पिछले कुछ दिनों से प्रतिरक्षा मंत्री नहीं हैं, परन्तु प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री हैं।

†**श्री रंगा** : मैं गलत कह सकता हूं। परन्तु दोनों वक्तव्य इस सदन के सामने देने थे।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : उन्हों ने कई बार त्याग पत्र देने के बारे में कहा था, परन्तु परसों उन्हों ने फिर त्याग पत्र दिया और मैं ने राष्ट्रपति को इस सिफारिश के साथ भेज दिया कि इसे स्वीकार कर लिया जाय। आज सदन में आने से थोड़ी देर पहले मुझे राष्ट्रपति से उत्तर मिला कि इन परिस्थितियों में खेद से उन्हों ने उसे मनजूर कर लिया है। मेरे विचार में दिन के दौरान में रेडियो पर और शायद समाचारपत्रों में घोषणा कर दी जायेगी। मेरे और श्री कृष्ण मेनन के बीच जो इस विषय पर पत्र व्यवहार हुआ है उस की घोषणा कर दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरु]

जो मंत्री त्यागपत्र देता है वह वक्तव्य देता है। श्री कृष्ण मेनन ने मुझ से पूछा कि क्या इस मौके पर ऐसा करना आवश्यक था। मेरे विचार में चूंकि हम सारे मामले पर और सभा के सामने संकल्पों पर उन के त्यागपत्र पर नहीं पूर्णतया विचार कर रहे हैं, और हम सभी तथ्यों को अच्छी प्रकार जानते हैं तो जब तक कि सदन की इच्छा न हो उन के लिये वक्तव्य देना आवश्यक नहीं है। यह स्थिति है।

†**कुछ माननीय सदस्य** : ऐसा आवश्यक नहीं है।

मंत्री-परिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव के बार में

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे सदन को बताना है .

श्री बागड़ी (हिसार) : मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। सदन के सामने कुछ नहीं है। अतः कोई औचित्य प्रश्न नहीं हो सकता।

श्री बागड़ी : मेरी थोड़ी सी अर्ज है।

अध्यक्ष महोदय : पहले मेरी अर्ज सुन लीजिये, फिर मैं आप की सुन लूंगा। मुझे सदन को बताना है कि मुझे सर्वश्री रामसेवक यादव और मनीराम बागड़ी से नियम १९८ के अन्तर्गत मंत्रि-परिषद् में अविश्वास के निम्नलिखित प्रस्ताव की सूचना मिली है :

'यह सभा मंत्रि-परिषद् में अविश्वास प्रकट करती है'।

इसका यह कारण दिया गया है :—

भारत सरकार की निष्क्रिय और सिद्धान्तहीन वैदेशिक और प्रतिरक्षा नीति।

जो सदस्य प्रस्ताव को अनुमति दिये जाने के पक्ष में हैं वे अपने स्थान पर खड़े हो जायें।

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, आप मेरा निवेदन तो सुन लें। मैं आप से व्यवस्था चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह माननीय सदस्य का ही मोशन है और वे ही इस पर प्वाइंट आफ आर्डर उठाते हैं ?

श्री रामसेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव मैं ने दिया हैं, उस के सम्बन्ध में एक नियम यह है कि आप माननीय सदस्यों से कहेंगे कि वे अपने स्थानों पर खड़े हो जायें। लेकिन जब तक कि उस प्रस्ताव की बातों को यहां पर माननीय सदस्य जानेंगे नहीं, जब तक उन को मालम नहीं होगा कि मैं ने क्या प्रस्ताव दिया है तब तक वे कैसे अपना मत बनायेंगे खड़े होने के लिये ? मैं ने एक प्रस्ताव पहले दिया था, उस में सारे कारण दिये थे। लेकिन यह कह कर कि वे एक तरह का भाषण है, आप ने उस को नहीं माना। तब मैं ने इस को दिया। तो या तो उस के पूरे कारण यहां पढ़े जाते या फिर जो पचास आदमियों के खड़े होने की व्यवस्था है उस के सम्बन्ध में मुझे दो चार मिनट अपनी बात कहने का मौका दिया जाय और उसके बाद प्रस्ताव को यहां रक्खा जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में रुल साफ हैं और उन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। बल्कि पिछली दफा जो रीजन्स दिये गये थे उनको भी स्पीकर साहब ने नहीं पढ़ा था, जब श्री ब्रजराज सिंह ने एक ऐसा मोशन दिया था। सिर्फ इतना ही कहा गया था :

"कि सभा अपने अविश्वास के मत को प्रकट करती है"

सिर्फ इतना ही पढ़ा गया था। लेकिन मैंने जो आपके रीजन्स लिखे हुए थे उनको भी पढ़ दिया है कि किन वजूहात की बिना पर आप यह **मोशन फार नो कांफिडेन्स** देना चाहते हैं।

श्री रामेश्वरानन्द : जरा हमको यह हिन्दी में भी सुना दिया जाय, अभी सिर्फ इंगलिश में ही सुनाया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने स्वामी जी से बहुत दफे कहा है कि हर एक बात पर बार बार यह कहा जाना ठीक नहीं है।

श्री रामेश्वरानन्द : यह बहुत महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : यह बात उचित नहीं कि हर एक बात पर यह कहा जाय।

श्री रामसेवक यादव : मेरा एक निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय : आपने जो नो कांफिडेन्स मोशन दिया है, उसके बारे में रुल्स बहुत साफ हैं। इस पर कोई तकरीर पहले नहीं हो सकती जब तक कि यह हाउस इजाजत न दे कि आप उसको मूव कर सकते हैं। पहले जो इजाजत लेनी है वह इसीलिये लेनी है कि आया आपको आज्ञा दी जाय या नहीं कि आप इसको मूव कर सकते हैं। अगर आपको मूव करने की आज्ञा दे दी गई, तब आपको पूरा अख्त्यार होगा अपनी बात कहने का। तब मैं आपसे कहूंगा कि जो वक्त मुकर्रर किया जायेगा उस वक्त आप उसको मूव करेंगे और सब माननीय सदस्य अपना भाषण देंगे, अपने कारण बतलायेंगे कि किस बिना पर यह मोशन दिया जा रहा है। लेकिन जो आज्ञा पहले लेनी होती है उस पर कोई भाषण नहीं होता। मेरे लिये यह जरुरी है कि इस कायदे के मुताबिक इसको सदन के सम्मुख रक्खूं, और मैं माननीय सदस्यों से दरख्वास्त करता हूं कि जो लोग इस मोशन के हक में हों वे कृपा करके अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो जायें। मैं देखता हूं कि केवल सात माननीय सदस्य खड़े हुए हैं, इसलिये मेरा विचार है कि सदन इस मोशन को रखने की आज्ञा नहीं देता।

श्री रामेश्वरानन्द : यह सदन कुछ सुनना नहीं चाहता, इसलिये यह स्थिति बन रही है।

कुछ माननीय सदस्य : आप बैठ जाइये।

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय, आप इन लोगों को रोकिये।

अध्यक्ष महोदय : जब स्वामी जी खड़े हैं, तब मैं उनको कैसे रोकूं ?

श्री रामेश्वरानन्द : यह लोग कौन होते हैं बोलने वाले, आप हमसे कह सकते हैं बैठ जाने के लिये।

श्री बागड़ी : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री बागड़ी से बहुत दफा कहा है कि प्वाइंट आफ आर्डर उस चीज के सम्बन्ध में हो सकता है जो कि हाउस के सामने हो। एक चीज खत्म हुई, दूसरी अभी ली नहीं गयी तब आप उस बारे में प्वाइंट आफ आर्डर कैसे रेज कर सकते हैं ? जब कोई चीज उस वक्त हाउस के सामने नहीं है, तो मैं आपका प्वाइंट आफ आर्डर क्या सुनूं ?

श्री बागड़ी : मैं बहुत विनयपूर्वक आपसे निवेदन करुंगा कि मैं जो कहना चाहता हूं वह आपके दफ्तर के बारे में है, और वह भी मेरे कालिंग अटेंशन नोटिस के बारे में है। मैं आप से बार बार निवेदन कर चुका हूं कि मुझे तहरीरी जवाब मिलना चाहियेकि वह मंजूर है या नहीं। ठीक दस बजे मैंने काल एटेंशन नोटिस दिया था आपके दफ्तर के अन्दर, बम विस्फोट के बारे में। लेकिन एक आदमी आता है और मुझ से कहता है कि आप क्वेश्चन दे दीजिये, काल एटेंशन मोशन नामंजूर हो गया। मैंने बार बार यह शिकायत की है कि जब मैं ठीक दस बजे अपना नोटिस दे देता हूं तो क्यों नहीं मुझको तहरीरी जवाब दे दिया जाता। जब मैं बार बार इस बात को आपके सामने रखता हूं तो आप ऐतराज करते हैं। अब इसका क्या इलाज हो सकता है ?

अध्यक्ष महोदय: ऐसा करना मेरे लिये बहुत मुश्किल होगा और ऐसा करने के लिए मुझे और स्टाफ लेना होगा जो इस वक्त उचित नहीं है। मैं हर मेम्बर के नोटिस का जवाब इसलिये तहरीरी नहीं दे सकता। मैं मेम्बर साहिबान से कहूंगा कि कम से कम इस वक्त वे मेरे जबानी पैगाम पर ही ऐतबार कर लिया करें और उसे काफी समझें। हर मेम्बर को अगर तहरीरी जवाब दिया जाए तो उसके लिए ज्यादा स्टाफ की जरुरत होगी और उसको आज भरती करने के लिए मैं तैयार नहीं हूं, और मैं चाहता हूं कि हाउस इस मामले में मुझे सहायता दे।

श्री बागड़ी : उस आदमी ने मुझे इत्तिला दी कि आप क्वेश्चन रख दीजिये। मैंने उससे पूछा कि शार्ट नोटिस या दूसरे किस्म का तो उसने कहा कि मुझे पता नहीं। अब क्या किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : स्पीकर के सामने जो नोटिस आयेगा वह उसका फैसला करेगा। स्पीकर का दफ्तर इसलिये नहीं है कि वह बतलाये कि शार्ट नोटिस दे या दूसरा। जब आप देंगे तो फैसला होगा कि आया वह कानून के मुताबिक है या नहीं।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

भारतीय तार नियमों के संशोधन

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : मैं भारतीय तार अधिनियम, १८८५ की धारा ७ की उपधारा (५) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक १ सितम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २७०८ में प्रकाशित भारतीय तार (नवां संशोधन) नियम, १९६२

(दो) दिनांक १५ सितम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २८५१ में प्रकाशित भारतीय तार (दसवां संशोधन) नियम, १९६२

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ४७१/६२]

---

†मूल अंग्रेजी में

देहली मोटर गाड़ी नियमों का संशोधन

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : मैं मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिल्ली मोटर गाड़ी नियम, १९४० में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २६ जुलाई, १९६२ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० १२।६९।५५-६२/परिवहन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० ४७२।६२]

१९६१-६२ के लिए अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था का वार्षिक प्रतिवेदन अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था के १९६०-६१ के लिए वार्षिक लेखे और तत्संबंधी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं :—

(एक) अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था एक्ट, १९५६ की धारा १९ के अन्तर्गत वर्ष १९६१-६२ के लिये अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली की वार्षिक रिपोर्ट । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० ४७३।६२]**

(दो) अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था अधिनियम, १९५६ की धारा १८ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत वर्ष १९६०-६१ के लिये अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संथा, नई दिल्ली के वार्षिक लेखे तत्सम्बन्धी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ४७४।६२]**

उर्वरक (नियंत्रण) आदेश में संशोधन

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : मैं अत्यावश्यक पण्य एक्ट, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेशों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक ८ सितम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२०२ में प्रकाशित उर्वरक (नियंत्रण) पांचवां संशोधन आदेश, १९६२ ।

(दो) दिनांक १५ सितम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२२५ में प्रकाशित उर्वरक (नियंत्रण) छठा संशोधन आदेश, १९६२ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ४७५।६२]

†**खाद्य और कृषि मंत्री के सभा सचिव (श्री शिन्दे)** : श्री अ० म० थामस की ओर से मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं :—

कृषि उत्पाद (विकास तथा भांडागार) निगम एक्ट, १९५६ की धारा ५२ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १ सितम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस०

---

†मूल अंग्रजी में

[श्री शिन्दे]

आर० ११८२ में प्रकाशित कृषि उत्पाद (विकास तथा भांडागार) निगम (संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ४७६।६२]

अत्यावश्यक पण्य एक्ट, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तगंत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ८ सितम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२०६ में प्रकाशित आयात किये गये खाद्यान्न (अनधिकृत बिक्री की मनाही) संशोधन आदेश, १९६२ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० ४७७।६२]

(ख) दिनांक २९ सितम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२७८ जिसमें दिनांक ३० जून, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ८७६ का शुद्धि-पत्र दिया गया है ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ४७८।४७९।६२]

(ग) दिनांक १५ अक्तूबर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३६३ में प्रकाशित उत्तर प्रदेश धान और चावल (लाने और ले जाने पर रोक) दूसरा संशोधन आदेश, १९६२ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ४७९।६२]

(घ) दिनांक १५ अक्तूबर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३६४ में प्रकाशित चावल (उत्तर प्रदेश) दूसरा मूल्य नियंत्रण आदेश, १९६२ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ४८०/६२]

(ङ) दिनांक १८ अक्तूबर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३८५ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ४८१।६२]

(च) दिनांक १८ अक्तूबर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३८६ में प्रकाशित चावल (पंजाब) मूल्य नियंत्रण (संशोधन) आदेश, १९६२ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ४८२/६२

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :

(एक) मैं रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम, १९५७ की धारा २१ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १८ जुलाई, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०१८ में प्रकाशित रेलवे सुरक्षा बल (संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति पुनः सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३४१।६२]

---

†मूल अंग्रेजी में

(दो) रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम, १९५७ की धारा २१ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २७ अक्तूबर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४११ में प्रकाशित रेलवे सुरक्षा बल (दूसरा संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ४८३।६२]

भारतीय तार अधिनियम के अन्तर्गत नियम

†**परिवहन और संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : मैं भारतीय तार अधिनियम, १८८५ की धारा की उप-धारा (५) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति व्याख्यात्मक टिप्पण सहित सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक १ सितम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११६४ में प्रकाशित भारतीय बेतार-विद्या (परीक्षणात्मक सेवा) नियम, १९६२ ।

(दो) दिनांक १ सितम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११६५ में प्रकाशित भारतीय बेतार-विद्या (प्रदर्शन लाइसेंस) नियम, १९६२ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ४८४।६२]

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे) १९६२--६३

†**रेलवे मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)**: मैं वर्ष १९६२–६३ के आय-व्ययक (रेलवे) के सम्बन्ध में अनुमानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं ।

समिति के लिये निर्वाचन

प्राक्कलन समिति

† **दासप्पा** (बंगलौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के नियम ३११ के उप-नियम (१) के साथ पठित नियम २५४ के उप-नियम (३) द्वारा अपेक्षित रीति से, स्वर्गीय श्री ब्रह्मजीत सिंह के स्थान पर ३० अप्रैल, १९६३ को समाप्त होने वाली शष अवधि के लिये प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में काम करने के लिये अपने में से एक सदस्य चुनें ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के नियम ३११ के उप-नियम (१) के साथ पठित नियम २५४ के उप-नियम (३) द्वारा अपेक्षित रीति से, स्वर्गीय श्री ब्रह्मजीत सिंह के स्थान पर ३० अप्रैल, १९६३ को समाप्त होने वाली शेष अवधि के लिये प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में काम करने के लिये अपने में से एक सदस्य चुनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कार्य मंत्रणा समिति

सातवां प्रतिवेदन

†**सभा-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के सातवें प्रतिवदन से, जो ८ नवम्बर, १९६२ को सभा में उपस्थापित किया गया था सहमत है ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के सातवें प्रतिवदन से, जो ८ नवम्बर, १९६२ को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभा का कार्य

प्रक्रिया का सरलीकरण

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (जालौर) : मैं विभिन्न पक्षों के नेताओं की इस बात से सहमत हूं कि प्रक्रिया में इस प्रकार का परिवर्तन किया जाय कि काम सरलता से और शीघ्र हो जाय जिससे कि इस कार्यालय तथा सरकारी कार्यालयों पर कम भार पड़े ।

यह कहा गया है कि जो परिवर्तन किये जाने हैं वे नियमों के अनुकूल हैं तथापि यदि गौर से देखा जाय तो व इन नियमों के विरोधी भी हैं ।

यदि आप कहें कि मौखिक प्रश्नों की सूची में केवल ३० प्रश्न रहेंगे । यह बात नियम संख्या ४५ के विरुद्ध है ।

आपका पहिला सुझाव यह है कि एक मंत्रालय से संबंधित प्रश्न सप्ताह में केवल एक बार लेंगे । मेरे विचार से यह उचित नहीं है । इस संबंध में मेरा मत यह है कि युद्ध संबंधी प्रश्नों से संबंधित मंत्रालयों को सप्ताह में दो बार उत्तर देने को कहा जाय जब कि अन्य मंत्रालय जैसे कि स्वास्थ्य और सामुदायिक विकास हैं सप्ताह में केवल एक बार लिये जा सकते हैं ।

आपने कहा है कि सूची में केवल ५ प्रश्न रखे जायेंगे । मेरे विचार से उनके स्थान में दिये जाने वाले प्रश्नों की संख्या को सीमित किया जाना चाहिये क्योंकिएक बार प्रश्न की सूचना दिये जाने पर उस पर पूरी प्रक्रिया की जाती है भले ही उसे सूची में रखा जाये या नहीं । अतः हमें स्वयं अपने ऊपर यह प्रतिबंध लगाना चाहिये कि प्रश्नों की संख्या सीमित करें तथापि यह प्रतिबंध युद्ध संबंधी विभागों के लिये नहीं होना चाहिये क्योंकि इस संबंध में बहुत से प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं ।

गैर-सरकारी संकल्पों के संबंध में जो संकल्प किया गया है वह उचित है । मैं उसका समर्थन करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** (जोधपुर) : मैंने स्वयं यह सुझाव दिया था कि नियम २३२ को आपातकाल के लिये निलम्बित कर दिया जाये । प्रक्रिया में जो सरलीकरण किया जा रहा है उसका उद्देश्य प्रशासन के भार को कम करना है तथापि इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि लोक सभा सचिवालय को भी कम काम करना पड़े । मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं कि एक दल केवल एक ही संशोधन प्रस्तुत करे ।

इन परिवर्तनों के बारे में यह स्पष्ट किया जाये कि ये केवल आपातकाल में ही लागू रहेंगे ।

प्रश्नों के लिये सप्ताह में केवल तीन दिन नियत रहने चाहियें और उन दिनों में सभी मंत्रालयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाने चाहियें ।

सदस्यों को ६ प्रश्नों से अधिक प्रश्न नहीं पूछने चाहियें ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं कि सभा के कार्य में कमी की जाय और प्रश्न काल को कम या समाप्त कर दिया जाये । मैं चाहता हूं कि युद्ध प्रयत्नों से संबंधित मंत्रालयों को सप्ताह में दो बार स्थान दिया जाये जिससे उनके संबंध में अधिकाधिक प्रश्न पूछे जा सकें । प्रश्न पूछने की संख्या में कमी करना भी ठीक नहीं है क्योंकि इससे हमें यह ज्ञात नहीं होगा कि कितने प्रश्न पूछे जा चुके हैं और उन्हें कोई पहिले पूछ चुका है कि नहीं । अतः ऐसा करना अनुचित है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मेरा सुझाव है कि मंत्रालयों में इस प्रकार विभाज़न करना कि एक मंत्रालय एक ही बार आये उचित नहीं है । वस्तुतः सारे मंत्रालय ही युद्ध संबंधी कार्यों के सिलसिले में व्यस्त हैं अतः वर्तमान प्रक्रिया ही रहनी चाहिये ।

मेरा दूसरा प्रस्ताव यह है कि एक मंत्रालय के तीन से अधिक प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहियें । क्योंकि मंत्रीगण केवल तारांकित प्रश्नों पर ही ध्यान देते हैं ।

†**प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य, प्रतिरक्षा तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : इस चर्चा में हस्तक्षेप करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है क्योंकि मेरा विचार था कि आपको इस संबंध में सभी दलों का सहयोग प्राप्त है । जिन कांग्रेसी सदस्यों ने इस पर आपत्ति की है, उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया है न कि सारे दल का । सभा प्रश्न काल को महत्व देती है और मेरे विचार से यह उचित ही है । हम उसमें किसी प्रकार का व्याघा नहीं करना चाहते हैं । तथापि आपातकाल में न ही केवल समय की बचत करनी है अपितु हमें आपात का सामना करने की भावना पैदा करनी होगी । हमें इस भावना को खत्म नहीं होने देना चाहिये ।

विश्व में कोई ऐसी संसद नहीं है जहां सप्ताह में ४ दिन से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं । अपने देश में राज्य-सभा में भी प्रश्नों के लिये ४ दिन नियत हैं । सम्भवतः किसी अन्य संसद् में एक या दो से अधिक अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं । तथापि यहां इसकी परम्परा चल गयी है। मेरे कथन का तात्पर्य यह है कि हमें छोटी छोटी बातों में समय नहीं गंवाना चाहिये जब कि हमारे दिमाग को बड़ी बातें सोचनी हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहर लाल नहेरू]

मेरे विचार से सभी मंत्रालय अत्यधिक रूप में युद्ध प्रयत्न से संबंधित हैं । खाद्य, रेलवे, परिवहन तथा स्वास्थ्य सभी मंत्रालय इससे घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं । हम चाहते भी यही हैं कि सभी मंत्रालय इस ओर प्रयत्न करें ।

निस्संदेह माननीय सदस्य का यह विचार प्रशंसनीय है कि प्रश्नों की बाढ़ को रोकना चाहिये तथा उन पर जो धन, श्रम और समय व्यय होता है उसे रोकना चाहिये ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैं व्यक्तिगत रूप में यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम कार्य मंत्रणा समिति में जो भी सुझाव देते हैं वे दलगत आधार पर नहीं होते हैं । मैंने जो भी विचार व्यक्त किये वे मेरे अपने थे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं यह बताना चाहता हूं कि हमने यह कदम क्यों उठाया है । पहिली बात यह है कि हमें हजारों प्रश्न प्राप्त होते हैं । प्रश्न प्राप्त होते ही मंत्रालय को भेज दिये जाते हैं और उन पर कार्यवाही आरम्भ हो जाती है; यदि तदुपरांत यह प्रश्न अस्वीकृत हो जाता है तो यह सारा श्रम व्यर्थ चला जाता है । अतः मैंने यह आदेश दिया है कि केवल गृहीत प्रश्नों को ही मंत्रालयों को भेजा जाये ।

जहां तक प्रश्न के लिये दिनों का संबंध है हमने यह तय किया है कि प्रश्न सप्ताह में पांचों दिन पूछे जा सकते हैं तथापि मंत्रालयों को पांच भागों में बांट दिया गया है जिससे कि सप्ताह में प्रत्येक मंत्रालय एक बार आ जाये ।

श्री माथुर ने कहा है कि लिस्ट में केवल ५ प्रश्न रखने से नियम ४५ का उल्लंघन होता है । यह बात भी सही नहीं है कि मैं इसके लिये सभा की अनुमति ले सकता हूं । तथापि यह अच्छा होगा यदि सदस्य प्रश्नों में पूर्ववर्तिता निर्दिष्ट कर देवें ।

मैंने कहा कि है तारांकित प्रश्न सूची में केवल ३० प्रश्न रखे जाने चाहियें, क्योंकि हम एक दिन में १५ या २० से अधिक प्रश्न नहीं लेते हैं ।

वस्तुतः मैंने कोई नई बात नहीं की है अपितु प्रक्रिया में थोड़ा सा परिवर्तन किया है । इस संबंध में विरोधी पक्ष के सदस्य भी सहमत हो गये हैं । इससे माननीय सदस्यों को यह नहीं समझना चाहिये कि हम उनके अधिकारों पर आघात कर रहे हैं ।

†**श्री कर्णी सिंह जी** (बीकानेर) : मेरे विचार से माननीय सदस्यों को अपने ८० या ९० प्रतिशत प्रश्नों को स्वेच्छा से वापस ले लेना चाहिये ।

†**श्री यशपाल सिंह** : मेरे विचार से संशोधन देने के अधिकार पर पाबंदी नहीं लगायी जानी चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय**: मैंने माननीय सदस्यों के किसी भी अधिकार पर आघात नहीं किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री गु० बसू के चनाव के बार में

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम श्री गु० बसु की सदस्यता का मामला लेते हैं।

†**श्री प्रभात कार** (हुगली) : उच्च न्यायालय ने श्री गु० बसु का चुनाव रद्द कर दिया है। यह नहीं बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय में अपील करने पर क्या हुआ है। यह स्पष्टीकरण किया जाये कि यह मामला संसद में क्यों लाया जा रहा है?

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री बसु के वकील ने उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय में अपील करने की अनुमति मांगी है तथापि उच्च न्यायालय २० ता० तक बंद हो चुका था। अतः श्री बसु ने यह आवेदन दिया है कि उन्हें २० ता० तक सदस्य बने रहने की अनुमति दी जाये जिसके पश्चात् वे उच्चतम न्यायालय को अपील कर सकेंगे। अतः मैंने विधि मंत्री से यह अनुरोध किया था कि वे इस संबंध में विचार प्रगट करें।

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : दोनों आदेशों के अध्ययन के पश्चात, एक तो मूल आदेश तथा दूसरा अपील के खारिज होंने के पश्चात्, जो रोको आदेश दिवा गया था, यह स्पष्ट है कि न्यायालय यह चाहती थी कि मूल रोक आदेश २० सितम्बर तक जारी रहे। अपील २७ सितम्बर को खारिज हो गयी। तथापि अपील खारिज करते समय न्यायालय व उनके वकील की प्रार्थना पर खारिज करने के आदेश पर कार्यवाही रोक दी गयी।

अब इसका प्रयोजन बिल्कुल स्पष्ट है। यह कार्य श्री बसु को उच्चतम न्यायालय में अपील करने के प्रमाणपत्र के लिये किया जा रहा है। उच्च न्यायालय १९ नवम्बर को खुलगा। जिससे कि उस तारीख तक उनके आवेदन पर सुनाई हो सके और यदि आवेदन स्वीकृत हो तो अग्रेतर फिर रोको आदेश दिया जा सके।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं यह बात जानना चाहता हूं कि क्या यह आदेश केवल इसी मामले तक ही सीमित है, जिससे कि कहीं ऐसा न हो कि चुनाव आयोग इस स्थान को रिक्त घोषित कर दे और इस सीट के लिये चुनाव घोषित करे? अथवा इससे रोको आदेश स्वतः ही लागू हो जाता है जिससे कि वह सदस्य बना रहे और उन्हें सभी आदेश प्राप्त हों।

†**श्री अ० कु० सेन** : यह पहिले आदेश का ही भाग है। क्योंकि यदि रोको आदेश प्राप्त नहीं किया जाता तो वह स्वतः ही व्यपगत हो जाता। मूल रोको आदेश अपील के निपटारा होंने पर्यंत लागू रहेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें वह ज्ञात रखना चाहिये कि अपील का निपटारा हो चुका है अतः उच्च न्यायालय से अन्य कोई आदेश नचे चे सकृताजट्ठ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : मैं आप से वह निवेदन करूंगा कि इस मामले में आप महा अधिवक्ता को बुला कर उनका मत लवें।

†**श्री कपूर सिंह** (लुधियाना) : मैं विधि मंत्री से सहमत नहीं हूं। मेरे विचार से अपील सुनने के पश्चात मूल रोको आदेश स्वयं ही समाप्त हो जाता है। अर्थात, यह रोको आदेश ३ सितम्बर १९६२ को समाप्त हो गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : धारा ११५क बहुत स्पष्ट है। न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश बिल्कुल साफ और अन्तिम है। अतः इस बात पर न्यायालय का कोई भी क्षेत्राधिकार नहीं रहा है। अतः अब वह इस प्रकार रोको आदेश नहीं दे सकती है।

†श्री शिवाजीराव शं० देशमुख (परभणी). मंत्री जी ने जो व्याख्या की है उसमें थोड़ी सी भूल है। मैं अपने माननीय मित्र से इस बात में सहमत हूं कि उच्च न्यायालय उसी समय निष्क्रय हो जाता है जब कि अपील खारिज हो जाती है। तथापि उच्च न्यायालय ने यह स्वीकार किया है कि अपील को खारिज करते हुए भी वे अपनी इच्छानुसार शर्तों में आदेश पारित कर सकते हैं। अतः यह स्वतंत्र आदेश है। अतः इसकी व्याख्या उसी के अनुसार की जायेगी जैसा कि इसमें लिखा हुआ है।

†अध्यक्ष महोदय : सभा इस सम्बन्ध में दायित्व लेने को तैयार नहीं है अतः मैं श्री बसु को यह सूचित करूंगा कि वह उच्च न्यायालय से स्पष्ट आदेश ले लेवें।

आपात की उद्घोषणा तथा चीन द्वारा अतिक्रमण के बारे में संकल्प—जारी

†अध्यक्ष महोदय : सभा अब श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा ८ नवम्बर को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर अग्रेतर चर्चा जारी रखेगी :—

> "कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद ३५२ के खंड (१) के अधीन २६ अक्तूबर, १९६२ को जारी की गयी आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

†श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं ने प्रधान मंत्री का भाषण बहुत ध्यान से सुना है और मुझे बहुत दुःख होता है कि जब मैं उनके चेहरे पर चिन्ता की हल्की झलक देखता हूं। आज जब कि चीनियों ने हमें धोखा दिया है तो यह अवसर आ गया है कि हम ने केवल चीन और रूस के सम्बन्ध में अपनी नीति का पुनर्मूल्यांकन करें अपितु तटस्थ राष्ट्रों के प्रति भी अपनी नीति का पुनर्विलोकन करें।

इस अवस्था में कोई भी व्यक्ति जिम्मेदारी के इस भार से छूट सकता था तथापि ईश्वर ने प्रधान मंत्री को बहुत अच्छा स्वास्थ्य और शक्ति दी है। हम चाहते हैं कि उनके कंधे का भार शीघ्र ही हल्का हो अतः यदि प्रतिरक्षा मंत्री के रूप में उनके अपने पक्ष में कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं हो तो उन्हें अन्य पक्षों से भी उचित व्यक्ति को यह भार देने से नहीं हिचकना चाहिये।

हम आज आपातकाल में अपना सत्र आरम्भ कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि यह सत्र अल्पकाल तक ही चलना चाहिये। मुझे आशा है कि यह सुझाव स्वीकार कर लिया जायेगा।

आज प्रातः के समाचारपत्रों में आदरणीय राष्ट्रपति का वक्तव्य है। मुझे यह पढ़कर खेद हुआ है कि राष्ट्रपति भी युद्धक्षेत्र का दौरा करने के बाद इसी मत पर पहुंचे हैं।

†श्री हनुमन्तैया (बंगलौर) : यह सर्वविदित संवैधानिक प्रथा है कि सभा की चर्चा में राष्ट्रपति का उल्लेख नहीं करना चाहिये। यद्यपि माननीय सदस्य ने स्वच्छा से ऐसा किया है

---

†मूल अंग्रेजी में

किन्तु यदि कोई अन्य सदस्य राष्ट्रपति के इस मत का विरोध करे तो वह प्रथा के सर्वथा प्रतिकूल बात होगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं । राष्ट्रपति के नाम का यहां उल्लेख नहीं करना चाहिये । माननीय सदस्य ऐसा उल्लेख नहीं करना चाहते बल्कि वे अपना तर्क स्थापित कर रहे हैं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : आपका धन्यवाद श्रीमान् । मैं बस यही कहना चाहता हूं कि मेरा संशोधन राष्ट्रपति के कथन के अनुकूल है ।

कुछ दिन पूर्व प्रधान मंत्री ने यह स्वीकार किया था कि कई वर्ष से हमें वास्तविकता का पता नहीं था । हम अब गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना चाहते, किन्तु हम यह चाहते हैं कि पुरानी गलतियां न दोहराई जायें । सरकार अपने निश्चय पर दृढ़ रहे कि जब तक चीनी हमारे देश की भूमि को छोड़ कर पीछे न हटें उन से कोई बातचीत नहीं की जायगी । इस शर्त पर मैं सभी विरोधी दलों की ओर से, सिवाय साम्यवादियों के, प्रधान मंत्री को समर्थन का आश्वासन दिलाता हूं ।

कल मुझे आश्चर्य हुआ कि प्रधान मंत्री ने किस आधार पर यह बात कही कि चीन का वह आक्रमण साम्यवाद के कारण नहीं बल्कि इस कारण है कि वह सैन्यवादी और विस्तारवादी देश है । पिछले ५० वर्ष का इतिहास साक्षी है कि विश्व का साम्यवाद सैन्य बल से फैलाया गया है । रूस संतुष्ट है किन्तु आधे यूरोप पर कब्ज़ा कर लेने के बाद वह संतुष्ट हुआ है ।

चीन आज विश्व के साम्यवादी षडयंत्र का बड़ा साझीदार है । यही कारण है कि रूस भाई चीन और मित्र भारत कह कर भेद उपस्थित कर रहा है ।

१९५० में तिब्बत पर आक्रमण के समय प्रधान मंत्री ने साधारण सी आपत्ति की थी और तब चीन की सरकार और वहां के समाचारपत्रों ने प्रधान मंत्री को "अंग्रेज़ी साम्राज्यवाद का पिट्ठू" का विशेषण दिया था । तभी से "हिन्दी चीनी भाई भाई" के नारे के हो हल्ले में वे हम पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे थे । हम तीन वर्ष से भी अधिक समय से सरकार को चेतावनी दे रहे हैं । आज उस आक्रमण का नग्न रूप सामने आ गया है ।

प्रधान मंत्री चाहे इसे सैन्यवाद या विस्तारवाद कहें किन्तु मैं इसे साम्यवादी षड्यंत्र कहूंगा जिसका अभिप्राय है कि युद्ध, षड यंत्र, अवैध प्रवेश, धोखाधड़ी आदि किसी भी ढंग से साम्यवाद की शक्ति को सर्वतोमुखी बनाया जाय । चीन के एक नेता ने कहा था कि उन्हें अणु युद्ध का भी डर नहीं । यदि उनके ३० करोड़ लोग भी मर जायेंगे तब भी ४० करोड़ की जनसंख्या से वह संसार का सब से बड़ा देश होगा । यह तो सिनकीपन है, मानववाद या साम्यवाद नहीं है ।

माओ त्से तुंग ने कहा था कि राजनैतिक शक्ति का प्रादुर्भाव बंदूक की नाली मे होता है और वही बंदूकें आज चीनी भाई ने हिन्दी भाइयों पर तान रखी हैं ।

चेकोस्लोवाकिया चीन को हथियार भेज रहा है जिससे साम्यवादी षडयन्त्र का पता लगता है । रूस यूरोप पर प्रभुत्व जमाना चाहता है और चीन उत्तर तथा दक्षिण एशिया पर ।

कल साम्यवादी सदस्यों ने बहुत आश्वासन दिये थे । क्या वे अपनी सच्चाई प्रमाणित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद से किनारा करने और झंडे को बदलने के लिये तैयार है ? क्या वे

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री हरि विष्णु कामत]

चीन के समर्थक साम्यवादियों को दल से निकालने के लिए तैयार हैं ? क्या वे रूस की वर्तमान नीति का विरोध करने के लिए तैयार हैं ? क्या चीन के राजदूतावास के सामने प्रदर्शन करेंगे क्योंकि यह कला तो उन्होंने ही हमें सिखाई है ? ऐसा कर के वे अपनी सचाई प्रमाणित कर सकते हैं। अन्यथा हम भूले नहीं कि उनका भूत कालिमा से पुता हुआ है। यही लोग थे जिन्होंने महात्मा गांधी, श्री जवाहरलाल नेहरू और सुभाषचन्द्र बोस को गद्दार कहा था। स्वातंत्र्य संग्राम के अन्तिम दिनों में इस दल के यही कारनामे थे।

हम सरकार से यही चाहते हैं कि जब तक हमारे देश की एक इंच भूमि पर भी चीनियों का कब्जा है हम उन से युद्ध करते रहें और इस महान काम में हम उसका पूरा समर्थन करेंगे।

प्रधान मंत्री ने कल कृषि और उद्योग पर बल दिया था। हमें यह काम पहले ही करना चाहिये था और इज़राइल की तरह सीमा पर सख्तजान किसानों को जमीनें देनी चाहिये थीं और साथ ही बंदूकें भी जिससे वे खेती के साथ प्रतिरक्षा का काम भी करते।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बारे में मुझे खेद है कि उसने अभी तक आपात की स्थिति को अनुभव नहीं किया। फिल्मी गानों की बजाय जोशीले गानों का प्रसारण करने में क्या कठिनाई है जिस से लोगों में उत्साह और प्रेरणा उत्पन्न की जा सकती है। नेता जी महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के चित्र देश में सभी जगहों पर लगाने चाहियें ताकि लोगों को प्रेरणा मिले।

जहां तक नागरिक सुरक्षा का सम्बन्ध है इस समय कस्बों तथा नगरों के हर मुहल्ले में प्रशिक्षण आरम्भ किया जाना चाहिये। चौकसी समितियां बनाई जानी चाहिये ताकि मुनाफाखोर लोग मुनाफाखोरी न कर सकें।

हमें राष्ट्र के सभी साधनों, अर्थात् भौतिक, मानसिक, भावात्मक साधनों को संगठित करना है। वित्तीय संसाधन की दृष्टि से क्या यह संभव नहीं कि मद्यनिषेध को आपातकाल के लिए समाप्त कर दिया जाये जिससे प्रतिवर्ष २०० या ३०० करोड़ की आय हो जाया करेगी। इस आपातकाल में सरकार कुछ शुल्क भी बढ़ा दे तो लोग उसका स्वागत करेंगे।

अब चीन के साथ राजनयिक सम्बन्ध बनाये रखने का कोई काम नहीं है। किन्तु यदि अभी ये सम्बन्ध तोड़े नहीं जा सकते तो दिल्ली, कलकत्ता और कलिम्पोंग में चीनी राजनयिक कर्मचारियों पर कठोर प्रतिबंध अवश्य लगा देने चाहियें और चीनी राजदूतावास द्वारा निकाले जाने वाले प्रकाशनों पर भी प्रतिबंध लगा देने चाहियें।

दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ हमारे सम्बन्ध भले ही अच्छे रहे हों किन्तु चीन के प्रति हमारी कमजोर नीति के कारण उन देशों के साथ हम सुदृढ़ सम्बन्ध नहीं बना सके जो कि अब बनाने चाहियें।

हिमालय आज ठोस सीमा नहीं रही वरन् वह लोकतंत्र और साम्यवाद के बीच विचारधारा की सीमा है और हमें इसी सीमा पर साम्यवादी षडयंत्र को विनष्ट करना है।

भारत राष्ट्र का हृदय सुदृढ़ है। उसे केवल साहसी और दृढ़ निश्चयी नेता की आवश्यकता है। प्रधान मंत्री ने जहां देश के लिये इतना कुछ किया है अब यह भी करना चाहिये कि भारतवासियों को अपना नेतृत्व प्रदान करना चाहिये। मुझे कोई संदेह नहीं कि यह नेतृत्व मिलने पर राष्ट्र साहसपूर्वक आगे बढ़ेगा और विजयी होगा।

†**श्री महताब** (अंगुल): मैंने विरोधी दल के सदस्यो के भाषणों को ध्यानपूर्वक सुना है और उन्हें दो भागों में बांट रहा हूं, अर्थात् उनकी आलोचनायें और उनके सुझाव।

आलोचना दो बातों की की गई है एक तो यह कि हमने इस विपत्ति के मुकाबले की तैयारी नहीं की और दूसरे यह कि हम चीन पर विश्वास करते रहे हैं। तैयारी न होने के सम्बन्ध में मूल अंतर इस बात में है कि चीन तानाशाही देश है और भारत लोकतंत्रवादी। तानाशाही देश सदा युद्ध के लिए तैयार रहा करते हैं लोकतंत्रवादी ऐसा नहीं करते।

भारत और चीन दोनों देशों में प्रायः एक ही समय स्वतंत्र शासनों की स्थापना हुई थी। तभी से भारत ने कल्याणकारी राज्य की स्थापना का निश्चय किया था। तत्पश्चात किसी भी दल ने कभी यह आलोचना नहीं की कि भारत सैन्य शक्ति को सुदृढ़ नहीं बना रहा। अतः तैयारी न करने की आलोचना उचित नहीं है।

दूसरी बात के सम्बन्ध में मैं स्वीकार करता हूं कि गलती हुई है। चीन इतिहास में सदा विस्तारवादी रहा है। वर्तमान स्थिति के लिए हम समस्त साम्यवाद को दोष नहीं दे सकते।

जहां तक उत्तरी सीमांत की रक्षा का सम्बन्ध है हम प्रजातंत्रात्मक देश होने के नाते इस प्रकार की प्रतिरक्षा की बात नहीं सोच सकते जैसे अंग्रेजों ने की थी। इसलिए हमें किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था करनी होगी। अंग्रेजों ने तिब्बत पर नियंत्रण रखा था हम उस नीति को नहीं अपना सकते थे।

चीन पर विश्वास करने के बारे में मुझे यह कहना है कि विश्व में किसी भी देश पर स्थायी रूप से विश्वास नहीं किया जा सकता। भारत की नीति ठीक और व्यावहारिक रही है।

हम सब इस बात पर सहमत हैं कि चीन स्थायी खतरा है और उसके साथ बड़ी लड़ाई के लिये हमें तैयार रहना चाहिये। अंग्रेजों के जमाने में तो प्रतिरक्षा की सीमा सिंगापुर और तिब्बत में स्थापित की गई थी किन्तु हम ऐसा नहीं कर सकते।

युद्ध जीतने के लिये हमें लोगों में अनुशासन पैदा करना है। राष्ट्रविरोधी तत्व जैसे कि मुनाफाखोर आदि राष्ट्रीयसंकट का अनुचित लाभ न उठा सकें। प्रशासन को युद्ध के अनुरूप बनाना चाहिये।

वर्तमान संकट के समय दलगत विवादों को नहीं उठाना चाहिये। इस समय केवल युद्ध के लिए प्रयत्न करना चाहिये ताकि हमारी शक्ति नष्ट न हो।

हमें न केवल चीनियों को अपने देश से बाहर निकाल फैंकना चाहिये प्रत्युत्त ऐसी कार्यवाही करनी चाहिये कि चीन भविष्य में फिर कभी आक्रमण न करे। उस पर कोई अन्तर्राष्ट्रीय रोक लगानी चाहिये।

†**श्री अ० प्र० जैन** (तुमकुर): उत्तरी सीमा के बारे में हजारों वर्षों से हमारी यही धारणा चली आ रही है कि हिमालय हमारा प्रहरी है। भारत की प्रतिरक्षा सम्बन्धी लड़ाइयां तो मैदानों में ही लड़ी जाती रही हैं। विभिन्न समयों में हमारी तीन लड़ाइयां पानीपत के मैदान में लड़ी गयीं। सब से पूर्व हिमालय में चौकियां बनाने का कार्य अंग्रेजों

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० प्र० जैन]

ने ही प्रथमवार किया था। हमने न तो अपनी नीति बदली और न ही देश को सामूहिक तौर पर लड़ाई के लिए तैयार किया। अब चीन के हमले के बारे में स्थिति बदली है और हमें भी अपनी पुरानी नीति बदलने की आवश्यकता महसूस हुई है। हमें अब हिमालय की ऊंची चोटियों पर लड़ना होगा। मेरा निवेदन है कि सेवा निवृत्त जरनैलों की एक समिति नियुक्त की जानी चाहिए ताकि लड़ाई की आधुनिकतम साधनों पर आधारित योजनायें बनाई जायें।

इस लड़ाई के लिए तैयारी करते हुए, हमें यह भी समझना है कि आखिर चीन का आक्रमण करने का उद्देश्य क्या है। क्या हमने कोई ऐसी बात की है जिससे चीन नाराज हो गया हो? हमने तो हमेशा उसका समर्थन ही किया है और उसके प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखा है। १९५४ में तो हमने पंचशील के आधार पर इससे समझौता भी किया था और एक दूसरे की प्रादेशिक अखण्डता को मान्यता देने का करार किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी हमने इसके मामलों का पूर्ण समर्थन किया था। तिब्बत के प्रश्न का हल भी हमने उनकी इच्छाओं के अनुसार ही किया है। अतः हमें कोई कारण दिखाई नहीं देता कि क्यों चीन बिना हमारी ओर से कोई उत्तेजना प्राप्त किए हम पर चढ़ आया है।

क्षेत्रीय विस्तार का प्रश्न है। लगभग ५०,००० वर्ग मील भारतीय भूमि के बारे में चीन ने दावा किया है। क्या इस क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए चीन ऐसा कर सकता है। यह बात नहीं है, कोई गम्भीर कारण है। चीन को तीसरे महायुद्ध का विश्वास हो चुका है, वह विस्तारवादी है और भारत के आर्थिक विकास से उसे ईर्षा होने लगी थी। यह बात उस प्रचार से स्पष्टतः सिद्ध हो जाती है जो कि चीन वाले तथा कम्यूनिस्ट समाचार पत्र भारत और पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध कर रहे हैं। वे जानते हैं कि नेहरू का प्रभाव एशिया में बढ़ रहा है। उनका उद्देश्य यही है कि नेहरू का प्रभाव कम होने से एशिया लोकतंत्रीय प्रभावों के अन्तर्गत नहीं आ सकेगा। वहां के अधिकारियों ने अपना प्रभुत्व जमाने के लिए, ३,७८४ व्यक्तियों को मौत के घाट उतारा है और १०,००० व्यक्तियों को घायल किया है। लगभग ५०,००० लोगों को जेल की हवा भी खानी पड़ी है। जो लोग उनकी बात को स्वीकार नहीं करते उन्हें वे देशद्रोही कहते हैं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता डांगे को वह देशद्रोही कहते हैं।

जो प्रचार चल रहा है, उसके पीछे राजनीतिक तथा साम्यवादी लक्ष्य है। यह बात भी है कि चीन के साम्यवाद में और रूस के साम्यवाद में काफी अन्तर है। मैं यह नहीं मानता कि सारा साम्यवादी विश्व चीन के साथ है। परन्तु ठीक है कि हमें एक बेशर्म शत्रु से वास्ता पड़ा है। हमें एक लम्बी लड़ाई के लिए पूर्ण तैयारी करनी है। एक आध जगह यदि हमें पीछे भी हटना पड़े तो उसकी चिन्ता न करते हुए १,५०० मील की लम्बी लाइन पर प्रतिरक्षा की पूरी तैयारी हमको करनी है। और इस कार्य से सम्बन्धित सभी प्रकार की व्यवस्था को पूरा करना है।

तटस्थता की नीति पर कुछ माननीय सदस्यों ने आलोचना की है। इस सम्बन्ध में मैं सदन को बताना चाहता हूं कि अभी हाल ही में अमेरिका में था। मैंने सभी वर्गों के लोगो की राय जानने का प्रयत्न किया। मैंने देखा कि वहां सभी हमारी तटस्थता की नीति को श्लाघा की दृष्टि से देखते थे। तटस्थ देश के नाते, मेरे विचार में, भारत ने कई एक देशों को परस्पर निकट लाने के प्रयासों में सफलता प्राप्त की है। अब भी अन्तर्राष्ट्रीय धीरता वाले लोगों का यही मत है कि

तटस्थता नीति को अपना कर भारत विश्व में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इग्लैंड और अमेरिका ने हमारे पक्ष की सत्यता को समझा है। भारत की सहायता को वे लोकतंत्र की सहायता समझते हैं। भारत ने चीन की जो शांति की पेशकश को ठुकराया है, उसे उन्होंने बहुत स पसन्द किया है। भारत के सत्यापन को प्रजातान्त्रिक देश स्वीकार करते हैं और वे भारत को बिना शर्त सहायता दे रहे हैं। ८ सितम्बर वाली पेशकश करके भारत ने एक बार पुनः अपनी शांति-प्रियता का परिचय दिया हैं।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि चींन के साथ युद्ध करने के लियें भारत को आधुनिक प्रकार के शस्त्र अस्त्र चाहियें। यह ठीक ही है कोई अनुचित बात नहीं है कि हम समस्त अपेक्षित चीजें पश्चिमी तथा अन्य देशों से प्राप्त करने की चेष्टा करें जहां से कि वे हमें सरलता से प्राप्त हो सकती हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि हम अपनी सेना को प्रत्येक दिशा और प्रत्येक दृष्टि से सुदृढ़ बनाने का यत्न करें।

भारतीय सैनिक वीर हैं। उसने वहां युद्ध जीते हैं जहां शायद अन्य देशों के लोग सफलता से न लड़ सकते। यदि भारतीय सैनिकों को अपेक्षित शस्त्र मिल गये तो वे चीनियों को रोक ही नहीं देंगे बल्कि खदेड़ देंगे। रूस भी यदि हमें शस्त्र देना चाहे तो हमें लेने चाहियें। हथियार लेने के साथ किसी विचारधारा का कोई सम्बन्ध नहीं। मेरा यह भी निवेदन है कि हम चाहे रूस पर निर्भर करें अथवा न करें, परन्तु हमें कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये, जिससे वह देश चिढ़ जाये और चीन का पक्ष ले ले। हमें अधिक शत्रु बनाने का यत्न नहीं करना चाहिये। रूस तो हमारा मित्र देश ही है।

इसी प्रकार पाकिस्तान का प्रश्न है। जनरल अयूब खां ने प्रधान मंत्री के पास पत्र भेजा है। हमें पाकिस्तान को भी चिढ़ाने वाली कोई बात नहीं करनी चाहिये। अमेरिका को भी देखना चाहिये कि पाकिस्तान हमारी बेबसी का अनुचित लाभ न उठाये। हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता के सहयोग से हमारी सरकार, सिर पर आये हुये इस खतरे का सफलतापूर्वक मुकाबला कर सकेगी। इस समय हमें अपने नेता श्री जवाहरलाल नेहरू पर पूर्ण विश्वास प्रकट करना चाहिये।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** (महासमन्द) : अध्यक्ष महोदय, सारा देश जाग उठा है। जागरूकता का वातावरण निर्माण हो गया है। हमारी कमजोरियां शनैः शनैः कम होती जा रही हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

देश में छिपी हुई एकता उभर आई है। हमारे देश के लोगों और सैनिकों ने अपनी उपयोगिता सिद्ध कर दी है। यह एक बहुत ही उत्साहजनक बात है कि देश को नेहरू जी का नेतृत्व प्राप्त हुआ है। १९४२ के भारत छोड़ो आन्दोलन के दिन याद आ गये हैं। यह भी हर्ष की बात है कि देश इस संकट के समय में भी प्रधान मंत्री के प्रेरणात्मक नेतृत्व का पूर्ण समर्थन करता है। आपात-कालीन स्थिति में हम सब एक हुये हैं। इस में कोई सन्देह नहीं रहा कि हम अपने संगठित बल से देश से निकाल बाहर करेंगे। परन्तु मुझे इस बात पर खेद है कि यह हमारे दुर्भाग्य की बात है कि देश में ऐसे दल मौजूद है जो कि हमारी शक्ति और प्रगति के आधार पर ही आपत्ति कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री विद्याचरण शुक्ल]

हमें एक बात समझ लेनी चाहिये कि भूतकाल की बातें करने से कोई लाभ नहीं होगा। सरकार की आलोचना का यह समय नहीं। साम्यवादियों ने प्रस्ताव तो अच्छा पास किया है परन्तु उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। आज तो देश हमसे एक दृढ़ तथा रचनात्मक नेतृत्व की आशा करता है जिससे शत्रु को हमारी मातृभूमि से निकाला जा सके।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमें युद्ध की पूरी तैयारियां करनी चाहियें। युद्ध सामग्री प्राप्त करने में हमें राजनीतिक विचारधाराओं से प्रभावित नहीं होना चाहिये। एक सशक्त वायु सेना के तैयार करने की बहुत ही आवश्यकता है, अन्यथा हम फिर बिना तैयारी के घिर जायेंगे। ऐसा उस समय हो सकता है जब चीन अपने शक्तिशाली वायु सेना द्वारा हम पर पूरे पैमाने का युद्ध आरम्भ कर दे। अतः मैं तो इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि हमें दूसरे देशों से प्राप्त होने वाले सभी शस्त्रों के प्रयोग में अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करना चाहिये।

असैनिक प्रतिरक्षा का प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिरक्षा की दूसरी पंक्ति तैयार करने के लिये नागरिक प्रतिरक्षा की व्यवस्था बहुत ही जरूरी है। मेरा मत यह है कि इस दिशा में पूरी तैयारी होनी चाहिये जिससे यदि युद्ध पूरे पैमाने पर छिड़ भी जाय तो कोई गड़बड़ न हो। वायु आक्रमणों के सम्बन्ध में तो विशेष रूप से सावधान होने की जरूरत है। विशेषतः उन क्षेत्रों में जो कि सीमा के साथ लगते हैं। सरकार को संसद् के इस सत्र को शीघ्र समाप्त कर देना चाहिये ताकि युद्ध से सम्बन्धित अपेक्षित कार्यों की ओर समुचित ध्यान दिया जा सके।

†**श्री मनोहरन्** (मद्रास-दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं डी० एम० के० की ओर से सरकार को पूर्ण सहयोग का आश्वासन देता हूं। आज सारा देश इस चुनौती का सामना करने को तैयार है। सभी यह निश्चय कर रहे हैं कि हम तब तक दम नहीं लेंगे जब तक कि चीनी साम्यवाद को भारत से निकाल बार नहीं करेंगे।

इस प्रकार का संकट देश पर कभी भी नहीं आया। भारत ने हमेशा चीन का साथ दिया, संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्य संगठनों में चीन का निरन्तर समर्थन किया। परन्तु चीन ने विश्वास-घात किया। इससे बढ़ कर असभ्यता और बेशर्मी का व्यवहार और क्या हो सकता था।

हमें इस बात का गौरव है कि एशिया में भारत एक महत्वपूर्ण लोकतंत्र है। परन्तु आज हमारे लोकतंत्र को खतरा है अतः हमें इस समय अपने लोगों के जोश को ठीक दिशा में लगाने का प्रयास करना चाहिये तथा अपनी शक्ति को प्रजातंत्र तथा विजय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये जुटाना चाहिये।

चीन भारत के विरुद्ध अपने प्रचार को तीव्र कर रहा है, हमने उनकी चुनौती को स्वीकार कर लिया है। हमारा दल तन मन धन से इससे के लिये सरकार को पूर्ण सहयोग देगा।

श्री मुजफ्फर हुसेन (मुरादाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, इस ऐवान में, जब से हिन्दुस्तान की इस सरजमीन पर हिन्द और चीन का मसला छिड़ा हुआ है, मैं यह देख रहा हूं कि मेरे तमाम अहबाके वतन अपनी तकरीरों में भी और अखबारात के जरिये से भी अपने अपने खयालात का इजहार कर रहे हैं। जहां तक उन के खयालात के इजहार का ताल्लुक है, ख्वाह वह अखबारात के जरिये से हों या तकरीरों के जरिये से, वह काबिले सताइश हैं और बेहतर हैं। लेकिन सोचना यह है कि इस नाजुक मौके पर, जब कि हमारे मुल्क

†मूल अंग्रेजी में

के सामने इतना बड़ा खतरनाक मौका आ चुका है, क्या हमारी इन तकरीरों से, क्या सिर्फ अखबारी बयानात से फायदा हो सकता है, या हमें इस बुनियाद पर गौर करना है कि वह कौन से तरीके अख्तयार किये जायें जिन से कि उन दूसरे दुश्मन मुमालिक का, जिन्होंने हमारी तरफ निगाहें उठाई हैं, हम मुकाबला कर सकें। जब हम इस मसले पर गौर करते है तो हमें यह सोचना पड़ेगा और यह कहना पड़ेगा कि इस मौके पर कुछ हमारी खामियां हैं, कुछ हमारे बाहिमी एख्तलाफात हैं, कुछ हमारे वह हंगामे हैं, जो हम ने खुद अपने हाथों से अपने मुल्क के खिलाफ कर रक्खे हैं, जिन्होंने दूसरों को यह मौका दिया कि वह हमारे खिलाफ सोच सकें और कदम उठा सकें। अगर आज हमारे मुल्क में आपस में इत्तहाद होता, इत्तफाक होता, बाहिमी एख्तलाफात न होते, हम खुद अपने हाथों से अपनी बुनियादों को खोखला न करते, तो दूसरों को यह मौका हासिब न होता।

एक माननीय सदस्य : आज तो इत्तहाद है।

दूसरे माननीय सदस्य : जिहाद है, इत्तहाद कहां ?

श्री मुजफ्फर हुसेन : जब हमारे मुल्क के विकार का सवाल पैदा हो चुका है तब इस सिलसिले में हमें सोचना है, समझना है, आपस में सर जोड़ कर, कि उन तमाम एख्तलाफात को कोई चाहे वह हमारे एक्तसादी मामलात से ताल्लुक रखते हों चाहे वह हमारे मजहब और मिल्लत से ताल्लुक रखते हों हमें नजरअन्दाज कर के सर जोड़ कर बैठना है और सोचना या समझना है कि हम दूसरे मुमालिक का मुकाबला कैसे कर सकते हैं ।

इस सिलसिले में जहां तक मैंने जायजा लिया है, मेरा यह खयाल है, यह भी हो सकता है कि वह गलत हो, लेकिन मैं इस सिलसिले में अपनी राय का इजहार जरूर करूंगा कि हमारे मुल्क में आये दिन जो हंगामे होते रहते हैं या जो हमारे आपस के एख्तलाफात रूनुमा होते हैं उन्होंने दूसरे मुमालिक को इस बात पर उकसा दिया कि जिस कौम के अन्दर, जिस मुल्क के अन्दर मुख्तलिफ किस्म के एख्तलाफ हो सकते हैं, जब कि एक दूसरे के जहन और एक दूसरे के दिल नहीं मिल सकते हैं, और नहीं मिले हुए हैं, उस मौके पर उन को कामयाबी मिल सकती है। हालांकि यह उन का खाम ख्याल है, यह उन की समझ का फेर है, और वह अपनी इस समझ में यकीनन नाकाम हो कर रहेंगे और नाकामयाब हैं, वह इस से फायदा नहीं उठा सकते । हम एक जगह रहते हैं, हम में आपस में एख्तलाफात भी होंगे, इत्तफाक भी होगा, लेकिन कभी भी इस से दूसरे मुमालिक नाजायज फायदा नहीं उठाने पायेंगे और न वह उठा सकते हैं ।

हम को भी यह सोचना है कि यहां पर यह जमहूरी हुकूमत है, इस में हिन्दू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, थोड़ा हिस्सा हो या ज्यादा हिस्सा हो, बहरहाल हर शख्स को यहां इत्मीनान और सुकून की जिन्दगी बसर करने का हक है और वह रह सकता है। जहां तक हमारे मुल्क के विकार का और उस के तहफ्फुज का सवाल है, मैं हिन्दुस्तान के समारे मुसलमानों की तरफ से, हुकूमत और ऐवान को जिम्मेदाराना हैसियत से यकीन दिला चुका हूं।

†**श्री रामसेवक यादव** (बाराबंकी) : क्या आप केवल मुसलमानों के ही प्रतिनिधि हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री मुजफ्फर हुसेन: मैं अपने मुल्क के विकार के लिये बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिये तैयार हूं। आप का हम पर ऐतमाद हो या न हो, वह आप जानें और आप का काम जाने, लेकिन जहां तक हमारे मुल्क के विकार का सवाल है, इस सिलसिले में हम कभी यह नहीं देखेंगे कि कौन आ रहा है, अपना है या बेगाना चूंकि हमारे मुल्क का तहफ्फुज हमारे लिये जरूरी है, इसलिये हम इस सिलसिले में बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिये तैयार हैं।

हां, इस सिलसिले में मैं एक बात जरूर कहूंगा, और जिस को बहुत अफसोस से कहूंगा। वह यह कि आज आये दिन शहरों और देहातों में जो चन्दे की स्कीमें जारी की गई हैं कि तुम इतने कम्मल दो, तुम फटे मोजे दो, तुम फटे स्वेटर दो, इस किस्म की जो चीजें की जा रही हैं, यह किसी हद तक हमारे मुल्क के विकार के लिये काबिले अफसोस है, क्योंकि इस का ऐलान आये दिन रेडियो पर होता रहता है और इस की इत्तलायें गैर-मुल्कों में जरूर पहुंचती होंगी। वह क्या समझते होंगे कि जब कि एक मुल्क की सरहद पर झड़प भी सीधी नहीं शुरू हुई, जो कि बड़ा मुल्क कहलाता है, उस को दूसरों के दरवाजों को देखना पड़ गया फटे कम्मलों के लिये, तो जब बाकायदा जंग छिड़ गई तब क्या होगा। इस मौके पर बजाय इस के कि हम इस किस्म की अपीलें करे, हमें चाहिये कि जो बिड़ला, जो टाटा, जो फैक्ट्रियां और कम्पनियां हुकुमत की नवाजिश से करोड़ों रुपये अपनी तिजोरियों में भर चुके हैं, उन्हें तलब किया जाय, उन को हुक्म दिया जाय कि वह सारा सामान तैयार करे और हमारे बहादुर सिपाहियों को भेजें ताकि वे शरहदों पर बाकायदा तौर पर चीनियों का मुकाबला कर सकें। और हमारी हुकूमत का विकार भी अपनी जगह पर कायम रह सके।

इस सिलसिले में मैं यह भी कहूंगा कि जहां तक अवाम का ताल्लुक है उन पर सेल्स टैक्स और तरह तरह के दूसरे टैक्स लगे हुए हैं और इस से उन के ऊपर बहुत बड़ा बार है। लेकिन इन तमाम जेरबारियों के बावजूद जब भी मुल्क के लिए कुरबानी देने का मौका आता है इन्होंने कुरबानी दी है और दे रहे हैं।

एक बात मैं अपनी फौज के मुताल्लिक भी कहना चाहता हूं, पहले जो हुकमतें रहीं, चाहे वह अंग्रेजी हुकूमत हो, या हिन्दू हुकूमत हो या मुस्लिम हुकमत हो, वे फौजें रखती थीं और रियासतों में भी अपनी अपनी फौजें होती थे। उन फौजों में उन कौमों के नौजवान भरती किए जाते थे जिनके नसली इम्तियाजात मालूम थीं, जिनके बारे में मालूम था कि वे बहादुर कौमें हैं, जैसे राजपूत, ठाकुर, या जाट, या मुसलमान या सिख। इस किस्म के लोगों में से सिपाही भरती किए जाते थे जिनमें हिम्मत और जांबाजी होती थी। उनके बारे में कहा जा सकता था कि ये जान ले सकते हैं और जान दे सकते हैं। इन बातों की काफी तफतीश करने के बाद उनको भरती किया जाता था और उसके बाद वह महाज पर जाकर बहादुरी दिखाते थे और कामयाबी हासिल करते थे। लेकिन आप मुझे माफ फरमाएंगे यह कहने के लिए कि आज जो लोग फौज में नौकर हैं उनमें से बहुतों को ठीक से चलने का सलीका नहीं मालूम, बन्दूक उठाने का तरीका नहीं मालम। मैं इस खुशफहमी में नहीं पड़ना चाहता कि हमारे पास चालीस लाख या चालीस करोड़ फौज है, लेकिन देखना यह है कि उनमें कितनी हिम्मत है.....

एक माननीय सदस्य: जरूर है।

श्री मुज्जफ़र हुसेन : आप सही कहते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं। आपको यह कहने का हक हासिल है। मैं भी यह कहता हूं। लेकिन जिन लोगों को आपने रखा है उनमें ऐसे बरायनाम हैं। अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो सही मानों में नहीं लड़ सकते। लिहाजा ऐसे मौके पर ऐसे लोगों की भरती की जाए जैसे राजपूत हैं, जाट हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं जो ऐसे माजुक मौके पर बड़ी से बड़ी कुरबानी दे सकते हैं और मुल्क को दूसरे के हमले से बचा सकते हैं.....

श्री बड़े (खारगोन) : जो हमारी मिलिटरी लड़ रही है उसके बारे में ऐसा बोलना ठीक नहीं है कि उस में ऐसे लोग हैं जो कायर हैं या जो लड़ नहीं सकते। यह कहना ठीक नहीं है। उन्होंने अभी हिन्दी में यही कहा कि फौज में जो लोग हैं उन में ऐसे लोग हैं जो बराबर लड़ नहीं सकते, बन्दूक नहीं उठा सकते। एसी बात उन्होंने कही। इसको रिकार्ड से एक्सपंज कर देना चाहिय।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : उसे निकाल देना चाहिए।

श्री मुजफ्फर हुसेन : मेरे कहने का मतलब यह नहीं था। मेरा मतलब तो यह था कि इस वक्त जितनी भरती की जाए वह उन कौमों में से की जाए जिनमें हिम्मत हो और कुर्बानी देने का जज्बा हो, चाहे वह राजपूत हों, जाट हों, सिख हों या मुस्लिम हों।

श्री शिव नारायण (बांसी) : प्वाइंट आफ आर्डर (**अन्तर्बाधा**)

उपाध्यक्ष महोदय : आर्डर आर्डर।

श्री शिव नारायण : मेरे मित्र कहते हैं कि राजपूत, ठाकुर, जाट, सिख, जाट और पठान ही अच्छे सिपाही हो सकते हैं। मैं इस बात को चेलेंज करता हूं। उन्होंने इन में हरिजनों का नाम नहीं लिया। मैंने फाइनेंस बिल पर बोलते हुए कहा था कि आवश्यकता पड़ने पर मैं एक करोड़ हरिजनों को झोंकवा सकता हूं। हमारे भाई ने कहा कि हमारे सिपाही बन्दूक नहीं चला सकते, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए।

श्री मुजफ्फर हुसेन : मैं हुकूमत को धोखे में नहीं रखना चाहता। कहने को आप चाहे कुछ कह सकते हैं लेकिन मुल्ला की अजां में और मुजाहिद की अजां में फर्क होता है। आप इन लोगों को मैदान में आने दें तो आपको मालूम होगा कि कौन ज्यादा कुरबानी दे सकता है। (**अन्तरबाधा**) पहली हुकूमतें कोई बवकूफ नहीं थीं जो खास कौमों को फौज में भरती करती थीं। ये लोग बड़ी से बड़ी कुरबानी दे सकते थे और देने के लिए तैयार रहते थे अपने मुल्क की हिफाजत के लिए।

श्री बाल्मीकी (झुंझुनूं) : आप के जो खयालात हैं वे कौमी की मुहब्बत पर मबनी नहीं है। इन से कौम के इत्तिहाद को धक्का पहुंच सकता है। हर कौम बहादूर हो सकती है और मुल्क के लिए कुरबानी दे सकती है।

श्री राम सेवक यादव : इन्हीं कौमों ने तो पिछले डेढ़ हजार साल तक कौम की और मुल्क की हिफाजत की थी, कैसी हिफाजत की थी, बार बार गुलाम बनना पड़ा।

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : एक आदमी जो हल चलाता है उसको अगर आप दुकानदारी का काम सोंप देंगे तो वह दिवाला निकाल देगा। जो लड़ने का काम करते रहे हैं उनको ही फौज में लेना चाहिये।

श्री मुजफ्फर हुसैन : इस सिलसिले में मैं यह अर्ज कर दूं कि जहां तक हमारे मुल्क के तहफ्फुज का सवाल है हमें बजाए अवाम से चन्दा मांगने के और मोजे और सूटर मांगने के बड़ी फैक्टरियों को कहना चाहिए कि वे तमाम चीजें तैयार करें जो हम जवानों के लिए भेज सकें और जिनसे वे सरदी से बच सकें। हमको चन्दा जमा करने के बजाए बड़े बड़े लोगों जैसे डालमिया, बिड़ला वगैरह की तिजोरियों पर कब्जा करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि तुम दो । आज इस बात का रेडियो से ऐलान किया जाता है कि एक बूट पालिश वाले ने दो रुपए दे दिए या इतनी रकम दे दी। मैं यह नहीं कहता कि बूट पालिश करने वाला न दे, लेकिन इसका ऐलान करने से मुल्क के विकार में फर्क आता है। मैं कहता हूं कि न सिर्फ बूट पालिश करने वाला बल्कि हर शख्स दे, लेकिन इसका ऐलान करना ठीक नहीं है । इससे मुल्क का विकार कम होता है ।

श्री बागड़ी (हिसार) : इस से विकार बढ़ता है ।

श्री मुजफ्फर हुसेन : विकार गिरता है । आपको गलतफहमी है । ऐसा करने से दूसरे मुल्क समझते हैं कि हमारा मुल्क भूखा नंगा है, वह अपने सिपाहियों को कपड़े भी नहीं दे सकता । अगर देना ही है तो सारे मेम्बर अपनी तनख्वाहें दे दें।

श्री बागड़ी : सिर्फ तनख्वाह ही नहीं और भी सब कुछ देंगे ।

श्री मुजफ्फर हुसेन : हर शख्स को अपने ख्यालात का इजहार करने का हक है । आप इस खुशफहमी में रहना चाहते हों तो रहें। इस सिलसिले में आप और भी ऐलान करें तो मुझे कतई ऐतराज नहीं, लेकिन जहां तक मेरी राय का ताल्लुक है मैं कहूंगा कि इससे मुल्क के विकार में फर्क आता है और इससे दूसरे मुल्क हमारा मजाक उड़ाऐंगे कि यह मुल्क नंगा और भूखा है, इसके पास अपने सिपाहियों को सामान देने के लिये पैसा नहीं है । मैं कहता हूं कि जो बड़े पूंजीपति हैं उन से आप लीजिए और इस काम में लगाइए ।

†**श्री हनुमन्तैया** (बंगलौर-नगर) : प्रधान मंत्री ने अपने भाषण में वर्तमान स्थिति का बहुत ही गम्भीर विश्लेषण किया है । उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं। आज तो भारत का ही नहीं संसार भर के इतिहास बना हुआ है । सभी दलों ने एक मत से प्रधान मंत्री के नेतृत्व में विश्वास प्रकट किया है । आज प्रत्येक देशवासी के कर्त्तव्य करने का अवसर आ गया है ।

साम्यवादियों के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि कुछ एक व्यक्तियों ने उनमें से बड़ा साहस दिखाते हुए अपने विचारों को प्रकट किया है । परन्तु एक बात हम को समझ लेनी चाहिए कि इस समय भारत को उन समस्त साम्यवादी देशों का सामना करना होगा जो चीन की सिद्धांत अथवा राजनीतिक विचाराधारा के कारण सहायता देंगे । चीनी अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद की स्थापना पर कटिबद्ध हैं। पिछले इतिहास में घटनायें कुछ भी रही हों परन्तु क्या भारत अकेले रह कर अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर सकेगा और वह विश्व शांति की स्थापना कर सकेगा ?

कुछ मित्र कह रहे थे कि हमें कांगो और अफ्रीका से अपनी सेना वापिस बुला लेनी चाहिए। मैं ने इस का विरोध किया था। शांति की सद्भावना के रूप में हमारी सेना वहां

---

†मूल अंग्रेजी में

रहनी चाहिए। हमें अपनी हस्ती को बहुत अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। केवल भारत ही विश्व शांति स्थापित नहीं कर सकता। विश्व शांति तो सभी राष्ट्र मिल कर ही स्थापित कर सकेंगे। हमें सारी स्थिति का अध्ययन कर के स्वतंत्र रूप में कोई निर्णय करना चाहिए।

यदि चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है तो इसके यह अर्थ कदापि नहीं हैं कि वह जो चाहे कर सकता है। अतः इस विषय को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने का विचार करना चाहिये। इससे हमारी तटस्थता में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। जहां तक मेरा विचार है रूस चीन के इस रवैये से सहमत नहीं है।

जहां तक तटस्थता की नीति का सम्बन्ध है वह अभी तक बहुत अच्छी रही है, और इससे विश्व शांति को बल मिला है तथापि हमें यह देखना है कि वर्तमान परिस्थितियों में यह नीति कहां तक कारगर हो सकती है।

तथापि मेरा यह भी तात्पर्य नहीं कि हम किसी एक सैनिक गुट में शामिल हो जायें। मैं केवल यही चाहता हूं कि यह एक ऐसा मामला है जिसे हम राष्ट्र संघ में ले जा सकते हैं।

मैं ने सरकार की कुछ आलोचना की है तो मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि मैं उनका शत्रु हूं। तथापि मैं यह कहना चाहता हूं कि रक्षा मंत्रालय ने इस संकट का मुकाबला करने के लिये उचित कदम नहीं उठाये।

†**श्री मु० इस्माइल** (मंजेरी) : भारत के प्रधान मंत्री ने जो चीन को चुनौती दी है मैं उसका समर्थन करता हूं। तथापि यह अच्छा होता यदि यह चुनौती कुछ समय पहिले दी जाती। तथापि हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि उनकी और हमारी नैतिकता में बहुत अन्तर है। भले ही दो पड़ौसी भी हैं तथापि दोनों के बीच में एक दीवार रखनी होती है और साथ ही हम मित्रता भी रखते हैं। हमें इस सिद्धांत को समझना चाहिये था।

तथापि यह युद्ध हमारे लिये एक वरदान भी सिद्ध हुआ है। आज सारा भारत चाहे वह किसी जाति, धर्म या सम्प्रदाय का हो एक प्राण हो कर लड़ने को तैयार हैं। आज सारे देश का यह दृढ़ संकल्प है कि शत्रु हमें कोई हानि न पहुंचा सके। प्रारम्भ में हमने भले ही हानि उठायी हो परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं है कि अंत में विजय हमारी होगी क्योंकि सत्य और न्याय हमारी ओर है।

हमें इस परिस्थिति में किसी भी मित्र राष्ट्र की सहायता लेने से पीछे नहीं हटना चाहिये। आज जब युद्ध छिड़ ही गया है तो हमें किसी भी स्थान से शत्रु को भगाने के हथियार प्राप्त कर के शीघ्रता से अपना कार्य करना चाहिये। जब हम युद्ध में प्रवृत्त हो गये हैं और हमारे सामने संकट उपस्थित है तो तटस्थता की बातें करना मूर्खता है।

इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि इस बीच किसी प्रकार के उपचुनाव इत्यादि नहीं होने चाहिये क्योंकि इससे लोगों में दलगत विद्वेष बढ़ता है। अतः सभी उपचुनाव स्थगित कर दिय जायें।

अब मैं निधि के संग्रह का प्रश्न लेता हूं। सभी लोग अपना अंशदान देना चाहते हैं अतः मेरे विचार से इसे जिला अधिकारियों के माध्यम से जमा किया जाय। भले ही सभी पक्षों के नेता धन एकत्र करने में सहयोग करें तथापि यह कार्य केवल अधिकारियों द्वारा ही किया जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० चं० गुह** (बारसाट) : भारत की स्वतंत्रता के पश्चात् कदाचित यह सब से बड़ा खतरा है हम सदैव चीनियों को मित्र कहते रहे उसका फल हमें यह प्राप्त हुआ कि उन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। आज भी यह बड़े खेद की बात है कि बहुत से अफ्रीकी तथा एशियायी राष्ट्र जिनको हम अपना मित्र समझते रहे हैं हमारी सहायता के लिये आगे नहीं आये। हमारे देश में प्रजातांत्रिक विकास की सफलता से सर्वाधिकारवादी नाराज हैं और वे हमारी आकांक्षाओं के प्रति सहानुभूति नहीं रखते हैं।

देश के नेता सही नेतृत्व नहीं कर सके हैं जिसके फलस्वरूप ही जनता स्वयं नेतृत्व के लिये झगड़ रही है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि जनता जो धन दे रही है उसका उचित ढंग से प्रयोग किया जाये और प्रशासन से अपव्यय के लिये तथा ढीलढाल को दूर करने के लिये कदम उठाये जायें।

जो लोग अफवाहें उड़ाया करते हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये और जो लोग अभी भी चीन के पक्ष में प्रचार करते हैं उनको कड़ा दंड दिया जाना चाहिये।

हमारे विदेश प्रचार एवं आकाशवाणी दोनों में सुधारे की जरूरत है ताकि वे जनता की सूचना प्राप्त करने की इच्छा पूरी कर सकें। नवीनतम और सही सूचना प्रसारित की जानी चाहिये ताकि जनता को नई घटनाओं की जानकारी मिलती रहे।

यदि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा परिषद् को केवल मंत्रणा निकाय ही रखना है तो उसमें केवल सैनिक विशेषज्ञ ही रखे जाने चाहिये थे।

स्टाक एक्सचेंजों को पुनः चालू करने के लिये जोरदार कार्यवाही की जानी चाहिये। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि विनियोजक तक तथा सट्टेबाज कोई गांठ सांठ न कर सकें।

सरकार को घाटे की वित्त व्यवस्था करने के लिये और विदेशी ऋण लेने से पहले अतिरिक्त लाभकर को फिर से लगाने के सम्बन्ध में विचार करना चाहिये। छोटी छोटी बचतों को युद्ध के प्रयोजन के लिये एकत्रित करने पर अधिक जोर दिया जाना चाहिये।

कुछ वस्तुओं के नियंत्रण एवं सामान्य ऋण नियंत्रण की नीति के सम्बन्ध में पुनः विचार किया जाना चाहिये ताकि मूल्यों को एक विशेष स्तर पर स्थिर किया जा सके। नमक कर फिर से लगाया जाना चाहिये और मद्यनिषेध को खत्म कर दिया जाना चाहिये ताकि युद्ध के लिये धन मिल सके।

श्री रामसेवक यादव : उपाध्यक्ष महोदय, सर्व प्रथम तो मैं उन अमर शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिये चीनियों से लड़ाई लड़कर अपनी जान गंवाई। उस के बाद आज भी हमारे सिपाही बड़ी बहादुरी से, बगैर हथियारों के, बगैर कपड़ों के लड़ रहे हैं और बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं, मैं उन के प्रति भी अपनी ओर से और देश की ओर से आभार प्रकट करता हूं। **(अन्तर्बाधा)**

कुछ माननीय सदस्य : यह गलत है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रामसेवक यादव : मुझे विश्वास है और मुझे गर्व भी है कि हमारे सिपाही, लड़ने वाले हमारे बहादुर सिपाही, दुनिया के किसी भी देश के सैनिकों के मुकाबले में किसी प्रकार से कम बहादुर नहीं हैं, ज्यादा ही हैं ।

कुछ माननीय सदस्य : यह सही बात है ।

श्री रामसेवक यादव : बातें तो हमारी सभी सही हैं। माननीय सदस्य ज़रा दिल थाम कर सुनें ।

मैं उन बहादुर सिपाहियों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । इस के बाद मैं उन सभी देशों को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्हों ने इस गाढ़े मौके पर हिन्दुस्तान को मदद देने का वादा किया है, जो मदद दे रहे हैं और जो मदद देंगे ।

इस सिलसिले में विशेषतया हम जैसे समाजवादियों के मुख से वह बात नहीं निकलनी चाहिये, लेकिन हमारे साम्यवादी पड़ोसी और मित्र, रूस, ने मजबूर कर दिया है कि हम वे शब्द भी कहें । इस वक्त हमारे दिल अमरीका और इंग्लैंड के प्रति कृतज्ञता से भरे हुये हैं कि उन्होंने इस गाड़े समय में हमारी मदद की । प्रगतिशीलता क्या है ? क्या प्रगतिशीलता यह है कि एक अन्यायी देश को अन्यायी न कहें ? प्रगतिशीलता का अर्थ यह है कि अन्यायी को अन्यायी कहा जाये, चाहे वह अपना भाई भी हो । लेकिन उस प्रगतिशीलता का परिचय हमारे साम्यवादी पड़ासी देश रूस, ने नहीं दिया, इस का मुझे दुख है ।

इस समय एकता की बात बेमतलब है । इस संकट की घड़ी में हम को एक होने के लिये विवश होना पड़ेगा, हमें झख मार कर एक होना पड़ेगा । आज हिन्दुस्तान की आज़ादी पर संकट आया है । आज मातृभूमि की रक्षा का प्रश्न है । और जब ऐसा प्रश्न सामने होगा, तो, मैं समझता हूं, इस देश में कोई कपूत ही होगा, जो उस के विरुद्ध जायगा और अपना सहयोग नहीं देगा । उस समय सभी एक होंगे । इसलिये आज की परिस्थिति में एकता का प्रश्न नहीं है । इस देश में मातृभूमि की रक्षा के लिये सभी एक हैं, चाहे वे सरकारी पक्ष के हों और चाहे विरोधी पक्ष के हों ।

इस सम्बन्ध में हम अपने साम्यवादी मित्रों की उस घोषणा का स्वागत करते हैं, जिस में उन्होंने देश की रक्षा करने और देश की भूमि को बचाने का वचन दिया है । लेकिन साथ ही मैं बड़े अदब से यह निवेदन करूंगा कि यह बात उतने ही मज़बूत तौर पर सही है, जितने मज़बूत साम्यवादी दल के उन लोगों और दोस्तों के इरादे हैं, जो यह कहते हैं कि हम देश की रक्षा करेंगे और चीनी दुश्मनों को मार भगायेंगे । लेकिन इस बात का दुख है कि आज साम्यवादी दल में ऐसे दोस्त हैं, जो आज भी चीन को आक्रमणकारी नहीं मानते हैं, जो कहते हैं कि कोई समाजवादी देश कभी किसी दूसरे देश पर हमला नहीं कर सकता । वह कभी ग़लती ही नहीं करेगा, वे लोग इस हद तक जाते हैं ; आज वे चीन के साथ हैं, क्योंकि वह एक समाजवादी देश है, चाहे वह हमला-आवर क्यों न हो, और इस लिये वह ग़लत नहीं हो सकता ।

मैं उन दोनों स्थितियों में समन्वय करने में असमर्थ हूं । मैं नहीं जानता कि उन में कैसे समन्वय करूं । इस समस्या के बारे में हमारे साम्यवादी साथियों ने कुछ ऐसा रुख अपनाया है कि जिस से लोगों के दिलों में शुबहा पैदा होता है । और वह शुबहा बढ़ता है, जब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय संकट के समय मातृभूमि की रक्षा के बारे में दल में दो विचार-धारायें हों और दो तरह के लोग हों और यह भी निश्चय हो कि वे दोनों दल में ही रहेंगे । इस प्रकार दल में को-एग्ज़िस्टेंस और

[श्री रामसेवक यादव]

सह-अस्तित्व के सिद्धान्त का बरता जाना सब से ज्यादा शुबहे की बात है। हम को अपने उन मित्रों पर शुबहा नहीं करना चाहिये और हमारे मित्र मुझे माफ़ करेंगे, लेकिन प्रश्न यह है कि अगर मातृ-भूमि की रक्षा के प्रश्न पर वास्तव में उन के दिलों में ईमानदारी है, तो उन के दल में फूट हो जानी चाहिये और उन लोगों को दल से बाहर निकाल देना चाहिय, जिन्होंने ऐसी बातें कही हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। ऐसा लगता है कि उन मित्रों ने बड़ी चतुराई के साथ प्रधान मंत्री की प्रशंसा कर के और उन को विदेश नीति की तारीफ़ कर के अपने देशद्रोह को छिपाते हुए आज भी अपनी पुरानी नीति अपनाई हुई है। आज स्थिति यह है कि उन में से एक दल चीनियों का समर्थन करता है और दूसरा हिन्दुस्तान का। अगर हिन्दुस्तान की विजय हुई, तो वे कहेंगे कि हम तो हमेशा तुम्हारे साथ थे और अगर चीन की विजय हो, तो उस को कहेंगे कि हम तुम्हारे साथ थे। यह नीति नहीं चलेगी।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : माननीय सदस्य चीन की विजय का जिक्र न करें। चीन की विजय की बात उन के मुंह से अच्छी नहीं लगती है।

श्री रामसेवक यादव : मैं तो उन की बात कर रहा हूं। चीन की विजय कैसे हो सकती है? वह तो तब हो सकती है, जब हमारे शरीर ही न रहें।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये दोनों बातें साथ नहीं चल सकती। अगर कम्यूनिस्ट साथी सचमुच हमारे प्रयासों में सहयोग करते हैं तो हम उस का स्वागत करते हैं, लेकिन इस दो तरफ़ा नीति का अन्त होना चाहिये, जो कि उन्होंने इस वक्त अपनाई हुई है।

अभी तक तो माननीय सदस्यों ने मेरी बातों को भली-भांति सुना है। लेकिन अब शायद कुछ लोगों को मेरी बातें कड़वी लगें। उस के लिये मैं क्षमा-याचना करता हूं, लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं वे बातें देश-प्रेम के कारण ही कह रहा हूं।

आज यह कहा जा रहा है कि सरकार की हिमायत करनी चाहिये, देश की हिमायत करनी चाहिये,। जरूर। मातृभूमि की रक्षा में देश और सरकार का साथ देने या न देने का क्या प्रश्न है? अगर सरकार ग़लत रास्ते पर चल कर भी देश की रक्षा करेगी, तो भी हम उस का साथ देने के लिये मजबूर होंगे, क्योंकि उस समय हम जायेंगे कहां? हम लोग देश की रक्षा में पूरा हाथ बंटायेंगे, लेकिन देश के लोगों को, सदन में उधर और इधर बैठने वाले लोगों को यह याद रखना चाहिये कि मौजूदा संकट में जोश और रोष, यह सब कुछ होना चाहिये, लेकिन उस के साथ ही होश भी होना चाहिये। हम लोग होश के साथ काम करें और मदद करें।

जब हम यह कहते हैं, तो अब हमें मौजूदा संकट के कारणों पर भी जाना चाहिये। प्रश्न यह है कि क्यों कर यह संकट हमारे सामने आया और यह संकट कब आया और देश ने यकजहती और एकता का जो परिचय दिया है तथा चीनी भेड़ियों को खदेड़ कर उस की मांद में घुसेड़ देने का देश में जो भारी तुफान आया है, क्या हम उस का सही उपयोग करने के लिये तैयार हैं और क्या हमने उस के लिये सही रास्ते पर चलने का फ़ैसला किया है। मैं कहना चाहता हूं कि मौजूदा संकट भारत सरकार की विदेश-नीति का परिणाम है, जो कि अवसरवादी, व्यक्तिवादी, सिद्धान्तविहीन और निष्क्रिय तटस्थता की रही है। प्रधान मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि पांच साल पहले यह संकट आया था। पांच साल की ही मान लीजिये, हालांकि यह संकट तो सन् १९४९ और १९५० में ही आ गया था' जबकि इस विस्तारवादी चीन की कम्यूनिस्ट सरकार ने तिब्बत पर हमला किया और उस पर

कब्जा कर लिया और हिमायल हमारी उत्तरी सीमा का रक्षक न रहा। उस संकट को देखने के लिये सरकार की आंखें होनी चाहिये थीं। हमें सरकार की ग़लतियों को माफ़ करने में ज़रा भी हिचक नहीं है, लेकिन ग़लतियां बताने के बाद भी, चेतावनी देने के बाद भी अगर ग़लती हो, तो दुख होता है और यह भावना पैदा होती है कि कैसे उस ग़लती को माफ़ किया जाये।

१९५० में तिब्बत पर चीनियों का आक्रमण हुआ। एक तरफ तो तिब्बत का डेलीगेशन सुलाह-समझौते के लिये चीन जा रहा था और दूसरी तरफ़ चीन की पलटनें तिब्बत में घुस रही थीं, जिन्होंने तिब्बत को पदाक्रान्त किया और उस पर कब्जा किया। ऐसी बात नहीं कि देश में ऐसे लोगों की कमी थी, जिन्होंने इस बारे में चेतावनी दी थी। डा० राममनोहर लोहिया और सोशलिस्ट पार्टी ने कहा था कि तिब्बत पर चीन का आक्रमण ऐसा ही है, जैसे कोई राक्षस किसी बालक का गला घोंट रहा है। लेकिन दुख है कि प्रधान मंत्री जी चीन के प्रेम में, चू-एन-लाई की दोस्ती में—और सच्ची दोस्ती में—वह साधारण चतुराई बरतना भी भूल गये, जो कि देश की सीमा-रक्षा के लिये बरतनी चाहिये थी। यह सबसे बड़ी ग़लती है।

कहा जाता है कि तिब्बत चीन का अंग था। कौन देश किस का पड़ौसी है, किस के नज़दीक है, इसके कुछ टैस्ट होते हैं, उस की कुछ कसौटी होती है, अर्थात् यह कि उस की भाषा क्या है, उस की लिपि क्या है, उस के सांस्कृतिक और धार्मिक सम्बन्ध क्या हैं, तिजारती सम्बन्ध क्या हैं और खास तौर से पानी का ढलाव क्या है और इसके साथ ही जनता की शिक्षा-दीक्षा क्या है। ये मोटी मोटी कसौटियां हैं, जिन से हम देख सकते हैं कि कौन देश किस देश का पड़ौसी है। अगर हम इन कसौटियों पर कसें, तो तिब्बत हिन्दुस्तानियों के अधिक नज़दीक है, चीनियों के नज़दीक नहीं है। लेकिन हमने अपनी ग़लती, भूल, शान्तिप्रियता और कमज़ोर अहिन्सा की नीति के कारण अपने पड़ौसी भाई तिब्बत की स्वतंत्रता को चीनी राक्षस के हाथ कत्लेआम होते देखा, उसको बर्दाश्त किया और उस के परिणाम स्वरूप आज हम को अपनी सारी सीमा पर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। तिब्बत नियमानुकूल, नियमानुसार कभी भी चीन का अंग नहीं रहा है। एक ऐसा समय भी आया जब तिब्बत ने चीन को हराया। तिब्बत का हमारे साथ कितना गहरा सम्बन्ध रहा है, यह मैं आपको बतलाना चाहता हूं। अब भी मंसर गांव जो कि मैकमेहन रेखा से मानसरोवर के पास साठ सत्तर मील दूरी पर है, उसकी जनगणना भारत के साथ होती है और वहां से मालगुज़ारी हम वसूल करते थे। कभी हमारे देश के किसी राजा ने लामाओं को तिब्बत का हिस्सा छोटा भाई समझ कर दे दिया तो इसका यह मतलब नहीं है कि हमारा उसके साथ सम्बन्ध टूट गया। मिसाल के तौर पर ही मैं आपको बतला रहा हूं कि मंसर गांव को हम ने अपने साथ रखा। लेकिन आज हम क्या देखते हैं? वही कैलाश, वही मानसरोवर जिन के साथ हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक सम्बन्ध जुड़े हुए हैं, आज हमारे नहीं रहे। भोलाशंकर आज चीन की कैद में है। इस तरह की हमारी नीति रही है और उसी का यह परिणाम है।

चीन जानता था कि अगर वह फार्मूसा की तरफ जाता है तो अमरीकी हवाई बेड़ा वहां मौजूद है, समुद्री बेड़ा मौजूद है और अगर मकाओ की तरफ जाता है तो वहां भी उसको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, इसवास्ते उसने देखा कि जो सब से ज्यादा कमज़ोर हिस्सा है, उस तरफ मुंह करो और उसने तिब्बत की तरफ मुंह किया। यह १९५० की बात है कि उसने तिब्बत को पदाक्रान्त किया। १९४५ में जब हमारी चीनी कम्युनिस्टों के साथ संधि हुई तब उसी समय वहां की कम्युनिस्ट सरकार ने बाराहोती के ऊपर अपना अधिकार जमा दिया। उसी समय हमें आगाह हो जाना चाहिये था। अगर १९५० में नहीं तो १९५४ में तो हमें चेत जाना चाहिये

[श्री रामसेवक यादव]

था जब उसने बड़ाहोती की बात की। लेकिन हम नहीं चेते। मैं समझता हूं कि यह प्रसंगवश बात होगी अगर मैं दो मई १९५४ के **पायोनीयर** अखबार में जो एक सम्पादकीय नोट छपा था और जिस में प्रसंग आया था उनका जो तिब्बत के बारे में एकसपर्ट माने जाते हैं, चार्लेस बैल और जो कुछ उन्होंने कहा था उसको आपके सामने पढ़ दूं। उन्होंने यह बात १९१४ में यानी जब यह टिप्पणी अखबार में छपी थी, उससे तीस साल पहले कही थी। इसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं उसका संक्षेप इस प्रकार है :—

भारत को चीन से यह आशवासन लेना चाहिये कि पुराने दावों को पुनः नहीं रखा जायेगा तथा चीन का एक ऐसा नक्शा दोनों देशों की सहमति से प्रकाशित किया जाये जिनमें भारत के सायरिक महत्व के क्षेत्र शामिल न किया जाय। सर चालैस बैल ने यह भी कहा था कि यदि चीन शिमला सम्मेलन में निश्चित राशि संतुलन पर हस्तक्षेप करे तो हमसे भारत तथा नेपाल पर प्रभाव पड़ेगा इसलिये जब नेपाल, भूटान और सिक्किम ने यह देखा कि भारत तिब्बत में शक्ति संतुलन बनाये रखने में असमर्थ है तो वे स्वये चीन की ओर ढल गये।

यह बात १९१४ में कही गई थी। आज हमारा पड़ौसी नेपाल इसी का शिकार हो रहा है। भूटान भी हमारी इसी कमजोर नीति का शिकार हो रहा है जोकि १९१४ में बात कही गई थी। उसके बारे में भी वह नतीजा नहीं निकला रहा है जो निकलना चाहिये। जो बात तब कही गई थी वह आज सत्य सिद्ध हो रही है। लेकिन हमारे देश की सरकार ने, हमारे देश के विदेश मंत्री ने, हमारे देश के रक्षा मंत्री ने इन चीजों की ओर ध्यान नहीं दिया और इसका परिणाम हमारे सामने है। यही वजह है कि मौजूदा संकट हमारे सामने आ खड़ा हुआ है।

• यह कहा जाता है कि हमारी विदेश नीति तटस्थता की है। इसका क्या मतलब है ? मैं समझता हूं कि हमारी विदेश नीति तटस्थता की नहीं रही है। हमारी विदेश नीति यह रही है कि हां और ना में बंटते रहो। कोई प्रश्न उठे दुनिया का तो देखो रूसी गुट क्या रुख अख्तियार करता है, अमरीकी गुट क्या अख्तियार करता है और फिर कभी रूस की हां और कभी अमरीका को हां में हां मिला दो। मिसाल के तौर पर मैं अर्ज करता हूं कि जब पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन का प्रश्न उठा और अमरीका पश्चिमी जर्मनी के पक्षमें था तो हमने साथ हां कही। जब चीन का सवाल उठा और अमरीका चीन के विरुद्ध था और रूस चीन का समर्थक और रूस ने कह दिया कि चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ में लिया जाना चाहिये तो उसके साथ हां में हां हमने मिला दी। हमारी नीति एक सिद्धांत पर नहीं चली। एक और मिसाल मैं आपको देता हूं। इजराईल ने इजिप्ट पर हमला किया तो हिन्दुस्तान की सरकार ने सही कदम उठाया और उसकी हम प्रशंसा करते हैं। वह बड़ी अच्छी बात थी क्योंकि इज़राइल हमलावर था, आक्रमणकारी था, उसकी निन्दा होनी चाहिये थी उसको संयुक्त राष्ट्र संघ में न लिया जाना ही उचित था और उसको मान्यता न दे कर हमने ठीक ही किया। लेकिन अगर हम उसी नीति को अपनी बुनियादी नीति रखते तो फिर आज जब चीन आक्रमणकारी है तो हम किस मुंह से कह सकते हैं और किस मुंह से हमारे प्रतिरक्षा मंत्री उस आक्रमण के होते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में उसकी वकालत कर सकते हैं और उसके संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश की हिमायत कर सकते हैं ? कैसे हम कह सकते हैं कि हां, तुम ने हमको मारा है, तुम ने हमारा बहुत नुक्सान किया है, तुम्हारी लाठी बहुत मजबूत है, इसवास्ते मारे डर के हम कह रहे हैं कि इसको भी शामिल कर लो ? जब इस तरह की बात की जाती है तो मारे शर्म के, निर्लज्जता के हमारा सिर झुक जाता है। अगर हम नहीं कह सकते थे कि कम्युनिस्ट चीन को इसमें शामिल न किया जाए तो कम-अज़-कम खामोश तो हमको हो जाना चाहिये था, भलमंसाहत और आत्म-सम्मान का यही तकाज़ा था कि हम चुप रहते। लेकिन इस हद तक हम बढ़ गए कि हमने कहा कि इसको प्रवेश मिलना चाहिये।

आज भी हम क्या कर रहे हैं ? सारा आक्रमण हो चुका है, सारी बातें हो चुकी हैं, हमारे निहत्थे लोगों पर गोलियां चल रही हैं, उन पर आक्रमण हो रहे हैं, लेकिन सरकार कूटनीतिक सम्बन्धों को उसी तरह से कायम रखे हुए है, उन्हें तोड़ नहीं रही है। क्यों ऐसा है ? इससे अब क्या कुछ लाभ होने वाला है ? इससे ज्यादा खतरा किसी देश को क्या हो सकता है ? जो हमारी कमजोरी थी उसने हमारे लिए इस हद तक खतरा पैदा कर दिया कि उसने अपने देश के अन्दर ही अपनी सरकार में दो दल पैदा कर दिए, दो आदमी पैदा कर दिए, एक रूस की वकालत करे, एक अमरीकी की जुदा वकालत करे और उस दल में ही लड़ाई चल रही है, इस दल में ही कलह चल रही है। एक गुट है जिस का अपना अखबार चलता है, अपनी विचारधारा चलती है। अगर यह दलबन्दी, यह गुटबन्दी दिमागों में होती तो ज्यादा अच्छा होता और हम सही फैसला कर पाते। लेकिन वह दलबन्दी अगल अलग आदमियों में थी। यह हमारी विदेश नीति रही है। मैं समझता हूं कि जब तक हम सृजनात्मक तटस्थता और सिद्धान्त वाली विदेश नीति नहीं अपनाते तब तक हम सही रास्ते पर नहीं चल सकते। जो विदेश नीति हमारी रही है, उससे हम को सबक लेना चाहिये और सबक ले कर हम को अपनी रक्षा और विदेश नीति में परिवर्तन करना चाहिये। उस विदेश नीति में परिवर्तन अनिवार्य हो गया है। वैसे हम लड़ेंगे, देश लड़ेगा लेकिन डर है कि जो चीज़ अभीष्ट है, जिस की हम कल्पना करते हैं, वह बिना इस परिवर्तन को लाये हमें न मिले गोकि वैसा नहीं होना चाहिये और मेरा यह दृढ़ विश्वास है, दृढ़ निश्चय है, कि हम जीतेंगे, हम चीनियों को अपनी धरती से खदेड़ने में सफल होंगे, लेकिन फिर भी उसमें परिवर्तन अवश्य होना चाहिये।

लड़ाई इस हद तक बढ़ चुकी है कि देश उठ खड़ा हुआ है हर आदमी अपना सर्वस्व देश को बचाने के लिये कुर्बान करना चाहता है और उसके लिये तैयार है। लेकिन आज भी हमारा निश्चित उद्देश्य क्या है, इसकी घोषणा नहीं हुई है, क्या हम करना चाहते हैं, क्या हमारा इरादा है, उसकी झलक इस प्रस्ताव में नहीं मिलती है। इस में गोल मटोल बात है। यह कहा गया है कि जब तक एक एक इंच भूमि से हम चीनियों को खदेड़ नहीं देते तब तक हम शान्ति से नहीं बैठेंगे। चीन का जो तरीका रहा है, उसे हमें नजर अंदाज नहीं करना चाहिये। उसका तरीका यह रहा है कि कुछ हिस्से पर कब्जा करो, फिर रुक जाओ, अपने कब्जे को मजबूत करो और मज़बूत करने के बाद फिर मौका पा कर आगे बढ़ो। अब जैसे ठंडक है और वह कह देता है कि ठीक है हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तब हम क्या करेंगे ? क्या हम अपनी चौकियां बन्द कर लेंगे या फिर भी आगे बढ़ कर उनको अपनी धरती से खदेड़ देंगे ? आज एक ८ सितम्बर का प्रस्ताव आता है। इस ८ सितम्बर के प्रस्ताव का मतलब क्या है ? क्या इसका यह मतलब है कि ८ सितम्बर, को जिस भूमि पर चीन का कब्जा था उस जमीन के बारे में हम फिलहाल वार्ता करने की बात को मानते के लिये तैयार हैं ? ८ सितम्बर, को कौन कहां था, इसका कौन निर्णय करेगा ? यह ८ सितम्बर, वाली बात अगर मान ली जाती है तो यह कमज़ोर नीति है। इसके देश की रक्षा नहीं हो सकती। सन् १९६० की बात, १९५६ की बात इत्यादि बातें जब की जाती हैं तो ये एक ढिलमिल नीति की परिचायक हैं। सीधी बात होनी चाहिये। जब तक हम अपने देश की मातृभूमि की एक एक इंच भूमि को आजाद नहीं करा लेते हैं, चीनी दरिन्दों को जब तक हम खदेड़ नहीं देते हैं, हम अपने हथियार नहीं रखेंगे। जो सीमा रेखा की बात होगी है, उस के सम्बन्ध में भी मैं कहना चाहता हूं मैं चाउ-एन-लाई को बतलाना चाहता हूं, इस सदन के जरिये से, कि जो यह मैकमेहन रेखा है, यह ठीक है कि इम्पीरियलिस्ट रेखा है, वह साम्राज्यवादियों की बनाई रेखा है, उस रेखा को हम नहीं मानते। वह रेखा तिब्बत और हिन्दुस्तान के बीच थी, चीन और हिन्दुस्तान के बीच नहीं। चीन और हिन्दुस्तान के बीच की रेखा होगी पूर्व प्रवाहिनी ब्रह्मपुत्र, यह सीमा रेखा कैलाश मानसरोवर बनेंगे,

[श्री रामसेवक यादव]

मैकमेहन रेखा नहीं बनेगी। याद यदि तिब्बत आजाद न रहा होता, वहां चीनियों का अधिकार रहा होता, तो बात दूसरी थी। इस देश की सरकार को और हमारे प्रधान मंत्री को यह निश्चय घोषित कर देना चाहिये।

अक्सर लोग हिन्दी चीनी भाई भाई की बात कहते हैं। आज खुल गया नक्शा न भाई और पड़ौसी में कितना भेद है? हमारे रूसी मित्र कहते हैं कि हिन्दुस्तान तो दोस्त है और चीन भाई है। भाई भाई का खून एक होता है तो पड़ौसी के लिये क्या मुहब्बत होगी?

एक माननीय सदस्य: हम भी भाई भाई थे।

श्री रामसेवक यादव: हां वह भाई थाई थे, लेकिन वह राक्षस वाली नीति थी, धृतराष्ट्र वाली नीति थी कि उन को गले से लगा कर समाप्त कर दें। वह डबल भाई थे।

हमारे कुछ साथियों ने कहा कि हम को हथियार मुफ्त नहीं लेने चाहियें, खरीद कर लेने चाहियें। मैं सरकरार और सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से भी हो, जहां से भी हो, पैसे दे कर या उधार या मुफ्त, हमें हथियार लेने चाहिये। हां, एक शर्त होनी चाहिये कि हम अपनी स्वतन्त्रता को नहीं गंवायेंगे, बस। और जिस तरह से भी हथियार मिलें, उन को ले कर हम अपनी मातृभूमि की रक्षा करें। साथ ही जो यह हाथ खींच कर लड़ने की नीति है उस का अन्त होना चाहिये। आज हम हाथ खींच कर लड़ रहे हैं। हाथ खींच कर लड़ने के माने यह हैं कि हम बैठे हैं अपनी चौकी में, आये चीनी, आये दुश्मन, कहां चीनी है, आओ हम तुम्हें मारें। जिस तरह चीनियों ने टोह लगाई कि कहां से हिन्दुस्तान कमजोर है, कौन सी जगह पैर रखने की है, जहां से हमला किया जा सकता है, उसी तरह से हम को करना चाहिये। हमारा यह उद्देश्य होना चाहिये कि जब तक हम तिब्बत को आजाद न करा लें, तब तक चुप नहीं बैठें, जब तक हम तिब्बत के पठारों पर जा कर चीन का मुकाबला करने का निश्चय नहीं करते, जब तक यह मामला शायद हमारे लिये आसान नहीं होगा। आज यह बात कही जा रही है कि जाड़े का सवाल है। तिब्बत का पठार ऐसा है, मौसम के लिहाज से, कि एक घंटे में ऐसी सर्दी और एक घंटे में ऐसी गर्मी शुरू हो जाती है कि हम उस को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब तक हम तिब्बत में कुमक पहुंचा कर तिब्बत में ठहरी हुई चीनी फौजों का मुकाबला नहीं कर सकते तब तक चीनियों का निकाल पाना आसान नहीं होगा। आज हम हाथ खींच कर चीन से लड़ रहे हैं। मैं सोचता हूं कि कहीं इस तरह से हमारे ऊपर कोई कलंक न लग जाय क्योंकि कल यह भी हो सकता है कि हम अपनी स्वतन्त्रता खो दें इस तरह की बातों से। कहीं यह कलंक न लग जाय कि हिन्दुस्तान कमजोर था, उस की हवाई सेना कमजोर थी और चीन की हवाई सेना मजबूत थी, इसलिये हिन्दुस्तान की हवाई सेना का उपयोग नहीं हो सका? यह चीज नहीं होनी चाहिये और हम को जहां से भी हथियार मिलें लेना चाहिये। कुछ लोग कहते हैं कि हम हथियार उधार न लें। पैसा हमारे पास है नहीं, ऐसी हालत में अगर हम बिना पैसा दिये हुये हथियार न लें, तो इस का मतलब क्या है? यही न कि हम चुपचाप बैठें? इस नीति का तो सीधा मतलब यही है। इसलिये मैं समझता हूं कि उधार भी हथियार लेना चाहिये। चीन कौन अपनी ताकत से लड़ रहा है? चीन के पीछे भी उधार की ताकत है न? यह जो बीस पच्चीस हजार या तीस हजार की चीनी पलटन की बात होती है, वह आदिम युग की बात है यह पच्चीस और तीस हजार पलटन गाजर मूली की तरह से होगी। मैं यहां कहना चाहता हूं कि चीना भी उधार की ताकत से लड़ रहा है, और वह उधार की ताकत रूस की है। हम को भी अपनी आजादी को कायम रखने के लिये अमरीका और दूसरे देशों से ताकत उधार ले कर लड़ने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिये।

शुरू में हमारी जो हार हुई है, उस से हमें कोई घबराहट नहीं होनी चाहिये। हम भले ही ९९ लड़ाइयां हार जायें, लेकिन जो अन्तिम लड़ाई है उस में जो जीतता है वही जीता हुआ कहलाता है। इसलिये हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हां, परेशानी हमें इस बात से जरूर है कि सरकार ने हर चीज को अनिश्चित रूप से छोड़ा रक्खा है। कौन जानता है कि चीनी कहां रुकेंगे? पता नहीं हम उन को कहां तक रोकेंगे, सन् १९६० तक या सितम्बर, १९६२ तक। मान लीजिये कि बात चीत में वह कहते हैं कि लद्दाख हमें दे दो हम नेफा छोड़ देंगे, तो क्या इस को माना जा सकता है? यह सारी चीजें दुविधा में पड़ी हुई हैं। और देश को उन के बारे में कुछ पता नहीं है। इस दुविधा का अन्त होना चाहिये। अगर यह दुविधा खत्म हो जाय तो सही मानों में इस देश के लोग अपना सब कुछ निछावर करेंगे और कर रहे हैं। लेकिन आखिर उस का उपयोग क्या है? उद्देश्यविहीन रहते हुए कुछ नहीं हो सकता।

मैं बड़े विनम्र शब्दों में यह कहना चाहूंगा कि श्री कृष्ण मेनन के इस्तीफे से साफ जाहिर हो गया कि सरकार की रक्षा नीति असफल रही। उस को मनवा कर मैं कांग्रस के मित्रों को या दूसरे लोगों को बधाई दूंगा जिन्होंने इतना साहसिक कदम उठाया। लेकिन यह कदम ज़रा थोड़े साहस का था। कमजोर कृष्ण मेनन को आप ने दबोचा लिया। लेकिन रक्षा नीति और विदेशी नीति का साथ वैसे ही होता है जिस को चोली और दामन का साथ कहा जाता है। हमारी विदेश नीति जो असफल रही, अगर हम उस पर कुछ न बोलें और उस को न बदलें, तो इस से ज्यादा हमारी कमजोरी का और क्या सबूत होगा। मैं नहीं कहता कि सरकार बदले। ऐसे मौके आये हैं जब कि शान्ति के वातावरण का मंत्री युद्ध के वातावरण के लायक न रहने पर बदल दिया गया है। इंग्लैण्ड में चैम्बरलेन को बदल कर चर्चिल को लाया गया था।

श्री अन्सार हरवानी (बिसौली): लोहिया को ले आइये।

श्री राम सेवकयादव: लोहिया वहीं रह कर जनता की सेवा करेंगे और भारत की आजादी को कामय रक्खेंगे। आप झेंपे नहीं, खामोश रहें।

मैं कह रहा था कि नीति को बदलना चाहिये। भले ही हमारे देश की जमीन कांग्रेस सरकार के समय में बाहर गई हो, लेकिन इस संकट के समय में भी उस को जिस नीति का परिचय देना चाहिये था उस ने नहीं दिया। आज राष्ट्रीय सुरक्षा समिति बनी है। उस में कितने दलों के लोग हैं, वहां पर कौन लोग हैं? वही भाई भतीजाबाद अब भी चल रहा है, कुनबापरवरी चल रही है। आज इस संकट के समय कौन नहीं मिलेगा? प्रधान मंत्री के ऐसा कहने के बावजूद कि हम एक नकली दुनियां में रह रहे थे, एक अवास्तविक संसार में रह रहे थे अब भी आंख नहीं खुलीं। इस राष्ट्रीय रक्षा समिति में हम जगजीवन राम जी को नहीं देखते।

एक माननीय सदस्य: अब भी वैसे ही रह रहे हैं।

श्री रामसेवक यादव: आज भी उसी तरह के काम चल रहे हैं। साथ ही साथ हमारे खर्चों में भी कमी नहीं हुई है। क्या ठाट बाट के ऊपर हमारे यहां के खर्च में कोई कमी हुई है? ऐश व आराम में कोई कमी हो रही है। महिला मंडल योजना है, युवक समाज, भारत सेवक समाज है, साधु समाज है, इन पर होने वाली फुजूलखर्ची क्या बन्द हुई? अभी भी हम नहीं जगे।

अब मैं अपने कुछ सुझाव के दे कर समाप्त करूंगा। मैं सरकार के सामने चीनी हमले से उत्पन्न परिस्थिति का सामना करने के लिये कुछ सुझाव रखना चाहता हूं, और वे यह हैं:

[श्री रामसेवक यादव]

अविलम्ब युद्ध का उद्देश्य घोषित हो कि जब तक हम गद्दार चीनियों को भारत की एक एक इंच भमि से नहीं हटा देंग और तिब्बत को आजाद नहीं करा लेंगे तब तक हम हथियार नहीं डालेंगे ।

हम स्वतन्त्र सक्रिय सृजनात्मक तटस्थता की नीति को मजबूती के साथ अपना कर जहां से और जैसे हथियार मिलेंगे उसे लेंगे और युद्ध को तीव्र गति से चला कर—उस को ज्यादा नहीं चलायेंगे —तीव्र गति से चला कर शीघ्रातिशीघ्र चीनियों द्वारा हड़पी गई भूमि को मुक्त करायेंगे ।

उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिये हमें तत्काल अपनी फौजों को जनप्रिय राष्ट्रीय आधार देना होगा एक निश्चित उम्र जैसे २५, २६ वर्ष के लोगों की आम भर्ती कर राष्ट्रीय सेना का तत्काल निर्माण करना चाहिये ।

गुरिला युद्ध की ट्रेनिंग भी देनी चाहिये ताकि चीनी फौजों को पीछे से हमला कर परास्त कर सकें और हम को तिब्बत के पठारों पर अपनी फौजों को भेज कर चीनी फौजों को फंसाना चाहिये ।

हमें दलाई लामा तथा अन्य तिब्बती प्रतिनिधियों से बात कर तिब्बत में क्रान्तिकारी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था कायम कर के तिब्बत को स्वतन्त्र घोषित करना तथा उस की सुरक्षा को अक्षुण्य बनाये रखने का बचन देना चाहिये ।

मैं अन्तिम बात कह कर समाप्त कर रहा हूं कि हिमालय कभी हमारा रक्षक था, लेकिन अब नहीं रहा । क्यों नहीं रहा, यह बात सरकार को जानना चाहिये और जान कर हिमालय हमारी रक्षा करे हम को उसे इस लायक बनाना चाहिये । देवतात्मा पर्वतराज हिमालय उत्तर दिशा में विद्यमान है । वह पूर्व एवं पश्चिम समुद्र का अवगाहन कर के पृथ्वी के मानदण्ड की भांति स्थित है । मत्स्य पुराण में हिमालय के गुण और स्वभाव बर्णित हैं । मैं चाहता हूं कि हमारा राष्ट्र हिमालय की सेवा के योग्य बने ।

"अहीनशरणं नित्यं अहीनजनसेवितम् ।
अहीनः पश्यति गिरिं अहीन : रत्नसम्पदा ।।

श्री गु० सिं० मुसाफिर (अमृतसर) : डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा इरादा सिर्फ यह था कि लड़ाई के मुताल्लिक अपने जज़्बात का थोड़ा सा इज़्हार कर दूं । मैं समझता हूं कि इस वक्त लम्बी चौड़ी तकरीरें, या बातें या तजावीज़ करना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यह लड़ाई का मौका है । मुझे अपने कुछ दोस्तों की तकरीरें सुन कर ऐसा खयाल हुआ है कि जैसे शायद वह समझते हैं कि उनकी तकरीरें इस पार्लियामेंट हाउस के अन्दर ही रहनी हैं, इससे बाहर नहीं जानी हैं । मैं समझता हूं कि हमें ज्यादा बोलने में संकोच करना चाहिए ।

कुछ भाइयों ने हमारी विदेश नीति की मुखालिफत की है लेकिन उन्होंने यह नहीं बतलाया कि अगर हमारी विदेश नीति और हमारी नान एलाइनमेंट की पालिसी गलत है तो फिर हम को किस के साथ होना चाहिए था । आखिर यह बात पहली बात है । अभी तो गैर जानिबदारी की बात खत्म हो गयी । अब तो जो हमारी मदद करेगा वह हमारा दोस्त होगा और जो मदद नहीं करेगा वह हमारा दुश्मन होगा । अब तो यह किस्सा खत्म है । तो जिन भाइयों ने हमारी विदेश नीति की मुखालिफत की है उनको यह बताना चाहिए था कि जब हमारी यह नीति चल रही थी उस वक्त हमको किस के साथ होना चाहिए था । हमको अमरीका के साथ होना चाहिए या रूस के साथ या किस के साथ ।

मैं समझता हूं कि हमारी विदेशी नीति इस लिहाज से सफल हुई है कि आज उसका यह नतीजा निकल रहा है कि अमरीका और दूसरे मुल्क हमें कहते हैं कि हम आप को मदद करने के लिए हर लिहाज से तैयार हैं, और रूस जो है वह कुछ शरमिन्दा सा है, उसने कहा है कि एक तरफ मेरा भाई है और एक तरफ मेरा दोस्त है। लेकिन उसको पता होना चाहिए कि जिस भाई को मुल्कगीरी की हविस है उससे उसको ज्यादा खतरा हो सकता है न कि दोस्त से, क्योंकि भाई हिस्सा बंटाता है जब कि दोस्त हिस्सा नहीं बंटाता। और जब भाई उससे हिस्सा मांगेगा तो उसको वह कातिल नजर आएगा, भाई नहीं रहेगा। ऐसी बातें रोजाना होती हैं कि भाई भाई में दुश्मनी हो जाती है और वह बहुत तेज होती है। दोस्त हिस्सा नहीं बंटाता, उसकी बात में तो प्यार होता है और दूसरी चीजें होतीं हैं। हमको चीन पर विश्वास करने का तजरबा है। रूस भी तजरबा कर ले। कल क्या होगा मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं ज्योतिषी नहीं हूं। जो ज्योतिषी हैं वे कह सकते हैं, लेकिन मेरा कुछ अन्दाजा है।

जब चाऊ एन लाई यहां आए उस वक्त मैं स्वीडन में एक कानफ्रेंस में था। वहां पर जो चीनी डेलीगेट थे वे हम से इस तरह से मिलते थे कि जैसे उनको बड़ी खुशी हो कि आज चाऊ एन लाई हिन्दुस्तान में प्राइम मिनिस्टर से एक अच्छे मकसद के लिए मिल रहे हैं, पंचशील के लिए मिल रहे हैं। उस वक्त कोई क्या अन्दाजा लगा सकता था कि चीनी हमारे ऊपर हमला भी करेंगे ? मुझे इस सिलसिले में गुरु गोविन्द सिंह जी का एक वचन याद आता है :

हमु मर्द वायद शवद सुखनवर ।
न शिक्में दिगर दर दहाने दिगर ।।

यानी सखुनवर वह है कि जो उसकी जबान पर हो वही उसके दिल में हो। इसमें अगर हम फेल हुए हैं तो हमारा इतना ही कुसूर है जितना किसी का अपने दोस्त से धोखा खा जाने पर कुसूर होता है। और उतना तो हम मानते हैं। लेकिन हमारी सारी नीति गलत थी और जो सब कुछ हमने अब तक किया वह गलत था, ऐसा कहने में हमें संकोच करना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस वक्त तो एक ही बात हमारे सामने है .....

श्री रामेश्वरानन्द : अच्छाई क्या थी वह कहिए।

श्री गु० सिं० मुसाफिर : अगर हम स्वामी जी की नीति पर चलते तो आज शायद काश्मीर भी हमारे हाथ में न होता क्योंकि वह तो सारा सिलसिला ही ऐसा था।

अब मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस वक्त हर एक पार्टी को इस चीज को नेशनल काज़ समझना चाहिए और इसका इस्तेमाल पार्टी परपजेज के लिए नहीं करना चाहिए।

लड़ाई में हमको जोश भी होता है और होना भी चाहिए। उसके लिए बहुत तदबीरें भी बतायी जाती हैं लेकिन लड़ाई के लिए सबसे जरूरी चीज आपस की एकता है।

अगर किश्ती हो तूफां में तो काम आती हैं तदबीरें,
मगर किश्ती में तूफां हो तो मिट जाती हैं तकदीरे ।।

अगर हमारे अन्दर यकजहती नहीं रहेगी तो हमारी तदबीरें कामयाब नहीं हो सकतीं। तो जैसा मैंने कहा, हमारा जितना कुसूर था उसको प्राइम मिनिस्टर ने बड़े स्पष्ट अलफाज में माना है। लेकिन अगर हम बार बार उसका जिक्र यहां पार्लियामेंट हाउस में करेंगे तो उसका कोई अच्छा नतीजा होने वाला नहीं है।

[श्री गु० सि० मुसाफिर]

एक ही बात पर मैं जोर देना चाहता हूं। एक तरह से इस वक्त चीन ने हमारे देश के अन्दर एक पत्थर फेंका है यह देखने के लिये कि क्या मुल्क हमले के मुकाबले में तैयार हो सकता है या नहीं यानी दूसरे मानों में इनके अन्दर अहलियत और गैरत है या वह खत्म हो चुकी है।

जिन लोगों ने हमारी अहिंसा की पालिसी की निन्दा की है उन्हें यह पता होना चाहिए कि आजादी के बाद जब हमने अपने देश की बागडोर सम्भाली तो ये सारी चीजें उसके साथ बदलीं हैं। आज काश्मीर का हमारे हाथ में होना इस बात का सबूत है। उस वक्त राष्ट्रपिता जिन्दा थे। तो हमारे सामने सारी बातें हैं कि हमारी पालिसी का रुख क्या रहा है। यह सही है कि हमारी उस पालिसी की वजह से हमें शुरु में कुछ सैटबैक हुए। इसको हमें मानना चाहिये। लेकिन जहां तक कुर्बानी देने की बात है उसका जजबा हमारे सिपाहियों में और हमारे लोगों में मौजूद है। इसका हमारे लोगों ने सबूत दिया है और हमारे जवानों ने अच्छी तरह सबूत दिया है और आगे भी देंगे। जो पत्थर इस वक्त चीन ने हमारे देश के अन्दर फेंका है उसको हमें महसूस करना चाहिये। इस सिलसिले में मुझे मुगल तारीख का एक वाक्या याद आता है। गुलाम कादिर रुहेले ने मुगल बादशाह पर हमला किया, बहुत कुछ बदसलूकी की और आरजी तौर पर तख्त पर कब्जा हो जाने के बाद उसके दिल में ख्याल आया कि देखा जाए कि आज तैमूरी खानदान में कोई गैरत बाकी है कि नहीं। अगर इनमें गैरत है तो ये फिर जिन्दा हो सकते हैं। इस वाकये की अहमियत को डाक्टर इकबाल ने एक नज्म में लिखा है। गुलाम कादिर ने इस के बाद तैमूरी खानदान की औरतों से कहा कि मेरे सामने नाचो। वे बेचारी मजबूर होकर उसके सामने नाचने लगीं। तो उस वक्त गुलाम कादिर ने अपनी तलवार को जो उसके गले में थी थोड़ी देर के लिये नीचे रख दिया और लम्बा पड़ गया जिससे ऐसा महसूस हो कि वह अपनी तलवार से बेखबर है और उसको उसका कुछ पता नहीं है दो। चार मिनट के बाद गुलाम कादिर उठा और उसने तैमूरी खानदान की उन औरतों को सम्बोधन किया, उन औरतों को जो परदानशीन थीं और कोई जिनका मुंह नहीं देख सकता था, लेकिन जो एक डाकू के सामने नाचने के लिये मजबूर हुई थीं। तो डा० इकबाल ने उस रुहेले के मुंह से यह कहलवाया है :

फिर उठा और तैमूरी हरम से यों लगा कहने
शिकायत चाहिए तुम को न कुछ अपने मुकद्दर से,
मेरा मसनद पै सो जाना बनावट थी तकल्लुफ था
कि गफलत दूर है शाने एफ आइने लश्कर से।
मेरा मकसद था इससे कि कोई तैमूर की बेटी
मुझे गाफिल समझ कर मार डाले मेरे खंजर से
मगर यह राज आखिर खुल गया सारे जमाने पर
कि गैरत नाम है जिस का गई तैमूर के घर से।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

गैरतमन्दी का इम्तिहान एक डाकू ने लिया। जब वह डाकू उस वक्त के बादशाह को मगलूब करके उसके तख्त पर काबिज हो गया तो उसके दिल में यह ख्याल आया कि मैं देखूं कि तैमूरी खानदान में कोई गैरत और अहमियत बाकी है या नहीं। मैं तो समझता हूं कि आज और कुछ बात नहीं है खाली हमारी गैरत का इम्तिहान है और हमारी अहमियत का इम्तिहान है। इस इम्तिहान में अगर हम फेल होते हैं किसी तरह कमजोर साबित होते हैं तो इसमें एक पार्टी, या दूसरी पार्टी की बदनामी की बात नहीं है बल्कि हमारा देश का देश बैठ जाता है। इसलिये यह एक ऐसा मसला है जिसमें मेरा खयाल ह कि हर एक पार्लियामेंट के मेम्बर को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और सोचना चाहिए।

यह ठीक है कि कई बातों पर ऐतराज हैं । मैं समझता हूं कि यह बातें किसी हद तक ठीक भी होंगी मगर लोगों के अन्दर एक बड़ा भारी जज्बा है और एक एक बात से उस जज्बे का इजहार होता है ।

अभी परसों या चौथ की बात है कि यहां दिल्ली की सिक्ख यंगमैन सिक्ख असोसियेशन के कुछ दोस्त मेरे पा आये और कहने लगे कि हमें गुरु नानक का जन्म दिन मनाना है और उस मौके पर पार्टी करनी है उसमें आप हमेशा की तरह शामिल हों और हमारी मदद करें । मैंने उनसे कहा कि क्या यह मुमकिन नहीं हो सकता कि आप पार्टी पर जो कुछ खर्च करने जा रहे हैं वह आप मुल्क के बचाव फण्ड में दे दें । उनको इसके बारे में फैसला लेते एक मिनट भी नहीं लगा और वह फौरन उसके लिये तैयार हो गये । यह जज्बा उनके अन्दर पहसू ही मौजूद था और वह उसी वक्त इसके लिये तैयार हो गये । जहां उन्होंने पार्टी पर ६००० रुपया खर्च करना था वहां उन्होंने मुझे शाम को इत्तिला दी कि हमने ११००० रुपया जमा कर लिया है । हम लोगों को मिठाई वगैरह गहीं खिलायगे बल्कि यह तमाम रुपया हम कल राष्ट्रपति जी को भेंट कर देंगे ।

इसी तरह की एक मिसाल में अपनी कांस्टीट्यूएंसी की देना चाहता हूं कि जबसे मुल्क के सामहैं यह संकट आया है, हालांकि हमारा बोर्डर का इलाका है तो भी अमृतसर वालों ने कुछ ही दिन की कोशिश में १८ लाख रुपया पब्लिक से जमा कर के चीफ मिनिस्टर के हवाले कर दिया है । उन्होंने यह भी इरादा किया है कि १४ नवम्बर को यहां दिल्ली में पहुंच कर वे अपने महबूब प्राइम मिनिस्टर के वजन के बाबर सोना उनको भेंट करेंगे यानी उनको सोने से तोलेंगे । हमारे सूबे के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि जहां अमृतसर वाले अपनी तरफ से प्रधान मन्त्री को तो लेंगे वहां दूसरी दफा पंजाब वाले सारे मिल कर फिर प्रधान मन्त्री जी को सोने से तोलेंगे और दूसरी दफा फिर उनके वजन जितना सोना उनको भेंट करेंगे । यह सब बातें मैंने आपको इसलिये बतलाईं कि जिससे साफ जाहिर हो जाय कि हमारे देशवासियों के अन्दर एक जज्बा मौजूद है । हमारे देश के जवानों के अन्दर जज्बा मौजूद है और उसके रहते कोई वजह नहीं है कि इसमें हम सफल न हों । मगर हम में से जो हमारे समझदार भाई हैं उनको जरा इस चीज को आर्गेनाइज कर लेना चाहिये ताकि जनता में जो एक जोश है वह बरकरार रह सके और उसका ठीक ढंग से इस्तैमाल हो सके । हमारे फौजी जवान जो इस वक्त वहां मोर्चों पर लड़ रहे हैं वह हालांकि बहुत ही मुश्किल हालात में लड़ रहे हैं तो भी उनकी दिलेरी और बहादुरी काबिले तारीफ है । वह तो शूरमा लोग हैं और हर हालत में लड़ेंगे, हथियार से लड़ेंगे और बगैर हथियार भी वह लड़ेंगे । यह बात जरूर है कि अगर उनको सही हथियार जरूरत के मुताबिक मिलेंगे तो वे ज्यादा कामयाबी से लड़ेंगे । अपने फौजी जवानों को मुनासिब और बेहतर किस्म के हथियार मुहय्या करने की तजवीजें हो ही रही हैं और इस तरफ ख्याल किया जा रहा है और जरूरी कदम उठा भी लिये गये हैं । बेहतर हथियारों और दूसरे जरूरी मिलेटरी इक्विपमेंट को जहां से भी हो सके हासिल करने की जरूरत महसूसस की गई है और वह आन भी लगे हैं । अब इस चीज के बारे में ताने से कहना मेरे ख्याल में ज्यादा मुफीद नहीं होगा ।

यह तो मैंने सिर्फ पंजाब की बात बताई लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं कि इस अहम मौके पर हर एक स्टेट ने रिसपा किया है और साथ ही चीन की इस बेजा और वह शियाना हरकत पर अपने गुस्से का इज़हार किया है । जहां तक बाहरी हमलों का ताल्लुक है बाहरी हमले तो हिन्दुस्तान पर पहले भी होते रहे हैं । यहां हमलावर बाहर से आते रहे हैं । जो कुछ उनसे हो सका वह करते रहे हैं । यहां काबिज भी रहे । सब कुछ होता रहा है । मगर यह जो चीन का हमला है यह अपनी किस्म का पहला हमला है । वह तो एक दुश्मन की शक्ल में आते थे और एक खूखवार दुश्मन की शक्ल में जो कोई उनके सामने आता था उसको रौंदते चले जाते थे। मगर चीन ने जो हमारे साथ दुश्मनी की है वह दोस्ती के पर्दे में की है । अब दोस्त से तो इंसान धोखा खा सकता है वैसे यह बात सही है कि धोखा

[श्री गु०सि मुसाफिर]

खाना एक बुरी बात है । इसको कई दफे कमजोरी भी कहा जाता है । मगर ऐसा होता है कि दोस्त से आदमी धोखा खा जाता है । वाकया यह है कि चीन ने दोस्ती के पर्दे में हमारे साथ धोखा किया है । उसके क्या क्या प्लांस हैं और उसके दिल में क्या क्या बातें हैं इनमें न पड़ कर और जो पीछे हो गया सो हो गया ऐसा मान कर आगे के लिये हमें पूरी तरह सावधान हो जाना चाहिये । इस नाजुक मौके पर हमें देश को एक कर के चलाना होगा और उसके लिये यह जरूरी है कि हम देश में ऐसी फिजा पैदा करें ताकि लोगों के दिलों में अपने फौजी जवानों के लिये प्यार, और हमदर्दी का जज्बा पैदा हो । ऐसा होने से हमारे लड़ने वाले जवानों के मन में भी तसल्ली होगी कि हम जिनके लिये लड़ रहे हैं, जिस देश के लिये हम अपनी जानें दे रहे हैं वह देश हमारे लिये कुछ कर रहा है । हमारा फर्ज हो जाता है कि हम उन जवानों के बच्चों की हिफ़ाज़त, उनकी तालीम का इन्तजाम और उनकी अगर कुछ जमीनें हैं तो उन जमीनों का इन्ताजाम करने की तरफ ध्यान दें । हमें यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए :——

"कोमां मरदियां नईं, जो मरदियां हन, ओई मरदियां जो मरनो डरदियां हन"

इसलिये यह यकीनी है कि चूंकि हम हक पर हैं इसलिये आखिरी फतह हमारी ही होगी । जिस तरह कई मेम्बरान ने अपने जजबात का इज़हार किया है कि हम अपनी एक एक इंच जमीन जिस पर कि चीनी लोगों ने कब्जा कर लिया है उसको उनके पंजों से जरूर आजाद करेंगे । हम अपनी चप्पा चप्पा जमीन वापिस लेंगे ।

आज जरूरत इस बात की है कि हम छोटी छोटी बातों को लेकर बेकार में आपस में न उलझें । छोटी छोटी चीजों को लेकर आपस में झगड़ा करने का आज वक्त नहीं है । अभी यहीं हाउस में ही एक चीज को लेकर कहा सुनी हो गई । एक हमारे माननीय सदस्य ने कह दिया कि पहले जमाने में कुछ कौमें थीं जिनको कि फौज के लिये इस्तेमाल किया जाता था । शायद उनके कहने में कुछ फर्क हो मगर यहां जो उसको लेकर एक सीन नजर आया मैं समझता हूं कि वह मेम्बर्ज पार्लियामेंट के शान के शायां नहीं हैं । साथ ही में उन माननीय सदस्य से भी कहना चाहूंगा कि यह ठीक है कि एक वक्त ऐसा था कि जब कुछ खास कौमें ही वारियर्स गिनी जाती थीं और उनको ही फौज में लड़ाई के लिये भरती किया जाता था । लेकिन अब तो लड़ाई का ढंग ही बदल गया है और उसके साथ ही उनकी वह बात भी चेंज होनी चाहिये । लेकिन उसको भी कायम रखा जाय ताकि अगर कभी उसकी जरूरत पड़ जाय तो वह भी कामयाबी के साथ की जा सके । अब आज तलवार और तीर कमान की लड़ाई तो रही नहीं है । अब तो लड़ाई का तरीका ही बदल गया है लेकिन अगर वक्त पड़ जाये तो तलवार का जौहर दिखाने वाले भी हमारे बीच में होने चाहियें । गुरू-गोविन्द सिंह ने ठीक ही कहा था :——

"चूं कार अज़ हमहै हीलते दरगुज़श्त, हलाल अस्त बुरदन व शमशीरदस्त ।"

उन्होंने कहा था कि जब सब रास्ते खत्म हो जायं और कोई भी दूसरा तरीका कामयाब न हो तो फिर तलवार पर हाथ ले जाना जायज है । उस वक्त तलवार ही सबसे बड़ा हथियार था । अब तो यहा तलवार वगैरह की बातें जरा पीछे पड़ गयी हैं । मगर फिर भी मैं समझता हूं कि दूसरे मेम्बर साहबान को समझना चाहिए कि उन मैं ननीय सदस्य का वह बात कहने का मक़सद क्या था । उनका कहन क्या था । उनका कहना ही था जैसा कि स्वामी जी ने भी कह दिया कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठींगा बाजै । इसमें कोई शक नहीं है कि जिसका काम है वह उसे ज्यादा एफैक्टिव तरीके से कर सकता है । हमें इसे मानने से कोई इंकार नहीं होना चाहिये कि जिसका यह काम न हो वह उसे एफैक्टिव तरीके से नहीं कर सकेगा । अब इसमें झगड़े की क्या बात है ? इसमें किसी की बाम-

जोरी की बात नहीं है न ही किसी की कोई मज़म्मत करने की बात है। इसलिये मैं इस मौक़े पर हाउस के माननीय सदस्यों से दरख्वास्त करूंगा कि तजवीजों के बजाय जो हमारा इरादा है उसको हमें मजबूत करना चाहिए।

"इरादों से जो टकराये उसे तूफान कहते हैं,
तूफानों पर जो छा जाये उसे इंसान कहते हैं।"

†**श्री स्वैज** (आसाम स्वायतशासी जिले) : वाद विवाद में जो कभी कभी एक दूसरे दल पर और व्यक्तियों पर आरोप लगाये गये ह उससे मुझे बहुत दुख हुआ। इतिहास के इस गंभीर अवसर पर तो राष्ट्र को अनुशासन और संयत क्रोध के साथ स्थिति पर विचार करना चाहिये।

मैं सीमा प्रांत का निवासी हूं जो सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य से इसका निर्णय भविष्य करेगा राष्ट्र की प्रथम प्रतिरक्षा पंक्ति में आया है। मैं ने वहा की युद्ध चेतना को अपनी आंखों से देखा है। अतः मुझे आशा थी कि यह वादविवाद और चर्चा केवल इस प्रयोजन से की जायेगी कि यह पता लगाया जाये कि युद्ध को कैसे जीता जा सकता है।

मैं प्रारम्भ में ही प्रधान मंत्री के दोनों संकल्पों का समर्थन करता हूं। यहां जो संशोधन प्रस्तुत किय गये हैं वे केवल संकल्पों में निहित कुछ बातों का स्पष्टीकरण करने के लिये हैं। अतः मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे अपने संशोधन वापस ले लें।

प्राचीन काल में आक्रांता आये और उन्होंने देश के किसी एक भाग पर कब्जा कर लिया। आज से पूर्व कभी भी देश इतना संगठित नहीं रहा जितना आज है।

मैं अनुभव करता हूं कि देश के भविष्य का निर्णय हमारे हाथ में है। यह हमारे जीवन का संघर्ष है। यह संघर्ष लोकतन्त्रात्मक पद्धति और तानाशाही पद्धति के बीच है। लोकतन्त्रात्मक राज्य के रूप में भारत की सफलता को साम्यवादी चीन सहन नहीं कर सका, इसीलिये उन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया है।

हमने बहुत गम्भीर गलतियां की हैं जिनके कारण हमें हार का मुंह देखना पड़ा है। यदि प्रधान मंत्री उन गलतियों का स्पष्टीकरण देने की बजाय यह स्वीकार करते कि ऐसी गलतियां हुई हैं तो वे अधिक सफलता पूर्वक हमारे हृदय जीत लेते।

इस समय किसी व्यक्ति पर आरोप लगाना उचित नहीं। हम किसी के बारे में निर्णय नहीं दे सकते। भावी संताने ही हम सब के बारे में निर्णय दे सकेंगी।

मैं असम की आदिम जातियों का प्रतिनिधि हूं। कई वर्षों से आदिम जातियां कुछ मांगों के लिये संघर्षशील है और उन्होंने निर्णय किया था कि वे असम सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह आंदलन करेंगे किन्तु २४ अक्तूबर को ६०,००० लोगों की सभा में आंदोलन को त्याग कर संगथित रूप में सरकार की सहायता करने का संकल्प पास किया गया है।

हम में से हर एक को अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में जा कर लोगों को संगठित करना चाहिये और युद्ध के लिये धन एकत्र करना चाहिये। अतः सभा का कार्य बन्द कर देना चाहिये।

मैं दो बातों की ओर विशेष रूप से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक तो यह कि असम के लोगों में उत्साह स्थापित करना चाहिये और उस प्रयोजन के लिये सारे देश के लोगों में उत्साह पैदा करना चाहिये। असम और भारत के अन्य भागों के बीच यातायात की

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स्त्रैल]

व्यवस्था सदा खराब रही है। अत: वहां के लोगों के उत्साहवर्धन के लिये भोजन सामग्री के संभरण का बहुत महत्व है। भूखी सेना और भूखे लोग नहीं लड़ सकते। इसलिये इस व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

दूसरे मैं इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि असम की राजधानी से पाकिस्तान की सीमा बहुत निकट है और सरकार को पाकिस्तान पर दृष्टि रखनी चाहिये तथा सीमा प्रतिरक्षा को सुदृढ़ बनाना चाहिय।

कहा जाता है लोकतन्त्रात्मक राज्य लड़ाइयां भले ही हार जाये किन्तु युद्ध में विजय उसी की होती है। अत: मुझ विश्वास है कि हम जीतेंगे। हम लोकतन्त्र के लिये विश्व भर का युद्ध लड़ रहे हैं। अत: सभी लोकतन्त्रात्मक राज्यों को हमारी सहायता करनी चाहिये और वे कर भी रहे हैं। मैं श्री हनुमंतैया के मत से सहमत नहीं हूं कि हमें संयुक्त राष्ट्र संघ के पास अपना मसला ले जाना चाहिये। हमें युद्ध के लिये अपने ऊपर भरोसा करना चाहिये। हम आखिर विजेता होंगे क्योंकि लोकतन्त्र में प्रत्येक स्त्री पुरुश स्वतंत्रता की रक्षा के लिये सन्नद्ध है।

इस आपतकाल में विभिन्न विवादों में फंसा हुआ यह राष्ट्र संगठित हो रहा है। संभवत: हमें इस विपत्ति की आवश्यकता ही थी। युद्ध में केवल भ्रातृभाव निस्वार्थता और देशभक्ति की चेतना होगी और विजयी होने पर देश में नये राष्ट्र का प्रादुर्भाव होगा।

डा० बा० दा० सिंह (हजारीबाग) : संसद की यह सभा ऐसी संकटपूर्ण वातावरण में हो रही है जो साम्यवादी चीन के आक्रमण के कारण आक्रांत है। हमें इस आपात काल में अपने झगड़ों और भेदभावों को भूल जाना चाहिये। और तो और साम्यवादी दल ने भी कम से कम कागजी तौर पर कांग्रेस सरकार को समर्थन दे दिया है।

हमारे बहादु जवान अत्यन्त कठिन परिस्थितियों में युद्ध लड़ रहे हैं और हर भारतीय उनकी वीरता की सराहना करता है। किन्तु चित्र का अंधकारपूर्ण पक्ष भी है। सरकार की अवास्तविक और अव्यवहारिक नीति के कारण हमें आज हार का मुंह देखना पड़ रहा है। कांग्रेस सरकार सदा मित्रों और शत्रुओं को पहचानने में गल्ती करती रही है। आज की स्थिति में हमें ईगलेंड अमरीका और कनाडा की सहायता के लिये उनका आभारी होना चाहिये। इतिहास इस बात को नहीं भूल सकता कि कृष्ण मेनन ने कितनी भारी गलती की और प्रधान मंत्री ने उ की सहायता की। उनकी गलती के कारण हमारे जवान आधुनिक शस्त्रास्त्र से लैस चीनियों द्वारा मारे गये। तो भी हमारे जवानों की वीरता इतिहास में आदर्श रहेगी जिन्होंने खुखरियों से लड़ कर भी अपने से तीन चार गुना अधिक चीनियों को मार गिराया है।

प्रधान मंत्री ने जो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा परिषद बनाई है वह वास्तव में कांग्रेस प्रतिरक्षा परिषद है। मेरी समझ में नहीं आता कि डा० राजेन्द्र प्रसाद जय प्रकाश नारायण, राजा जी, श्री करियाप्पा आदि राष्ट्रजनों को इस परिषद में क्यों नहीं लिया गया।

हमारी विदेश नीति बिल्कुल असफल रही है। कांग्रेस सरकार की तटस्थता की नीति जो आज के युग में सफल नहीं हो सकती सर्वथा भूल है।

दुर्भाग्य की बात है कि हमारे प्रधान मंत्री का ध्यान योजनाओं को कार्यान्वित करने की ओर लगा रहा किन्तु उन्होंने देश की रक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया।

यह समय आरोप लगाने और आलोचना करने का नहीं है बल्कि हमारे सामने दो ही मार्ग हैं, करना या मरना। मुझे प्रसन्नता है कि भारत ने चीनियों को देश से बाहर धकेल देने का निश्चय किया है।

मेरा सुझाव है कि हमें गाजा, कांगो और अन्य जगहों से अपनी सेना को बुला लेना चाहिये। अपने पुराने जेनरलों के अनुभव से काम लेना चाहिये। गोरखों को जो वीरता की दृष्टि से अद्वितीय हैं सेना में लेना चाहिये।

आज देश में डाक्टरों और नर्सों की बहुत कमी है। प्रधान मंत्री को अपील करनी चाहिये कि विदेश में काम करने वाले सभी भारतीय डाक्टर और नर्सें देश में सेवा के लिये लौट आयें। इसी प्रकार की अपील इंजीनियरों और प्रविधिज्ञों को करनी चाहिये।

योजना आयोग में आमूल परिवर्तन करना चाहिये। इस समय राष्ट्रीयकरण की नीति को भूल कर गैरसरकारी उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिये।

मेरा अन्तिम सुझाव यह है कि आज से सभी सदस्य और मंत्री खाकी धारण किया करें। हम में जो स्वस्थ और सशक्त हों उन्हें युद्ध में लड़ने के लिये अपने आप को पेश करना चाहिये। जो युद्ध में नहीं जा सकते उन्हें औरों को सेना में भर्ती करने का काम करना चाहिये।

श्री द्वा० ना० तिवारी (गोपालगंज) : अध्यक्ष महोदय, इस के पहले कि मैं इस विषय पर चर्चा करूं, मैं प्राइम मिनिस्टर के रेजोल्यूशन के उस भाग को फिर दोहराना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने जवानों को श्रधांजलि अर्पित की है, जिन्होंने देश की रक्षा के लिये अपने जीवन दिये हैं। इस के साथ ही मैं हिन्दुस्तान की जनता को भी बधाई देना चाहता हूं जिसने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये अपना सर्वस्व त्याग करने का संकल्प किया है।

आज हम लोग बड़ी गम्भीर परिस्थिति में मिल रहे हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि इस परिस्थिति में गम्भीर बातें होगीं, लेकिन, हमारे कुछ दोस्तों ने, खासकर सोशलिस्ट पार्टी के नेता ने — मैं समझता हूं कि उस पार्टी के शायद एक दो ही सदस्य इस सदन में होंगे — ऐसी बातें कही हैं, जिन से मालूम होता है कि देश में विभिन्नता है, विभिन्न मत हैं और गवर्नमेंट की एफर्ट्स के साथ सब लोग नहीं हैं। मुझे नहीं मालूम कि वह इस रेजोल्यूशन में क्या चाहते थे। उन्होंने कहा कि इस रेजोल्यूशन में इतनी अरजेंसी नहीं है कोई साफ बात नहीं है कि मुझे क्या करना है। मुझे नहीं मालूम कि वह इस रेजोल्यूशन को समझते भी हैं या नहीं, इस के अर्थ को भी समझते हैं या नहीं। प्रस्ताव में साफ कहा गया है कि हम लोग तब तक चैन नहीं लेंगे, जब तक कि हिन्दुस्तान की एक एक इंच जमीन चीनियों से खाली नहीं हो जाती है। मैं नहीं ज़ानता कि वह और क्या चाहते हैं?

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोई वार्ता नहीं होनी चाहिये जब तक कि हमारी सारी जमीन खाली न हो जाये। मैं कहना चाहता हूं कि सुलह की एक फिजा होती है। सुलह करने के समय कुछ ऐसी बातों का कहना जरूरी होता है, जिन से विपक्षी दल भी उस ओर प्ररित हो। ८ सितम्बर से पहले जो हमारी स्थिति थी, वहां तक यदि हम आ जायें, तो वार्ता करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिये। हां, उस से पहले कोई वार्ता नहीं करनी चाहिये। यह बात भी ठीक है कि यदि हम पर्याप्त ताकत और शक्ति रखते हैं, तो जल्द से जल्द हम चीनियों को अपनी भूमि से भगा सकते हैं।

[श्री द्वा० ना० तिवारी]

उन्होंने यह भी जिक्र किया कि हम कुछ जगहों पर हारे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि शुरू शुरू में एग्रेसर को कुछ एडवान्टेज हासिल होता है। पिछली लड़ाई में जब जापान शामिल हुआ, तो उसने अमरीका और इंगलड की माइट को चैलेंज करके कुछ इनिशल विक्टरीज़ हासिल कीं। उस ने बर्मा ले लिया, अंडमान और निकोबार पर कब्जा कर लिया और पर्ल हार्बर पर भी अधिकार कर लिया। लेकिन इस का कर्थ यह नहीं हुआ कि वह जीत गया। अन्त में क्या हो गया। जापान को भागते भागते अपने देश में भी गुलामी करनी पड़ी। जो लोग इनिशल रिवर्सिज को बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं, शायद वे लड़ाई की बातों को नहीं जानते हैं।

हमारी कांग्रेस पार्टी के कुछ मेम्बर भी इतने घबराये हुए हैं कि मालूम नहीं कि वे क्या समझते हैं। हमारे आगे बैठने वाले माननीय सदस्य, श्री हनुमन्तेया, ने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि नान–एलाइनमेंट की पालिसी को छोड़ देना चाहिये और अमरीका से मदद लेनी चाहिये। मैं नहीं जानता कि उन्होंने नान-एलाइनमेंट का क्या मतलब समझा है। क्या प्राइम मिनिस्टर ने संसार के सारे देशों को यह नहीं लिखा है कि हम आप की मदद और सहानुभुति चाहते हैं? नान-एलाइनमेंट रहते हुए भी उन्होंने संसार के सब देशों से मदद मांगी है। संसार के जो देश डेमाक्रेसी की रक्षा करना चाहते हैं और हमारे मित्र हैं, उन्होंने हम को मदद देने की प्रतिज्ञा और आश्वासन भी दिया है। इसलिए हम नहीं समझते कि श्री हनुमन्तैया क्या चाहते हैं।

वह चाहते हैं कि इस मामले को य० एन० ओ० में ले जाया जाये; क्यों? हम पर एग्रेशन हुआ है उस देश की ओर से, जोकि यू० एन० ओ० का मेम्बर नहीं है। तब यू० एन० ओ० उसका क्या करेगा? मैं नहीं समझता कि भाषण देते वक्त या बहस में लोग ऐसी बातें क्यों कह देते हैं, जिन के कोई मानीं या मतलब नहीं होते। हमारे दोस्त इस समय सदन में नहीं हैं, वर्ना मैं उनसे पूछता कि उन्होंने नान-एलाइनमेंट का मतलब क्या समझा है?

वह प्राइम मिनिस्टर को सलाह देते हैं कि हमको अमरीका के यहां जाना चाहिये और सहायता मांगनी चाहिये। प्राइम मिनिस्टर ने अमरीका और संसार के दूसरे देशों से अपील की है। क्या माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि हम घुटने टेक कर या हाथ जोड़ कर सहायता मांगें या वह किन्हीं स्ट्रिंग्ज़ के साथ मदद लेने के लिये कहते हैं?

इन बातों को सुन कर यह मालूम होता है कि हमारे कुछ सदस्य घबरारे हूए हैं और वे समझते नहीं हैं कि हम में कितनी शक्ति है, हमारी जनता जाग चुकी है दूसरे किसी भी समय आजकल की फिजा नहीं देखी गई थी। इसलिए हम को अपनी अल्टीमेट विक्टरी पर विश्वास होना चाहिये।

कम्यूनिस्ट पार्टी के लीडर ने अपनी स्पीच में पूछा था कि क्यों हमारे साथी पकड़े जाते हैं, क्यों हम पर अविश्वास किया जाता है। इस समय उनके दल के कोई सदस्य यहां पर नहीं हैं। मैं उन से पूछना चाहता हूं कि क्या कम्यूनिस्ट पार्टी के सारे सदस्य एक दिमाग़ के हैं, या क्या उन में विभिन्नता नहीं है, क्या उन में ऐसे लोग नहीं हैं, जो इस लड़ाई को अपनी लड़ाई नहीं समझते हैं, क्या उन में ऐसे लोग नहीं हैं, जो चाइना का साथ देना चाहते हैं। अगर ऐसे लोगों को पकड़ कर जेल में भेज दिया जाये, तो क्या हानि है? मैं समझता हूं कि ऐसा

अवश्य करना चाहिये, क्योंकि ऐसा न करने से देश की हानि होगी और लड़ाई की एफर्टस में गड़बड़ी होगी।

श्री प० ला० बारूपाल (गंगानगर) : चीन से पहले उन से निबट लिया जाये।

श्री द्वा० ना० तिवारी : उन की इतनी शक्ति नहीं है, इस लिये उन से निबटने का कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन यह आवश्यक है कि जो लोग गड़बड़ी करते हैं, उनको जेल में बन्द कर दिया जाये, ताकि वे जनता में बुद्धिभेद न पैदा कर सकें। मैं मानता हूं कि कुछ कम्यनिस्ट चाहते हैं कि देश की मदद करें। उन के साथ हमें सहयोग करना है और करना चाहिये, लेकिन जो जरा भी गड़बड़ करना चाहते हैं, उन्हें अन्दर ही रखना चाहिये, बाहर नहीं आने देना चाहिये, क्योंकि यह इमर्जेंसी का समय है, देश में इमर्जेन्सी आर्डिनेंस जारी किया गया है और हम लड़ाई के जमाने से गुजर रहे हैं।

प्रजा समाजवादी दल के अपने मित्रों से मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने इस सदन में जो स्टैंड लिया है, बाहर भी, पब्लिक मीटिंग्ज में भी, उन को वही स्टैंड लेना चाहिये। मैं ने उनकी मीटिंग्ज को अटेंड किया है। मैं ने उनकी बातें सुनी हैं। मैं ने देखा है कि उन का जैसा भाषण यहां पर हुआ है, वैसा बाहर नहीं होता है। वहां पर सरकार को क्रिटिसाइज़ कर के और गवर्नमेंट की नीतियों की नुक्ता-चीनी कर के ही वे कोई बात कहते हैं। वे दस लाइन लड़ाई में मदद देने के लिये बोलते हैं, तो बीस लाइन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने के लिये बोलते हैं। लोगों में यह बुद्धि भेद फैलाने की जरूरत नहीं है। इस से लड़ाई की एफर्टस में हानि होती है।

जो कांग्रेस के या दूसरे लोग यह समझते हैं कि मेनन साहब हट गए, और यह कोई बहादुरी का काम है, वे गलती पर हैं। मैं यह नहीं समझता कि यह कोई बहादुरी की बात है। अगर चार एफर्ट्स के लिये कोई जवाबदेह है, तो वह गवर्नमेंट और कबिनेट है। कैबिनेट की सब कमेटी पालिसी को ले डाउन करती है और वही उस के लिये जिम्मेदार है। मेनन साहब तो उस को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं मेनन साहब को डिफेंड नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक ही आदमी पर सारा दोष लगा देना उचित नहीं समझता।

श्री बड़े (खारगोने) : तो फिर उनको क्यों निकाला?

श्री द्वा० ना० तिवारी : अच्छे से अच्छे और काबिल आदमी को भी, अगर वह विवाद-स्पद हो जाये, तो लड़ाई के जमाने में हटा देना चाहिये। माननीय सदस्यों को मालूम होना चाहिये कि उन्होंने पहले भी कई बार अपना इस्तीफा भेज दिया था।

एक बात हम लोगों को समझ लेनी चाहिये कि हिन्दुस्तान कभी भी विदेशी आक्रमण से हारा नहीं है। यदि हम तवारीख को देखें, यदि हम इतिहास के पन्ने उलटें, तो मालुम होगा कि हम कभी भी हारे नहीं हैं, लेकिन हम आपस की फूट और पारस्परिक विभेद की वजह से, अपने बीच जयचन्द और मीरजाफर पैदा हो जाने से हारे हैं और इस लिये हम को इस से सबक लेना चाहिये। मैं माननीय सदस्य, श्री यादव, को कहना चाहता हूं कि वह इन बातों को छोड़ दें। यदि लड़ाई जीतनी है, तो एकमत हो कर, ईमानदारी से सरकार की मदद करने के लिये सरकार के साथ चलना चाहिये।

श्री कछवाय : (देवास) : कम्यूनिस्ट जयचन्द हैं या श्री रामसेवक यादव ?

श्री द्वा० ना० तिवारी : इस लड़ाई को चलाने के लिये हम को अपरिमित धन की जरुरत है। मैं देखता हूं कि कांट्रीब्यूशन गरीबों के यहां से बहुत आता है। गरीब लोग अपनीहैसियत से अधिक दे रहे हैं। यह बात यदि मैं उतनी ही खूबी के साथ धनिक-वर्ग में भी देखता तो मुझे खुशी होती। लेकिन वह नहीं हो रहा है। इसलिये मैं सरकार से कहूंगा कि वह कोई ऐसा उपाय करे जिससे कि जिसकी जितनी हैसियत हो उससे वह कम न दे सके। अगर जरुरत पड़े तो कम्पलसरी लैवी भी हो और हर आदमी की इनकम का दस परसेंट या इससे अधिक वार फंड में कांट्री-ब्यूशन के तौर पर लिया जाये। जिस की ज्यादा इनकम हो उससे ज्यादा परसेंटेज लिया जाये और जिस की कम हो उससे कम लिया जाये। हमें खुशी है कि गरीब आदमियों ने काफी धन दिया है। देहातों में दस बीस मीटिंगों में मैं गया हूं और वहां पर देखा है कि जब अपील की गई तो उसी वक्त जिन के पास जो होता है, समूचा न्यौछावर कर देते हैं। वहां पर एक मीटिंग में पांच सौ या हजार लोग ही आते हैं जब कभी हम जैसे लोग मीटिंग करते हैं और पांच सौ या हजार रुपया वसूल हो जाता है। तैयारी से वैं नहीं आते हैं लेकिन जिन के पास जितना होता है दे देते हैं। जो धनिक वर्ग है वह भी अगर वैसा ही करता तो फिजा दूसरी होती और उन को देख कर जो दूसरे लोग हैं वे और भी अधिक उत्साह के साथ मदद करते।

ढेबर साहब ने एक बात कही जिसकी मैं ताइद करता हूं। हमको वेस्टेज से बजना चाहिये, जितने कम्यूनिटी डिवेलेपमेंट ब्लाक्स हैं उन में सभी में दो दो या तीन तीन जीपें हैं और वहां से कम से कम एक एक जीप तो हटा ही ली जानी चाहिये। इससे हमारे यातायात के साधन बढ़ेंगे और लड़ाई में हमारी मदद होगी। साथ ही सा वेस्टेज तीन हजार के करीब ब्लाक्स हैं और उनमें छः हजार जीपें हैं। इन में से कम से कम तीन हजार तो हमें विदा कर ही लेनी चाहियें।

कुछ माननीय सदस्य : सभी ले ली जानी चाहिये।

श्री द्वा० ना० तिवारी : साथ ही वहां वेस्टेज बहुत होता है। गवर्नमेंट को देखना चाहिये कि कौन सा एसेंशियल एक्सपेंडीचर हैं और कौन सा एक्सपेंडीचर ऐसा है जो एसेंशियल नहीं है। आज हमें उन्हीं कामों को हाथ में लेना चाहिये जो एसंशियल हों, जो देश को मजबूत करने में मदद दे सकते हों, हमारी वार एफर्ट्स में मददगार साबित हो सकते हों और बाकी को हाथ में नहीं लेना चाहिये।

कुछ माननीय सदस्यों ने फाइव यीअर प्लान को क्रिटिसाइज किया है और कहा कि हम लोग आज तक सोये हुए थे। हम सोये हुए नहीं हैं। आज की लड़ाई वह नहीं है कि केवल सेना से ही जीती जाए। आज की लड़ाई में जरुरत इस बात की है कि बेस को मजबूत किया जाए देश की तरक्की की जाए। बेस को मजबूत करके ही देश तरक्की कर सकता है। प्रधान मंत्री जी ने ठीक ही कहा है कि देश उन्नतिशील होगा और समृद्धिशील होगा तो लड़ाई लड़ने में सुविधा होगी। अगर देश गरीब रहेगा तो आक्रमण रुक नहीं सकता है। पेट की ज्वाला गरीब आदमी को आत्म-सम्मान खो कर पराजय स्वीकार करने पर मजबूर कर देती है। जब देश समृद्धिशाली होता है, देश का बेस ठीक रहता है तो वह किसी भी आपत्ति का सामना कर सकता है।

हमारे यहां जब लड़ाई होती है, या कोई विपत्ति आती है तो एंटी-सोशल एलीमेंट्स सिर उठाते हैं। मैं चाहता हूं कि हर लिहाज से इन एंटी-सोशल एलीमेंट्स को दबाने के लिये सरकार को स्ट्रिजेंट मैशर्ज लेने चाहियें अन्यथा देश में अव्यवस्था फैल जायेगी और अन्ततोगत्वा हमारी वार-एफर्टस में कमी आएगी, लोगों में मतभेद होगा, लोगों में बौखलाहट होगी। उस हालत में गवर्नमेंट बदनाम होगी और लड़ाई का काम ठीक नहीं हो सकेगा, खराबी पैदा होगी।।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे चारों ओर के जो पड़ौसी हैं, उससे चाहें हमारे डिफ्रंसिस हों फिर भी कितने अच्छे सम्बन्ध कायम हो सकें, कायम करनेकी हमें कोशिश करनी चाहिये। इस मौके पर कुछ नम्र हो कर भी अगर ऐसा हो सकता हो तो हमें करना चाहिये। यह मैं नहीं कहता हूं कि अपमानजनक शर्तों पर हम उनसे अच्छे संबंध कायम करें लेकिन नम्र बन कर अगर हमारा काम चल जाये तो हमें नम्र बन जाना चाहिये। मैं नहीं मानता हू कि जो हमारे पड़ोसी हैं उनसे हमारी जन्मजात दुश्मनी है। उनसे हमारी सुलह हो सकती है, वे हमारी मदद कर सकते हैं। हमारे जो पड़ौसी हैं, जैसे नेपाल, है, बर्मा है, सीलोन है, पाकिस्तान है, उनके दिल में हम ऐसा विश्वास जमायें कि वे स्वयंमेव हमारी मदद करें।

अन्त में मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं और अपने सभी भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि आज जो भी हम में मतभेद हैं, उनको हम भूल जायें और हम सब मिल कर, एक हो कर दुश्मन का सामना करें।

[इसके पश्चात् लोक-सभा शनिवार १० नवम्बर, १९६२/१९ कार्तिक, १८८४ (शक) को ११ बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई] :

दैनिक संक्षेपिका

शुक्रवार, ९ नवम्बर, १९६२

१८ कार्तिक, १८८४ (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	१०७–३३
तारांकित	
प्रश्न संख्या	
तिम्बत प्रशासन द्वारा तार की दर में वृद्धि	१०८
३६ इडुकी जल विद्युत् परियोजना	१०८–१०
३७ दिल्ली में विद्युत् संकट .	११०–१२
३८ रेलवे फाटकों पर कर्मचारियों की नियुक्ति	११३–१५
३९ दामोदर घाटी निगम	११५–१६
४० अन्तर्राष्ट्रीय चावल आयोग	११६–१८
४१ फरक्का में गंगा बांध	११८–१९
४२ रेलवे दुर्घटना जांच समिति	१२०–२२
४३ खाद्यान्नों के मूल्य	१२२–२६
४४ थेलीडोमाइड वाली औषधियां	१२७–२८
४५ देश में प्लेग का खतरा	१२८–२९
४६ चीनी का मूल्य	१२९–३०
४७ भारत का सर्वोत्तम गांव	१३०–३२
४८ गुलाटी आयोग का प्रतिवेदन	२२२–३३
प्रश्नों के लिखित उत्तर	१३३—
अतारांकित	
प्रश्न संख्या	
४९ अपर सिलेरू परियोजना	१३३–९७
५० हिन्दुस्तान शिपयार्ड	१३३–३४
५१ दिल्ली में बिजली संकट	१३४
५२ पैकेज प्रोग्राम .	१३४–३५
५३ उज्जैन रेलवे स्टेशन पर क्लोरीन सिलन्डर का विस्फोट	१३५
५४ गेहूं के लिये उचित मूल्य वाली दुकानें	१३५–३६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमश :) विषय पृष्ठ

अतारांकित

प्रश्न संख्या

५५	गन्ने के दाम	१३६
५६	मध्य रेलवे के उरई रेलवे स्टेशन पर गार्ड की हत्या	१३७
५७	कौरवा तापीय बिजली घर	१३७–३८
५८	सड़क बोर्ड	१३८
५९	चीनी उद्योग के उपोत्पाद	१३८–३९
६०	देसी औषधियों की केन्द्रीय अनुसन्धान संस्था, जामनगर	१३९
६१	प्रयाग स्टेशन पर भीड़ द्वारा आक्रमण	१३९–४०
६२	लकड़ी के स्लीपरों का पाकिस्तान को बह जाना	१४०
६३	दिल्ली जल सम्भरण	१४०
६४	दामोदर घाटी निगम के मुख्यालय का स्थानान्तरण	१४०–४१
६५	चिपलीमा परियोजना .	१४१
६६	गैर सरकारी विमान कम्पनियां	१४१–४२
६७	राजामुन्दरी में गोदावरी पर रेलवे पुल	१४२
६८	पूर्वी पाकिस्तान द्वारा जहाजों का रोका जाना	१४२
६९	दिल्ली में पानी की कमी .	१४३
७०	अमरीका को चीनी का निर्यात	१४४
७१	उर्वरक का मूल्य	१४४
७२	शाहदरा (दिल्ली) में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना	१४५
७३	नकली दवाइयां	१४५–४६
७४	डुमरांव रेलवे दुर्घटना की जांच	१४६
७५	विश्व स्वास्थ्य संगठन	१४६–४७
७६	विशाखापटनम् पत्तन	१४७
७७	माल डिब्बों का अर्जन	१४७
७८	राष्ट्रीय जल सम्भरण तथा सफाई समिति	१४८
७९	ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी डाक्टर	१४८–४९
८०	अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना	१४९
८१	उपभोक्ता सहकारी समितियां	१४९–५०
८२	राष्ट्रीय चेचक कार्यक्रम .	१५०
८३	दूसरा शिपयार्ड	१५१

	विषय	पृष्ठ
	इनों क लिखित उत्तर (क्रमश :)	
अतारांकित प्रश्न संख्या		
६५	केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रणाधीन अस्पताल . .	१५१–५२
६६	राष्ट्रीय राजपथ . .	१५२
६७	पंजाब में डाक घर	१५२
६८	तीसरी योजना में पंजाब सरकार द्वारा प्रस्तावित ऊपरी निचले पुल .	१५२–५३
६९	पूसा कृषि संस्था	१५३
७०	विदेशी पर्यटक	१५३–५४
७२	दिल्ली में रिंग रेलवे	१५५
७३	श्रीनगर मैं हुई बैठकें	१५५
७४	महाराजगंज बाजार, अगरतला में पुनर्वास विभाग द्वारा बनाई गई इमारत	१५५
७५	बी० एम० अस्पताल तला	१५५–५६
७६	उड़ीसा में स्टेशन	१५६
७७	अण्डे	१५६–५७
७८	त्रिपुरा में मछली पा	१५७
७९	त्रिपुरा में उर्वरकों क। ।।त	१५७–५८
८०	प्राकृतिक इलाज	१५८
८१	खाद्य संसाधन	१५८
८२	पश्चिम बंगाल में उर्वरक	१५९
८३	नवीन उर्वरकों को लोकप्रिय बनाना	१५९–६१
८४	नागपुर के पास सवारी गाड़ी पर हमला	१६१–६२
८५	सहकारी समितियों का विकास	१६२
८६	विशिनजाम में मछली पकड़ने की बन्दरगाह	१६३
८७	सहकारी समितियों सम्बन्धी कार्यकारी दल	४६३
८८	मत्स्यपालन सहकारी समितियों सम्बन्धी कार्यकारो दल	१६४
८९	दुग्धशाला और पाशुपालन सहकारी समितियों सम्बन्धी कार्यकारी दल	१६४–६५
९०	परिवहन सहकारी समितियों सम्बन्धी कार्यकारी दल	१६५
९१	मछलियों का संरक्षण	१६५
९२	फार्मेसी डिग्री कालेज	१६६–६७
९३	सहकारी कृषि संस्थाएं	१६७
९४	मागार्जुन सागर परियोजना	१६७

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित

प्रश्न संख्या

९५ औषधियां . १६७–६८

९६ दिल्ली में सहकारी अस्पताल १६८–६९

९७ दिल्ली में यमुना पर दूसरा पुल १६९

९८ भारत भूटान डाक करार १६९

९९ दिल्ली और मद्रास के बीच रेलवे लाइन को दोहरा बनाना १७०

१०० राष्ट्रीय राजपथ १७०

१०१ कृषि अनुसन्धान केन्द्र १७०–७१

१०२ नारियल का उत्पादन १७१

१०३ फसल की हानि १७१

१०४ बांदा-मानिकपुर लाइन पर दिगवाही स्टेशन को पुनः खोल १७१

१०५ केरेवेल विमान १७२

१०६ राष्ट्रीयकृत सड़क परिवहन सेवा समिति १७२

१०७ शाहदरा (दिल्ली) में दूषित जल का सम्भरण १७२

१०८ डेरी प्रशिक्षण . १७३

१०९ वंशधारा परियोजना १७३–७४

११० दिल्ली में विद्युत् शवदाह यन्त्र १७४

१११ नाहन के बिरोजा और तारपीन कारखाने में अग्निकाण्ड १७४

११२ कुफ्री को शीतकालीन खेलकूद केन्द्र बनाना १७४–७५

११३ इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का गैर-संचालन व्यय १७५

११४ तस्कर व्यापार के सम्बन्ध में पकड़े गये एयर इंडिया मैचारी १७५

११५ चीनी के कारखानों का आधुनिकीकरण १७६

११६ डाक १७६

११७ त्रिपुरा में टीका लगाने वाले १७६

११८ घरचुकती कर १७६–७७

११९ त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों के लिये भूमि १७७

१२० विस्थापित व्यक्तियों के लिये भूमि १७७

१२१ रंगून मद्रास विमान सेवा १७७

१२२ अम्बाला छावनी में ऊपरी पुल का निर्माण १७८

१२३ गोदावरी पर बांध १७८

१२४ मुर्गीपालन विकास खण्ड १७८–७९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१२५	कांकीनारा रेलवे स्टेशन पर डकैती	१७९–८०
१२६	ठंडे माल डिब्बे	१८०
१२७	त्रिपुरा में दम्बूरू परियोजना	१८०
१२८	मद्रास दिल्ली जनता एक्सप्रेस का पटरी पर से उतर जाना	१८१
१२९	चावल लाने ले जाने पर क्षेत्रीय निर्बन्धन	१८१
१३०	सड़क परिवहन के लिये सरकारी समितियां	१८१–८२
१३१	हरिद्वार और देहरादून के बीच मालगाड़ी का पटरी से उतरना	१८२
१३२	मछली उद्योग के लिये पैकेज प्रोग्राम	१८२
१३३	अलीपुर विकास खण्ड	१८२–८३
१३४	दिल्ली में यमुना बांध	१८३
१३५	पोंग बांध	१८३–८४
१३६	दिल्ली में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा औषधालय	१८४
१३७	माल डिब्बों का दिया जाना	१८४–८५
१३८	रामदेवरा रेलवे स्टेशन	१८५
१३९	कोटा रेलवे यार्ड कालोनी में डाकघर	१८५
१४०	बीज का उत्पादन और वितरण	१८५
१४१	दिल्ली-फूलबाग विमान सेवा	१८६
१४२	दामोदर घाटी निगम नौचालन नहर	१८६
१४३	दक्षिण रेलवे में गाड़ी का पटरी पर से उतर जाना	१८६–८७
१४४	पंजाब में खाद्यान्नों का लाया जाना तथा वहां से बाहर भेजा जाना	१८७
१४५	नंगल उपनगर में पीव के पानी का सम्भरण	१८७
१४६	भूतपूर्व सैनिकों की ब्रांच पोस्ट मास्टरों के रूप में नियुक्ति	१८७–८८
१४७	बिना टिकट के यात्रा	१८८
१४८	पुनर्नवा	१८८
१४९	सैलम-विरुदाचलम सेक्शन पर रेल दुर्घटना	१८८–८९
१५०	इन्टीग्रल कोच फैक्टरी	१८९
१५१	जूट उत्पादन	१९०
१५२	टोम्का और जाखापुरा (उड़ीसा) के बीच रेलवे लाइन	१९०
१५३	वन अनुसन्धान संस्था	१९०–९१
१५४	श्रमिकों की सहकारी संस्थाएं	१९१

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमश :)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१५५ क्षय रोग का घरों पर इलाज १९१–९२
१५६ दामोदर घाटी निगम के लिये रेंड़ बांध की बिजली १९२
१५७ पश्चिम बंगाल में पीने के पानी का सम्भरण १९२
१५८ टेलीफोन १९३
१५९ प्रादेशिक चिकित्सा कालेज १९३–९४
१६० गांवों में डाकखाने १९४
१६१ उत्तर रेलवे के कुछ स्टालों पर रेलवे समय सारणी की बिक्री १९५
१६२ राजपथों की सड़कें १९५–९६
१६३ असैनिक उड्डयन प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद १९६
१६४ दिल्ली को पंजाब से बिजली का सम्भरण १९७

मंत्रि-परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव १९८—२००

सर्वश्री राम सेवक यादव और मनी राम बागड़ी ने मन्त्रि-परिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना दी थी। सभा द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गयी।

सभा पटल पर रखे गये पत्र २००—०३

(१) भारतीय तार अधिनियम १८८५ की धारा ७ की उपधारा (५) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :–

(एक) दिनांक १ सितम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्यां एस-ओ० २७०८ में प्रकाशित भारतीय तार (नवां संशोधन) नियम, १९६२।

(दो) दिनांक १५ सितम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २८५१ में प्रकाशित भारतीय तार (दसवां संशोधन) नियम, १९६२।

(२) मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उप धारा (३) के अन्तर्गत दिल्ली मोटर गाड़ी नियम, १९४० में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २६ जुलाई, १९६२ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एस० १२/६९/५५–६२/परिवहन की एक प्रति।

(३) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था अधिनियम, १९५६ की धारा १९ के अन्तर्गत वर्ष १९६१–६२ के

लिये अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली की वार्षिक रिपोर्ट ।

(दो) अखिल भारतीय-चिकित्सा विज्ञान संस्था अधिनियम, १९५६ की धारा १८ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत वर्ष १९६०–६१ के लिये अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था नई दिल्ली, के वार्षिक लेखे तत्-सम्बन्धी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के साथ ।

(४) अत्यावश्यक पण्य एक्ट, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेशों की एक-एक प्रति ।

(एक) दिनांक ८ सितम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२०२ में प्रकाशित उर्वरक (नियंत्रण) पांचवां संशोधन आदेश, १९६२ ।

(दो) दिनांक १५ सितम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२२५ में प्रकाशित उर्वरक (नियंत्रण) छठा संशोधन आदेश, १९६२ ।

(५) कृषि उत्पाद (विकास तथा भांडागार) निगम अधिनियम, १९५६ की धारा ५२ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १ सितम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० ११८२ में प्रकाशित कृषि उत्पाद (विकास तथा भांडागार) निगम (संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति ।

(६) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :–

(क) दिनांक ८ सितम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस०आर० १२०६ में प्रकाशित आयात किये गये खाद्यान्न (अनधिकृत बिक्री की मनाही) संशोधन आदेश, १९६२ ।

(ख) दिनांक २९ सितम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी ० एस० आर० १२७८ जिसमें दिनांक ३० जून, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ८७६ का शुद्धि-पत्र दिया गया है ।

(ग) दिनांक १५ अक्तूबर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३६३ में प्रकाशित उत्तर प्रदेश धान और चावल (लाने ले जाने पर रोक) दूसरा संशोधन आदेश, १९६२ ।

विषय पृष्ठ

(घ) दिनांक १५ अक्तूबर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३६४ में प्रकाशित चावल (उत्तर प्रदेश) दूसरा मूल्य नियन्त्रण आदेश, १९६२।

(ङ) दिनांक १८ अक्तूबर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३८५।

(च) दिनांक १८ अक्तूबर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३८६ में प्रकाशित चावल (पंजाब) मूल्य नियन्त्रण (संशोधन) आदेश, १९६२।

(७) रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम, १९५७ की धारा २१ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १८ जुलाई, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०१८ में प्रकाशित रेलवे सुरक्षा बल (संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति।

(८) रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम, १९५७ की धारा २१ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २७ अक्तूपर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४११ में प्रकाशित रेलवे सुरक्षा बल (दूसरा संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति।

(९) भारतीय तार अधिनियम १८८५ की धारा ७ की उपधारा (५) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति व्याख्यात्मक टिप्पण सहित :—

(एक) दिनांक १ सितम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११६४ में प्रकाशित भारतीय बेतार-विद्या (परिक्षणात्मक सेवा) नियम, १९६२।

(दो) दिनांक १ सितम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११६५ में प्रकाशित भारतीय बेतार-विद्या (प्रदर्शन लाइसेंस) नियम, १९६२।

१९६२–६३ के लिये अनुदान की अनुपूरक मांगों (रेलवे) के बारे में विवरण—उपस्थापित २०३

रेलवे मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) ने वर्ष १९६२–६३ के आय-व्ययक (रेलवे) के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण उपस्थापित किया।

समिति के लिये निर्वाचन २०३

श्री दासप्पा ने यह प्रस्ताव किया कि लोक-सभा स्वर्गीय श्री ब्रह्मजीत सिंह के स्थान पर प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में काम करने के लिये अपने में से एक सदस्य चुनें। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विषय पृष्ठ

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन—स्वीकृत . २०४

सातवां प्रतिवेदन स्वीकृत किया गया ।

संकल्प विचाराधीन २०५—३६

प्रधान मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) द्वारा आपात की उद्घोषणा की स्वीकृति और चीनी आक्रमण के बारे में ८ नवम्बर, १९६२ को प्रस्तुत किये गये दो संकल्पों और तत्सम्बन्धी स्थानापन्न प्रस्ताव तथा संशोधनों पर चर्चा जारी रही । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

शनिवार, १० नवम्बर, १९६२/१९ कार्तिक १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि

आपात की उद्घोषणा की स्वीकृत और चीनी आक्रमण के बारे में संकल्प पर अग्रेतर विचार, तथा अत्यावश्यक वस्तुओं की कीमतों को उचित स्तर पर बनाये रखने के साधनों के बारे में वक्तव्य ।

GMGIPND—LS III—2071(Ai) LSD—3-1-63—140.

विषय-सूची—क्रमशः

	पृष्ठ
श्री म० इस्माइल	२१६
श्री अ० चं० गुह	२२०
श्री राम सेवक यादव	२२०—२८
श्री गु० सिंह मुसाफिर	२२८—३३
श्री स्वैल	२३३-३४
डा० ब० ना० सिंह	२३४-३५
श्री द्वा० ना० तिवारी	२३५—३६
दैनिक संक्षेपिका	२४०—४८

PLS. 41. IX. 2. 62.
140

१९६२ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पाचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित।